

यूनेस्को के सौजन्य से
हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों तथा वंचित वर्गों के
छात्र-छात्राओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु
एक अग्रगामी परियोजना

लेखक मडल
ऊषा नय्यर
सरोजिनी बिसारिया
स्वर्ण चौपड़ा
लाज रहेला
रुद्रपाल सिंह

पाठ्य सामग्री

महिला शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली - 110016

प्रस्तावना

वास्तविक स्थिति और अनुसंधान यह प्रमाणित करते हैं कि महिलाओं और बालिकाओं को यदि शिक्षित किया जाये और समान प्रशिक्षण दिया जाये तो वह कोई भी कार्य करने में सक्षम हैं। लेकिन यह सुविधा देश में कुछ गिनी चुनी लड़कियों और महिलाओं को ही प्राप्त है जो कि शहरों या नगरों में बसी हुई हैं। बहुत से भ्रामक विचारों के कारण जैसे महिलायें उपयोगी नहीं हैं, केवल एक बोझ हैं, कमजोर हैं, उनके साथ बचपन से ही पक्षपात होने लगता है। पुत्री के जन्म पर परिवार दुःखी हो जाता है, बीमार पड़ने पर उसकी देखभाल में इस हद तक लापरवाही बरती जाती है कि वह छोटी उम्र में ही मृत्यु का शिकार हो जाती है। भाईयों के मुकाबले उसको भोजन भी कम मिलता है। जब परिवार के प्रमुख सदस्य पुरुष या स्त्रियां बेरोजगारी या निपट गरीबी से जूझ रहे होते हैं तो घर का सारा कार्यभार, बच्चों की देखरेख, पानी, ईंधन और चारा जुटाना यह सब कार्य नन्ही बालिका के सिर पर आ जाता है। एक ओर गरीबी तथा दूसरी ओर समाज का बनाया हुआ नकारात्मक रवैया लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखता है। देखते ही देखते यह बालिकाएं छोटी-छोटी उम्र में ही विवाह के बंधन में बांध दी जाती हैं और जीवन की चक्की में पिसने लगती हैं। यह समस्या आज हमारे सामने है और इसका हल हमें ढूढना ही होगा।

लड़कियों व महिलाओं की स्थिति सुधारने में शिक्षक तथा शिक्षितों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमें एकजुट होकर यह प्रयास करना होगा कि लड़कियां पाठशाला में दाखिला ले और अपनी पढ़ाई जारी रखे तथा अपनी आकांक्षा तथा क्षमता के अनुसार उच्च स्तरीय शिक्षा भी प्राप्त करे। शिक्षा सब बच्चों का मूल अधिकार है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार का भेद भाव, रंगभेद और जाति भेद चाहे वह पाठ्यक्रम अथवा पुस्तकों में पाया जाये या समाज शास्त्र, विज्ञान, भाषा, गणित या किसी भी विषय को पढ़ाने में हो अथवा अध्यापकों के प्रशिक्षण में हो, इसका उन्मूलन भी हमें ही करना होगा।

इस गोष्ठी का आयोजन कुछ विशेष मुद्दों को लेकर किया जा रहा है जिसमें बालिकाओं की शिक्षा, उसके अभाव से क्षति और उनके शिक्षित होने से देश को, समाज को और स्वयं को लाभ होता है। इस पुस्तिका में हम हरियाणा की बालिका शिक्षा की समीक्षा करेंगे। जिससे उनके लिए शिक्षा संबंधी निर्धारित नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाये जा सकें और उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त हो सके।

आशा है कि इस कार्य में आपका पूर्ण सहयोग मिलेगा।

उषा नय्यर



विषय-सूची

प्रस्तावना	पृष्ठ संख्या
परियोजना परिचय	i-xi
अध्याय	
1. हरियाणा में शिक्षा का प्रसार : एक विवेचनात्मक अध्ययन	1
2. नीति एवं कार्यक्रम	19
3. महिला एवं बालिका शिक्षा	33
4. अन्तःक्षेप — पाठ्यक्रम शिक्षण में	60
5. अन्तःक्षेप — शिक्षक प्रशिक्षण में	81
6. सामुदायिक प्रतिभागिता — शिक्षा के लिए	100
7. उद्धरण — राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व कार्य योजना 1992 से	105

हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों तथा वंचित वर्गों के
छात्र-छात्राओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु
एक अग्रगामी परियोजना

भारत सरकार 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण भी इसी दिशा में बढ़ता हुआ प्रमुख कदम है। हाल ही में "सभी के लिए शिक्षा" से संबंधित अनेक व्यापक तथा ज़ोरदार परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। ऐसा अनुभव किया गया है कि राज्य तथा राष्ट्र स्तर पर नीति निर्माता समस्याओं तथा प्रतिबन्धों को समझते तो हैं और इसके प्रति प्रतिबद्ध भी हैं, परन्तु सभी स्तरों पर क्रियान्वित करने वाले लोग इस नीति की पूरी सूझ-बूझ नहीं रखते तथा स्त्री-पुरुष समानता के प्रति जागरूक नहीं हैं। इसलिए 'नीति संबंधी कथन' तथा 'व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त' नवीन विचारों के प्रसारण की कमी के कारण कार्यरूप धारण नहीं कर पाए हैं।


अतः इस परियोजना का लक्ष्य शैक्षिक प्रशासकों, अध्यापकों, प्रशिक्षकों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, जिला शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के संकाय (Faculties) को स्त्री-पुरुष समानता के प्रति जागरूक करना तथा इस विषय पर उन्हें प्रशिक्षित भी करना है। यह समन्वित बहुस्तरीय कार्यक्रम न केवल राज्य, जिला, खण्ड और ग्राम स्तर के मुख्य कार्यकर्ताओं को जागरूक करेगा बल्कि उन्हें एक जुट होकर एक ही दृष्टिकोण से कार्य करने में सहायक भी होगा। इन कार्यक्रमों के लिए आवश्यकतानुकूल विशिष्ट अनुसंधान एवं अध्ययन पर आधारित प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जाएगी जो क्षेत्रीय आवश्यकता, विशेष रूप से स्त्रियों के सामाजिक स्तर को ऊँचा करने में उनकी शिक्षा एवं विकास पर प्रभाव डालेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत समन्वित प्रशिक्षण, रुढ़िगत प्रशिक्षण प्रणालियों से बहुत ही भिन्न होंगे।

परियोजना तथा उसकी अवधारणा :-

- ग्रामीण तथा सुदूर के क्षेत्रों में रहने वाली बालिकाओं तथा वंचित वर्ग के लोगों को निर्विघ्न अवसर प्रदान करना।
- भारतीय संविधान द्वारा आश्वस्त समानता के ढाँचे में ही स्त्रियों का सामाजिक स्तर ऊँचा उठाने हेतु शैक्षिक विषयवस्तु तथा प्रक्रिया में अन्तःक्षेप करा कर वर्तमान स्थिति में पुरुषों के प्रति पक्षपात की भावना तथा रूढ़िवादिता को दूर किया जा सके।

हरियाणा के लिए ही ऐसा क्यों?

- हरियाणा राज्य वर्ष 1995 तक प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु प्रतिबद्ध है। लगभग सभी क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षा देने की सुविधाएँ प्रदान की हैं।
- विशाल स्तर पर अध्यापकों तथा समुदाय द्वारा चलाए गए प्रवेश सम्बन्धी अभियान के पश्चात् राज्य इस मोड़ पर पहुँच चुका है कि प्रवेश लिए हुए बच्चों को स्कूल में कैसे प्रतिधारित किया जाए ताकि बच्चे सफलता की ओर अग्रसर होते रहें।
- लड़कियों को भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देकर हरियाणा सरकार उन्हें स्कूल में भर्ती करने तथा उनकी शिक्षा जारी रखने को अत्यधिक महत्व देती है और नीति निर्देश भी स्त्री शिक्षा में सुधार करने हेतु उच्च स्तरीय राजनैतिक वर्ग तथा अधिकारी वर्ग की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करते हैं।
- वर्ष 1966, जब से हरियाणा अस्तित्व में आया है, तभी से इसने विकास के ढाँचे को समुन्नत करने में बहुत प्रगति की है। प्रत्येक गाँव में सड़कें बना दी गई हैं, बिजली पहुँचा दी गई है, सिंचाई तथा दूर संचार के साधन भी उपलब्ध करा दिए गए हैं एवं उत्पादन तथा समृद्धि के स्तर को बढ़ाने हेतु कृषि तथा उद्योगों ने तीव्र गति से उन्नति की है परन्तु स्त्रियों के सामाजिक स्तर जैसे कि महिला मृत्युदर, जन्मदर, शिशु-मृत्युदर, विवाह की औसत आयु, महिला श्रम-शक्ति दर आदि में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। प्रति 1000 पुरुषों (एक हजार) के अनुपात में स्त्रियों की संख्या 872 है जोकि काफी कम है और देश में सब से निम्न है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हरियाणा में स्त्रियों का सामाजिक स्तर काफी शोचनीय अवस्था में है।



आकृति 1

प्राथमिक शिक्षा से संबंधित नवीन प्रारम्भिक परियोजना


मुख्य बिन्दु :

ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियाँ तथा वंचित वर्ग।

उद्देश्य :

- 1— शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा तक पहुँच, नामांकन, प्रतिधारण तथा उपलब्धि।
- 2— सभी क्षेत्रों में लिंग समानता लाना।

प्रारंभिक पोषक
परियोजना -
कम
खर्च अधिक लाभ



परियोजना का प्रचालन

पहला चरण :-

ससाधनों का संकलन

- अन्य राज्यों में हो रहे नवाचारों संबंधी कार्य की जानकारी प्राप्त करना।
- हरियाणा में महिला शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना।
- हरियाणा में महिलाओं का सामाजिक स्तर।
- आँकड़े संबंधी सामग्री तैयार करना।
- ग्राफिक सामग्री तैयार करना।

दूसरा चरण :-

सरकार से सहयोग प्राप्त करना

- हरियाणा के शिक्षा आयुक्त, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् आदि से सम्पर्क स्थापित करना।
- गहन सर्वेक्षण हेतु जिलों का पता लगाना।

तीसरा चरण :-

पता लगाने की प्रक्रिया

- खण्ड स्तर के अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारियों से सम्पर्क।
- चुनिंदा ग्रामों तथा प्राथमिक विद्यालयों में जाना।

चौथा चरण :-

पढाई को बीच में ही छोड़ जाने वाली छात्राओं के बारे में अध्ययन

- आँकड़ों का संग्रह और उनका विश्लेषण।

(अ) विधियों तथा प्रविधियों का विकास

- 1- ग्राम प्रधान संबंधी सूची
- 2- सस्था संबंधी सूची
- 3- घरेलू सूची
- 4- विद्यालय छोड़ने वाली लड़कियों की सूची
- 5- विद्यालय में कभी प्रवेश न पाने वाली लड़कियों की सूची
- 6- अध्यापको संबंधी सूची

(ब) क्षेत्रीय कार्य

(स) आँकड़ों का विश्लेषण

(द) रिपोर्ट तैयार करना।

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए
चलता फिरता प्रशिक्षण केन्द्र (मोबाइल ट्रेनिंग सैन्टर)

ऐसा अनुमान है कि इस प्रकार जो श्रव्य-दृश्य और प्रकाशित सामग्री तैयार होगी वह सामग्री "चलते फिरते प्रशिक्षको" के प्रशिक्षण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में सहायक होगी तथा कई गाँवों के अध्यापकों तक पहुँच जाएगी।

विस्तार

अन्य राज्य तथा देशों में विस्तार

यह नवीन (नवाचार) परियोजना इस प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के कार्य में अनुरत भारत के दूसरे राज्यों तथा दूसरे देशों के लिए सदर्भिक विषय वस्तु के रूप में कार्य कर सकती है।


1992 - 1993

परियोजना कार्यक्रम

	अंश से जुड़ाई	अस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त
1. संस्थान का आचार तैयार करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. सरकारी सहयोग प्राप्त करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. पदा लगाने की प्रक्रियाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. फर्दा शीष में छोड़ने वाली छात्राओं के बारे में अध्ययन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. शिक्षा कमियों के दृष्टिकोण का समन्वयकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. मुख्य शिक्षा कमियों का प्रशिक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. मूल्यांकन तथा फीड-बैक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

हरियाणा जनपदवार जनसंख्या

1991



75°


76°

77°

हरियाणा

जनसंख्या घनत्व


1991



75°

76°

77°



हरियाणा में शिक्षा का प्रसार : एक विवेचनात्मक अध्ययन

इस छोटे से राज्य हरियाणा का उदय एक नवम्बर 1966 को हुआ। चण्डीगढ़ नगर इस राज्य की राजधानी है। यह नगर पंजाब की भी राजधानी है। इसके अतिरिक्त चण्डीगढ़ एक केन्द्रशासित प्रदेश भी है। हरियाणा का उच्च न्यायालय पंजाब के साथ सांझा है। परन्तु हरियाणा का, अपना राज्यपाल, विधान सभा तथा सार्वजनिक सेवा आयोग है।

इस राज्य के उत्तर में पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली तथा दक्षिण पश्चिम में राजस्थान स्थित है। यमुना नदी राज्य की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। इस राज्य को दो-प्राकृतिक भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) उप-हिमालय तराई का भाग, (ख) गंगा सतलज का मैदान।

हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु में खूब गर्मी और शीत ऋतु में सामान्य सर्दियाँ पड़ती हैं। यहाँ वर्षा का वितरण असमान है। वर्षा उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम को कम होती जाती है।

1971 की जनगणनानुसार हरियाणा की जनसंख्या लगभग एक करोड़ सैंतीस हजार थी। 1991 में यह एक करोड़ 63 लाख 18 हजार हो गई। अर्थात् इस अन्तराल में जनसंख्या की वृद्धि 62.5 प्रतिशत हुई। 1991 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का क्षेत्रफल 44212 वर्ग कि.मी. है जो कि राष्ट्र की भूमि का 1.3 प्रतिशत है। जनगणना के आँकड़ों अनुसार इसकी जनसंख्या देश की जनसंख्या का 1.9 प्रतिशत है। देश के 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व की तुलना में इसका घनत्व 369 व्यक्ति वर्ग कि.मी है। घनी आबादी वाला यह प्रदेश विकास में कितना घना है?

चौबीस जनवरी 1992 के आधार पर इसमें 4 मण्डल, 16 जिले, 39 उपमण्डल, 55 तहसीलें, 30 उप तहसीलें तथा 124 शैक्षिक खण्ड हैं। शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का

अनुपात लगभग 25:75 है। हरियाणा में अनुसूचित जाति के लोगो का प्रतिशत 19.07 है। 1971 में हरियाणा की साक्षरता दर 26.89 थी तथा भारत की सकल साक्षरता दर 29.46 थी। 1991 में ये दरें क्रमशः 55.33 तथा 52.11 हो गईं। इससे दो तथ्य प्राप्त होते हैं:-

एक तो यह कि हरियाणा की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। और दूसरे यह कि देश की साक्षरता दर से यह दर बढ़ गई है। किन्तु जब हम इसे महिला साक्षरता के सदर्थ में देखते हैं तो वैसे ही रोना आता है जैसे मोर को अपने पैर देखकर।

यह तथ्य है कि महिलाओं की साक्षरता 1981 में 26.89 प्रतिशत थी और पूरे एक दशक बाद 1991 में यह 40.94 प्रतिशत हुई किन्तु अभिप्राय यह है कि जो पुरानी गति-अवरोधक स्थिति थी, आज अभी भी बनी हुई है। आज भी हरियाणा की महिला जनसंख्या का 59.06 प्रतिशत भाग अनपढ़ है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में तथा वहाँ पर भी वचित वर्गों की महिलाओं में अधिक है। उपर्युक्त संरचनात्मक आकड़े सांख्यिकीय सारांश, हरियाणा 1990-91 से लिए गए हैं।

तालिका -1

7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में पुरुष व स्त्रियों की साक्षरता की जनपदवार तुलनात्मक स्थिति 1981 - 1991

क्र. सं.	जिला	साक्षर पुरुष		साक्षर स्त्री		पुरुष साक्षरता		महिला साक्षरता		लिंग समानता-सूचकांक	
		(1981)	(1991)	(1981)	(1991)	(1981)	(1991)	(1981)	(1991)	(1981)	(1991)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	अम्बाला	390	365	222	250	72.7	75.9	41.4	58.1	78.4	86.1
2.	यमुनानगर	-	252	-	159	-	70.2	-	50.5	-	82.8
3.	कुरुक्षेत्र	249	191	110	117	50.7	68.7	26.0	47.6	66.2	80.9
4.	फैथल	-	197	-	86	-	54.1	-	27.8	-	66.2
5.	करनाल	331	255	145	146	57.2	65.7	29.7	43.3	66.7	78.3
6.	पानीपत	-	244	-	128	-	65.9	-	40.8	-	75.0
7.	सोनीपत	242	254	97	136	65.6	76.7	30.3	48.2	61.6	75.8
8.	रोहतक	395	591	164	364	68.4	75.1	32.5	53.7	62.9	82.4
9.	फरीदाबाद	283	477	98	214	63.3	72.3	27.7	39.1	58.1	68.3
10.	गुडगाँव	215	315	77	147	59.2	63.8	24.3	33.7	56.7	67.9
11.	रिवाड़ी	-	217	-	114	-	81.3	-	46.3	-	71.8
12.	महेन्द्रगढ़	271	207	92	97	68.9	73.4	25.0	36.5	52.5	65.7
13.	भिवानी	230	336	69	151	60.1	68.9	20.1	34.6	48.9	65.7
14.	जिन्द	190	255	51	107	46.5	59.6	14.8	29.7	46.0	64.7
15.	हिसार	327	492	112	224	50.4	60.7	20.1	32.0	55.2	67.5
16.	सिरसा	145	225	61	119	47.9	57.0	23.0	34.2	63.7	73.9

शैक्षिक परिवेश

हरियाणा राज्य के उद्योपरान्त शैक्षिक सुविधाओं के प्रसार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। नीचे दी गई तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है :-

तालिका - 2


स्कूलों की संख्या में वृद्धि स्कूलों की संख्या

वर्ष	प्राइमरी	मिडिल	हाई स्कूल	वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
1966-67	4447	735	597	-
1970-71	4204	760	975	-
1975-76	5149	758	1129	-
1980-81	4934	881	1473	100
1985-86	5078	1121	1946	132
1990-91	5136	1399	2356	325

इस तालिका से पता लगता है कि विभिन्न वर्गों के स्कूलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। वर्णनीय है कि लगभग सभी मिडिल तथा हाई स्कूलों के साथ प्राइमरी विभाग जुड़ा हुआ है। यदि बच्चों की सुविधाओं के दृष्टिकोण से स्थिति का जायजा ले तो यह जानकर सन्तोष की अनुभूति होती है कि हरियाणा के बच्चों को प्राइमरी, मिडिल तथा हाई/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को अर्जित करने के लिए अपने ग्राम से क्रमशः 1.29 किलोमीटर, 1.94 कि.मी. तथा 2.45 कि.मी. से अधिक नहीं चलना पड़ता है।

स्कूलों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप छात्रों/छात्राओं तथा अध्यापकों की संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है। गत वर्षों में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या में वृद्धि का दिग्दर्शन तालिका 3 से होता है।

हरियाणा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाएं



आकृति 7

तालिका - 3

स्कूलों में विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की संख्या में वृद्धि संख्या (लाखों में)

वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या			अध्यापकों की संख्या		
	छात्र	छात्रा	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1967	8.62	2.96	11.58	.24	.08	.32
1971	10.17	3.59	13.86	.40	.10	.50
1976	11.70	4.99	16.69	.35	.15	.50
1981	13.71	6.32	20.03	.39	.18	.57
1985	15.40	8.73	24.13	.42	.25	.67
1990	18.92	13.20	32.12	.44	.30	.74
अनुसूचित जाति से सम्बन्धित अध्यापकों की संख्या				(.02)	(.005)	(.025)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि छात्र संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। छात्राओं की शिक्षा में वृद्धि छात्रों की अपेक्षा अधिक रही है। इसी प्रकार अध्यापिकाओं की संख्या में वृद्धि भी अध्यापकों की अपेक्षा अधिक रही है। यह ठीक है कि अध्यापिकाओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है परन्तु छात्रों की संख्या में वृद्धि के अनुरूप अध्यापकों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। अनुसूचित जाति से संबंधित अध्यापकों की कम संख्या निश्चय ही चिन्ता का विषय है।

यदि अनुसूचित जाति से संबंधित छात्र-संख्या में वृद्धि हुई है तो इस जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अध्यापकों की संख्या में वृद्धि के बारे में सोचना होगा। शैक्षिक परिवेश का एक अन्य पक्ष यह है कि छात्राओं की संख्या में वृद्धि होते हुए भी समान आयुवर्ग की कन्याओं की संख्या के अनुपात में अधिक कन्याओं को स्कूलों में लाना अपेक्षित है। इस स्थिति की अत्यधिक आवश्यकता, प्रारम्भिक स्तर पर है यदि इस शताब्दी की समाप्ति से पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का सपना हम लिए हुए हैं।

इस परिवेश की पृष्ठभूमि में विषमता सम्बन्धी विषय भी चिन्तादायक है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के हित में व्याप्त क्षेत्रीय विषमताओं को मिटाना होगा। वास्तव में ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में प्रशासकों तथा आयोजकों का चिन्ताजनक होना उचित है।

इस सन्दर्भ में राज्य सरकार भी इस चुनौती से अनभिज्ञ नहीं है। अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बालक/बालिकाओं को स्कूल में आकर्षित करने के लिए काफी प्रोत्साहन योजनाएं चला रखी हैं। ये प्रोत्साहन मुफ्त वर्दी, लेखन एवं पठन सामग्री, पुस्तकों आदि से संबंधित हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की बालिकाओं के लिए भी प्रोत्साहन योजनाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया है। फिर भी सभी कन्याओं, विशेषतः अनुसूचित जाति से संबंधित कन्याओं को स्कूल में लाना एक भयंकर समस्या आड़े खड़ी है।

यह स्थिति निम्नलिखित तालिका में झलकती है :-

तालिका - 4

6-11 तथा 11-14 आयुवर्ग

छात्रसंख्या अनुपात, 1990

(संख्या प्रतिशत में)

आयुवर्ग	सभी वर्ग			अनुसूचित जाति		
	बालक	बालिकाएं	कुल	बालक	बालिकाएं	कुल
6-11	95.3	77.3	86.5	अनुपलब्ध		
11-14	78.6	50.5	65.2	66.4	35.1	51.5

इस तालिका से स्पष्ट है कि 6-11 आयुवर्ग में अभी 100-120 की छात्र नामांकन दर तक पहुंचना एक स्वप्न बना हुआ है। 11-14 आयुवर्ग में तो स्थिति और भी विषम है। सम्भवतः अब समय आया है कि सामूहिक प्रयासों को तेज करने से क्षेत्रीय प्रयास अधिक सफल हो सकते हैं। यह बात केन्द्रीय शैक्षिक सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित एक ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में भी कही है। इस प्रकार प्रोत्साहन योजनाओं में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना श्रेयस्कर हो सकता है।

हरियाणा शिक्षा विभाग ने 1990-91 के पूर्व एक वृहत् नामांकन अभियान चालू किया जिसमें शिक्षकों ने अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करके प्राथमिक स्तर पर 4.75 लाख अतिरिक्त बच्चे स्कूलों में सम्मिलित किए। 6-11 वर्ष की लड़कियों का 91 प्रतिशत और लड़कों का 113 प्रतिशत नामांकन किया गया। जिलावार विवरण तालिका 5 में दिखाया गया है।

तालिका - 5

राज्य में जनपदवार प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात

(6-11 आयु वर्ग) 1991

जिला	बालक	बालिका	योग
1. अम्बाला	95.08	79.60	87.27
2. भिवानी	131.92	105.95	118.84
3. फरीदाबाद	108.91	78.61	94.24
4. गुड़गाँव	120.07	87.33	103.60
5. हिसार	109.47	91.11	100.38
6. जिंद	118.61	89.36	104.31
7. कैथल	102.75	78.61	90.91
8. करनाल	113.49	91.40	102.51
9. कुरुक्षेत्र	121.15	98.04	109.57
10. महेन्द्रगढ़	125.74	98.04	109.57
11. पानीपत	92.42	76.36	84.53
12. रिवाड़ी	117.11	97.64	107.15
13. रोहतक	125.00	112.22	118.68
14. सिरसा	109.04	84.74	96.87
15. सोनीपत	107.23	89.18	98.36
16. यमुनानगर	103.20	86.24	94.27
हरियाणा	112.90	91.04	102.02

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मात्र स्कूली सुविधाएं उपलब्ध कराने से ही प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का सुनिश्चित अवस्था में पहुंचना कठिन है। वर्ष 1986 में पांचवा शैक्षणिक सर्वेक्षण किया गया था। तब यह देखने में आया था (वस्तुतः स्थिति में अभी भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है) कि अम्बाला/यमुनानगर जिले, जिनकी गिनती राज्य के गतिशील जिलों में होती है, में माध्यमिक विद्यालय स्तर की सुविधाएं जनसंख्या के 85.5 को 3 कि.मी. की परिधि में उपलब्ध थी, जबकि जीन्द जो कि शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा जिला जाना जाता है, में उक्त सुविधाएं जनसंख्या के 97.01% को तीन कि. मी. की परिधि में उपलब्ध थी। परन्तु छात्र संख्या दर अम्बाला जिले में जीन्द जिले की अपेक्षा कहीं अधिक है।

जहाँ तक सेकण्डरी शिक्षा प्रसार का सम्बन्ध है, में क्षेत्रीय विसंगतियां कहीं अधिक हैं। इस स्तर की शिक्षा का प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण से गहरा सम्बन्ध है। अतः इस न्यूनता की ओर भी देखना आवश्यक प्रतीत होता है।

हरियाणा राज्य में + 2 शिक्षा प्रणाली का आरम्भ वर्ष 1985-86 में किया गया था। इस समय यह प्रणाली स्कूलों के साथ-साथ कॉलिजो में भी चल रही है। +2 शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक धारा, शिक्षा विभाग से सम्बन्धित न होकर औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग के कार्य क्षेत्र में है। यह व्यावसायिक प्रणाली 65 संस्थानों में लागू है। इस बात के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि +2 कक्षाओं में कम्प्यूटर साइंस, मनोविज्ञान आदि विषयों को भी आरम्भ किया जाए।

तालिका - 6
शिक्षा सम्बन्धी अन्य आंकड़े

क्रम स.	क्षेत्र	मद	1966-67 की स्थिति	1990-91 की स्थिति	इस अन्तराल में वृद्धि प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	वर्ष	(क) उच्च शिक्षा	22.25 लाख रु.	50 93.00 लाख रु.	22789.88
		(ख) प्राइमरी शिक्षा	86.97 लाख रु.	13369 लाख रु.	15271.96
		(ग) सेकण्डरी शिक्षा	168.03 लाख रु.	12321 लाख रु.	7232.61
		कुल योग	277.25 लाख रु.	30783 लाख रु.	11002.97
2.	प्रवेश देने की संख्या	(क) सिविल	70	115	64.28
		(ख) मैकेनिकल	90	155	72.22
		(ग) इलेक्ट्रिकल	90	145	61.11
		(घ) इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन	x	113	x
		(ङ) कम्प्यूटर इंजीनियरिंग	x	60	x
		(च) अन्य	x	28	x
		(छ) योग	250	616	146.4

1	2	3	4	5	6
3.	विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों क प्रतिशत	(क) 6-11 आयुवर्ग (अ) लड़के (आ) लड़कियां (इ) कुल (ख) 11-14 आयुवर्ग (अ) लड़के (आ) लड़कियां (इ) कुल (ग) 14-17 आयुवर्ग (अ) लड़के (आ) लड़कियां (इ) कुल	80.7 34.7 58.9 56.2 16.3 37.3 25.9 6.3 18.7	96.0 73.1 84.5 78.8 49.5 64.8 32.3 16.4 24.8	अन्तर % 15.3 38.4 25.6 22.6 33.2 27.5 6.4 10.1 8.1
					इस अन्तराल में वृद्धि प्रतिशत
4.	छात्र-अध्यापक अनुपात	(क) प्राइमरी कक्षाएँ (ख) माध्यमिक कक्षाएँ (ग) उच्च/उच्चतर मा. कक्षाएँ (घ) वरिष्ठ मा. कक्षाएँ	43 30 18 18	46 36 20 46	6.97 20 11.1 155.55

(स्रोत : हरियाणा सांख्यिकीय सारांश 1990-91 क्षेत्र 1, पृष्ठ 139, क्षेत्र 2, पृष्ठ 138, क्षेत्र 3, पृष्ठ 785, क्षेत्र 4 पृष्ठ 140)

यह आंकड़ें सांख्यिकीय सारांश हरियाणा, 1984-85 से लिए गये हैं।

1- सारणी -5 के आँकड़ों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इस अन्तराल में उच्च शिक्षा पर अधिक खर्च हुआ है। इसकी वृद्धि 228 गुना हो गई है। इससे कम प्राथमिक शिक्षा की वृद्धि 153 गुना रही तथा सबसे कम माध्यमिक शिक्षा का खर्च 72 गुना बढ़ा।

2- व्यावसायिक संस्थाओं की प्रवेश संख्या में लगभग 1/2 गुना वृद्धि हुई है।

6 से 11, 11 से 14, 14 से 17 इन तीनों आयु वर्गों में लड़कियों की प्रवेश संख्या अधिक हुई है। इन प्रतिशतों का अन्तर क्रमशः 36.6%, 33.2%, 10.1% आया है। इनमें भी 6 से 11 आयु वर्ग का प्रतिशत अन्तर सबसे अधिक है। अतः सरकारी अभियानों से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला है।

छात्र-अध्यापक अनुपात बढ़ा है। इससे एक निष्कर्ष स्पष्ट निकलता है कि जिस अनुपात में छात्रों की संख्या बढ़ी है उस अनुपात में अध्यापकों की संख्या नहीं बढ़ी। स्तरानुसार यह अनुपात भी उत्तरोत्तर बढ़ गया है। प्राथमिक कक्षाओं में यह वृद्धि 7% माध्यमिक कक्षाओं में 20% उच्च विद्यालयी कक्षाओं में 11.1% तथा वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में 155.5% है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए छात्र-अध्यापक अनुपात उत्तरोत्तर कम होना चाहिए परन्तु वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण भार 150% से अधिक हो गया है अर्थात् इसमें डेढ़ गुना वृद्धि हुई है जो एक विचारणीय बिन्दु है परन्तु विकासशील प्रदेशों में उपयुक्त योग्यता के अध्यापकों के उपलब्ध न होने अथवा नियुक्ति न होने पर कई बार उच्चतम कक्षाओं में शिक्षण भार बढ़ना स्वाभाविक है। अतः प्रगति के पथ पर बढ़ने के लिए ऐसे भारों को अन्य प्रगति के क्षेत्रों के लिए प्रेरणा स्रोत मानना होगा। अर्थात् शिक्षण भार के बढ़ने पर यदि एक अध्यापक उस स्थिति में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है तो ऐसी अन्य स्थितियों में अन्य क्षेत्रों के कर्मचारी भी कार्य करने की प्रेरणा ले सकें।

हरियाणा राज्य बनने के समय शिक्षा में विकास के लिए शैक्षिक मूल्यांकन तथा शैक्षिक और व्यावसायिक संदर्शन के दो अनुभाग थे तथा एक विज्ञान अनुभाग था। अब राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के अन्तर्गत 13 अनुभाग हैं जिनके नाम हैं:-

1. अध्यापक शिक्षा एवं प्रसार सेवा, 2. शैक्षिक मूल्यांकन एवं अनुसंधान, 3. संदर्शन अनुभाग, 4. विज्ञान अनुभाग, 5. शैक्षिक तकनीकी अनुभाग, 6. पाठ्य पुस्तक अनुभाग, 7. भाषा एवं प्राथमिक अध्यापक प्रकाशन, 8. जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ, 9. समाज उपयोगी उत्पादक कार्य अनुभाग एवं कम्प्यूटर केन्द्र, 10. अशक्त बालकों की समायोजित शिक्षा (आई.ई.डी.), 11. पर्यावरण शिक्षा, 12. जिला अंग्रेजी केन्द्र तथा 13. महिला शिक्षा अनुभाग।

ये अनुभाग शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त गुड़गाव तथा सोनीपत जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला स्तर पर शैक्षिक सुधार तथा प्रशिक्षण में कार्य कर रहे हैं। हरियाणा में नवोदय विद्यालय आदि शिक्षण संस्थाएं मेधावी छात्रों एवं छात्राओं को शिक्षा के अवसर सुलभ करवा रही हैं। नेहरू युवा केन्द्र, जिला खेल-कूद संस्थान विद्यार्थियों/युवकों के भौतिक/भावनात्मक विकास में पूर्ण योगदान दे रहे हैं।

ठीक है कि हरियाणा विकास की ओर बढ़ रहा है। हर क्षेत्र के आयामों में वृद्धि हुई है और हर आयाम के संख्यात्मक तथा गुणात्मक आँकड़ों में भी वृद्धि हुई है। ये कीर्तिमान जहाँ एक ओर हरियाणा की बहुमुखी प्रगति के परिचायक हैं वहीं प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं।

गुणात्मक सुधार :-

उपयुक्त वर्णित शैक्षणिक प्रसार की कहानी अर्थहीन ही रहेगी जब तक इसमें गुणात्मक सुधार हेतु प्रयास नहीं किए जाते हैं।

कोठारी आयोग (1965-66) ने अपनी रिपोर्ट के आरम्भ में कहा है कि भारत के भविष्य का निर्माण कक्षा-कक्षा में हो रहा है। इस सन्दर्भ में अध्यापक का महत्व सर्वोपरि हो जाता है। अतः शिक्षा में गुणात्मक सुधार और सुयोग्य अध्यापक पर्यायवाची है। राज्य में प्रायोजित स्कीम के तहत दो जिलों में (गुड़गाव एवं सोनीपत) प्रशिक्षण संस्थान क्रियान्वित किए जा चुके हैं। ये संस्थान जिला स्तर पर अध्यापक के प्रत्येक पहलू की मांग को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। इसमें पूर्व सेवा प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम संचालन, प्रबन्ध, कार्यानुभव आदि शामिल हैं। इन दो संस्थानों के अतिरिक्त राज्य सरकार ने अध्यापकों की बढ़ती हुई मांग को दृष्टिगत रखते हुए 8 अन्य संस्थान खोले हैं। ये संस्थान पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व निभाते हैं। इनके अतिरिक्त राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.) भी अध्यापकों में गुणात्मक सुधार लाने हेतु कृतसंकल्प है।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु अन्य कई स्कीमों को क्रियान्वित किया गया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् में शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु अनेक अनुभाग क्रियाशील हैं। अनुभागों के नाम इस प्रकार से हैं :-

1. अध्यापक शिक्षा एवं प्रसार सेवा
2. शैक्षिक मूल्यांकन एवं अनुसंधान
3. संदर्शन एवं परामर्श
4. विज्ञान
5. शैक्षिक तकनीकी
6. पाठ्य पुस्तक
7. भाषा एवं प्राथमिक अध्यापक प्रकाशन

8. जनसंख्या शिक्षा
9. समाज उपयोगी उत्पादक कार्य एवं कम्प्यूटर शिक्षा
10. अशक्त बालको की समायोजित शिक्षा
11. पर्यावरण शिक्षा
12. जिला अंग्रेजी केन्द्र
13. महिला शिक्षा अनुभाग

उपर्युक्त अनुभागों की सूची से स्पष्ट है कि स्कूलों के विभिन्न पक्षों में गुणात्मक सुधार लाने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं। परन्तु क्या बढ़ती हुई छात्र-संख्या के दृष्टिगत शिक्षा में गुणात्मक सुधार की मात्रा बरकरार रखी जा सकी है? निर्विवाद रूप से इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक ही है। निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की प्रक्रिया क्षीण होती जा रही है। विभिन्न वर्गों के अध्यापकों की रिक्तियां भरी नहीं जा सकी हैं। अध्यापकों की माग और सप्लाई में समन्वय नहीं बिठाया जा रहा है। अतिरिक्त अध्यापकों के पद नहीं जुटा पा रहे हैं। अध्यापकों में नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था में कमी आई है। विद्यार्थियों में नकल का दौर भयंकर रूप धारण कर रहा है। शिक्षा के लिए हम पर्याप्त धन नहीं जुटा पा रहे हैं। स्कूलों में भौतिक सुविधाओं का अभी भी अभाव बना हुआ है। स्कूलों के भवनों की वर्तमान दशा तथा अपर्याप्तता की समस्या एक अटल पर्वत की भाँति सम्मुख खड़ी है।

इन कुछ गम्भीर समस्याओं से निपटने के लिये कुछ प्रयास करने होंगे और शिक्षा स्तर में गिरावट को रोकना होगा। वास्तव में ऊपर वर्णित प्रत्येक समस्या के निदान के लिए बहुत कुछ लिखा जा सकता है। परन्तु इनका उल्लेख इस लघु-लेख में करना युक्तियुक्त न होगा, फिर भी मुख्य रूप से निम्नांकित उपाय संख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार के लिये कुछ कारगर सिद्ध हो सकते हैं।

1- प्रशासनिक सुधार :-

वर्तमान प्रशासनिक प्रणाली हरियाणा राज्य के निर्माण से भी पुरानी है। सम्भवतः यह प्रणाली अब सामयिक नहीं रही। इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सचिवालय स्तर पर एक संयुक्त निदेशक पद के समाज स्तर का अधिकारी नियुक्त किया जाए जो शिक्षा की समूची प्रक्रिया से पूर्णतया अवगत हो। स्कूली शिक्षा को एकरूपता प्रदान करने तथा प्रारम्भिक शिक्षा से सार्वजनीकरण के हित में मण्डल स्तर पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाए जो

अधीनस्थ जिलों में समूची शिक्षा को एकरूपता प्रदान कर सकें। ऐसे ही स्कूल के मुखियों को और अधिक शक्तियाँ दी जाएँ और उन्हें गुणात्मक सुधार के लिये उत्तरदायी ठहराया जाए।

2-- वित्तीय प्रबन्ध :-

यह ठीक है कि शिक्षा के बजट में निरन्तर वृद्धि हुई है। परन्तु कुल बजट व्यवस्था के अनुपात में यह राशि काफी कम है। कोठारी आयोग (1964-66) ने संस्तुति की थी कि कुल बजट की 6% राशि शिक्षा के लिये निर्धारित की जानी चाहिए। परन्तु इस स्तर तक हम अभी नहीं पहुँच पाए हैं। इसके साथ ही जो राशि शिक्षा के लिये निर्धारित की जाती है उसका पूर्णतया उपयोग भी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में विशेषतः क्रय-प्रक्रिया सुदृढ़ नहीं है। वास्तव में शिक्षा विभाग में एक क्रय सेल अलग से होना चाहिए जो स्कूलों की सभी मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता हो। इससे न केवल वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई किया जा सकेगा, वरन् उनकी गुणवत्ता भी उत्कृष्ट होगी। इसके स्थापित होने के बाद शिक्षा सम्बन्धी वस्तुओं (टाटपट्टी, डेस्क, चाक इत्यादि) के निर्माणार्थ संस्थान भी कायम किए जा सकते हैं।

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण :-

शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की भूमिका अपना महत्व रखती है। आज निरीक्षकों का अधिकांश समय प्रशासनिक कार्यों में लग जाता है। फलतः निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में काफी शिथिलता आई है। जब तक प्रत्येक स्कूल का वर्ष में कम से कम तीन बार निरीक्षण नहीं होता तब तक शिक्षा में गुणात्मक सुधार मात्र स्वप्न बन कर रहेगा। इसके लिये आवश्यक है कि उपमण्डल स्तर पर निरीक्षकों को वाहन एवं पर्याप्त वित्तीय/प्रशासकीय शक्तियाँ प्रदान करके अधिक समर्थ किया जाए। पेनल निरीक्षण का आवश्यक रूप से प्रावधान किया जाए। सस्था स्तर पर मुखिया द्वारा सभी अध्यापकों का सहयोग प्राप्त करके स्व-निरीक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें :-

तेजी से बदलते हुए इस युग में आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम में समय-समय पर उचित संसोधन किए जाएँ और साथ ही पाठ्य पुस्तकों को उत्तम ज्ञान-प्राप्ति के माध्यम के रूप में पठनीय बनाया जाए जिससे कि अध्यापक और छात्र बाजारी कुंजियों पर अवलंबित न हों। यह स्थिति तब तक रहेगी जब तक पाठ्य पुस्तकों को रोचक और परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रभावी नहीं बनाया जाएगा। इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश में एक स्वैच्छिक संस्था के माध्यम से विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया गया है जो मार्ग-दर्शक के रूप में काम कर सकती है, ऐसे ही कुछ प्रयास राज्य में किए जाने चाहिए। यह भी बेहतर होगा यदि

विद्यार्थियों के लिये पाठ्यक्रम के सदर्थ में पूरक सामग्री का निर्माण किया जाए जिससे विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि हो और परीक्षाओं की तैयारी में भी उनको मदद मिले।

मूल्यपरक शिक्षा

मूल्यपरक शिक्षा का अर्थ है सामाजिक आदर्शों और लोकव्यवहार के निर्वाह के लिए नियत किए गए आचार का विकास करना अर्थात् मूल्यपरक शिक्षा व्यक्ति के आचरण एवं सामाजिक आदर्शों के विकास की द्योतक है। यह व्यवहार की वह पद्धति है जिससे अपना कल्याण हो और दूसरे की हानि न पहुंचे। प्रत्येक समाज शिक्षा के द्वारा अपने बच्चों में ज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ कुछ ऐसे गुणों का विकास भी करना चाहता है जिससे वे अच्छे नागरिक बन सकें। शिक्षा के इसी पक्ष को मूल्यपरक शिक्षा कहा जाता है।

बदलते समय के साथ-साथ सामाजिक मूल्य भी बदलते हैं, लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि कुछ मूल्य शाश्वत हैं और उनकी अवहेलना करने से समाज एवं राष्ट्र में अव्यवस्था फैल जाती है।

आज के युग में राक्षसी के मुंह की भांति बढ़ता हुआ आंतकवाद, फैलता हुआ भाई-भतीजावाद, पनपता हुआ जातिवाद, जन्मती हुई संकुचित क्षेत्रीयता, घिनौनी स्वार्थ पूर्ति हेतु चोर बाजारी, काला धन कमाने के लिए वस्तुओं का कृत्रिम अभाव, जीने हेतु नितान्त आवश्यक खाद्य पदार्थों में मिलावट, बाल मजदूरी और बर्बरता से आक्रान्त नारी शोषण आदि नैतिक ह्रास के ही परिणाम हैं। ये सभी उपचारणीय बिंदु हैं।

किसी भी देश की महत्ता उसकी जनसंख्या पर आधारित नहीं होती बल्कि नागरिकों के महान एवं निष्कलक चरित्र पर आधारित होती है।

परीक्षाओं में सुधार :-

आज विद्यार्थी परीक्षाओं के बोझ तले दबा हुआ है और इससे उसके सर्वांगीण विकास में बाधा पहुँची है। भावी प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी से भी उसे जूझना पड़ता है। विद्यार्थियों को योग्य अध्यापक पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण उन्हें ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। फलस्वरूप परीक्षाओं में नकल तथा प्रश्न पत्रों की लीकेज जैसी भयंकर समस्याओं ने जन्म लिया है। यहां तक कि अनेक राज्यों ने नकल की प्रवृत्ति को एक दण्डयोग्य अपराध की सजा दी है। ये सभी कुठाराघात एक सुखद भविष्य के लिए संकेत नहीं दे रहे हैं।

इन सभी प्रवृत्तियों से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय सोचने होंगे। पर्याप्त मात्रा में अध्यापकों का प्रबन्ध करना प्रबन्धकों का दायित्व है। प्रश्न पत्रों के निर्माण, परीक्षाओं का संचालन, अध्यापकों में नैतिक उत्थान जैसी प्रक्रियाओं में रचनात्मक संशोधन लाना होगा तभी कुछ सुधार लाया जा सकेगा।

शिक्षा में सुधार हेतु कुछ विवेचन किया गया है। आशा है कि शिक्षा से संबन्धित सभी पक्ष शिक्षा में सख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार लाने के लिए अपना-अपना कर्त्तव्य प्रभावकारी ढंग से निभाएंगे। यदि ऐसा होता है तो भी भय है कि इससे पदर्थवाद बनेगा। अतः सुझाव है कि सभी प्रयासों में समन्वय लाने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए जो कम से कम व्यय पर शिक्षा में अधिकाधिक सुधार लाने के लिए प्रभावकारी सस्तुतिया दे। आज यदि हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो भविष्य का सामना करना कठिन होगा।

तालिका - 7

अन्य क्षेत्रों में प्रगति

क्रम सं.	क्षेत्र	मद	वर्ष 1966-67	वर्ष 1990-91	इस अन्तराल में वृद्धि प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	
1.	कृषि	(क) आगमेण्टेशन ट्यूबवेल	200	1643	486.78	
		(ख) नहरो द्वारा सिंचाई	13.25 लाख हैक्टेयर	20.38 लाख हैक्टेयर	53.81	
		(ग) खाद्यान्न	25.92 लाख टन	96.00 लाख टन	270.37	
		(घ) गन्ना	5.10	7.75	51.96	
		(ङ) तेल के बीज	0.92 लाख टन	6.92 लाख टन	652.17	
		(च) कपास	3.05 लाख गांठें	11.5 लाख गांठें	277.04	
		(छ) टैक्टर	4800	1.07 लाख	2129.16	
		(ज) चीनी की मिलें	2	10	400.00	
		2. पशुपालन	(क) पशु चिकित्सालय	125	495	296
				3. डेरी फार्म	(क) दुग्ध प्राप्ति	357 ग्राम प्रति व्यक्ति
(ख) मिल्क प्लांट	1 (5.12.70 से)	6	500.00			
4. स्वास्थ्य	(क) हस्पताल	56	79	41.07		
		(ख) कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर	141	166	17.73	

1	2	3	4	5	6
		(ग) प्राइमरी हेल्थ सेन्टर	88	394	347.72
		(घ) आयुर्वेदिक/यूनानी इन्स्टीट्यूशन	143	414	109.51
5.	उद्योग	(क) पंजीकृत लघु इकाईयाँ	4519	106421	2254.96
		(ख) बड़ी तथा मध्यम इकाईयाँ	162	461	184.56
		(ग) ग्रामीण औद्योगिक इकाईयाँ	92	42026	45580.43
		(घ) औद्योगिक उत्पादन	119.97	445.18	271.07
			(1977-78)		
			(1971-72)		
		सूचकांक			
6.	ट्रांसपोर्ट	(क) वाहन (रोडवेज)	475	3478	632.21
		(ख) बस अड्डे	3	65	2066.66
		(ग) ओपरेटिड कि.मी. मीट्रेज	1 लाख	10.5 लाख	950.0
		(घ) दैनिक यात्री	0.98 लाख	16.35 लाख	1568.36
		(ङ) डिपो	3	18	500.00
7.	फूड सप्लाइज	(क) फेयर प्राइस शाप	2400	6615	175.62
8.	व्यावसायिक संस्थाएँ	(क) पौलीटेक्नीक्स	7	16	128.57
		(ख) आई.टी.आईज़	39	69	76.92
		(ग) वोकेशनल एजुकेशन	24	65	-

(स्रोत :- हरियाणा एट ए ग्लान्स-सिल्वर जुबली 1991)

उपर्युक्त आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों तथा परिवहन में अधिक उन्नति हुई है। टैक्टरों की संख्या में वृद्धि 21 गुना तथा ग्रामीण औद्योगिक इकाईयों की संख्या में 455 गुना वृद्धि हुई है। बस अड्डों की संख्या में लगभग 21 गुना तथा दैनिक यात्रियों की संख्या में लगभग $15\frac{2}{3}$ गुना वृद्धि हुई है।

अध्याय 2

नीति एवं कार्यक्रम

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत संविधान की 45वीं धारा स्पष्ट रूप से घोषित करती है :-

“संविधान अधिग्रहण के 10 वर्षों में राज्य 14 वर्ष की आयु सीमा तक के सभी बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा।”

अतः —

- राज्य (तत्कालीन पंजाब) द्वारा उपरोक्त वचनबद्धता को वर्ष 1960 तक पूरा कर देना चाहिए था।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इस वचनबद्धता को 1995 तक पूरा करने का संकल्प दोहराती है।
- मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र पर हमारे देश ने भी हस्ताक्षर किए हैं। यह घोषणा पत्र प्रत्येक मानव के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को स्वीकार करता है। इस घोषणा पत्र की 26वीं धारा के अनुसार —
“प्रत्येक मानव को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कम से कम प्राथमिक तथा आधारभूत शिक्षा स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी। प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होगी ----”

उपरोक्त कथन के सन्दर्भ में प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बालक के इस अधिकार की रक्षा करना आवश्यक है।

हरियाणा राज्य ने इस अधिकार की रक्षा हेतु निम्न कदम उठाये हैं :-

सार्वभौमिक नामांकन —

- प्रत्येक शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व शिक्षकों द्वारा विद्यालयों के आसपास के क्षेत्रों

तथा गांवों में जाकर घर-घर सम्पर्क किया जाता है। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में दाखिले व हर वर्ग के छात्र/छात्राओं को विद्यालय में भेजने हेतु माता-पिता/अभिभावको को प्रेरित किया जाता है। इस कदम के माध्यम से हरियाणा में लगभग सभी बालको को वर्ष 1991-92 में प्रवेश दिया जा चुका है तथा लगभग 90% छात्राओं का नामांकन भी किया जा चुका है।

1— सार्वभौमिक प्रतिधारण :-

- जिन छात्र/छात्राओं का विद्यालय में नामांकन हो जाता है उनको विद्यालय में रोके रखना शिक्षको की जिम्मेदारी है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि छात्र/छात्रा विद्यालय आना बंद न कर दें। छात्र/छात्राओ की अनुपस्थिति की परिस्थिति में शिक्षक माता-पिता/अभिभावको से सम्पर्क कर पुनः उनको विद्यालय में लाने का प्रयास करते रहते है।
- अतः सार्वभौमिक नामांकन एवं प्रतिधारण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हरियाणा सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के अन्तर्गत निम्न कदम उठाये हैं :-
- 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु अनुसूचित, पिछड़े, कमजोर एवं अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओ को विद्यालय में नामांकन कराने तथा उनके प्रतिधारण हेतु विशेष प्रोत्साहन सुविधाएँ प्रदान करना।
- अशक्त/अपंग छात्र/छात्राओं हेतु विशिष्ट सहायता योजना द्वारा उनको हर सम्भव सुविधा प्रदान करना/कराना।
- अल्प संख्यकों की शिक्षा हेतु गुड़गांव ज़िले के मेवात क्षेत्र में मेवात विकास मंडल की स्थापना तथा इसकी देखरेख में अतिरिक्त विद्यालयो को खोलना।
- विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना।

2— सेवाकालीन शिक्षक/शिक्षिकाओं हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन :-

हरियाणा में शिक्षा विभाग एस.सी.आर.टी तथा ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षको की शिक्षण क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए तथा शिक्षा क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों से परिचय कराने हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करता है —

- विषय वस्तु से संबंधित प्रशिक्षण। (भाषा, गणित, परिवेश अध्ययन से संबंधित)
- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के अन्तर्गत मिलने वाली सामग्री के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण।
- राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने हेतु प्रशिक्षण।

- कला शिक्षण से सम्बन्धित प्रशिक्षण। (खिलौना प्रतियोगिता, पेन्टिंग प्रतियोगिता के माध्यम से)
- सुलेख सम्बन्धी प्रशिक्षण।
- संसदीय प्रणाली से परिचय सम्बन्धी प्रशिक्षण। (युवा संसद प्रतियोगिता के माध्यम से)
- विद्यालयों के मुखियों हेतु प्रशिक्षण।
- अशक्त/अपंग, बालक/बालिकाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण।
- परामर्श एवं सदृशिन देने वाले अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण।
- पर्यावरण शिक्षा तथा जनसंख्या शिक्षा देने हेतु प्रशिक्षण।

3— प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन:-

प्राथमिक शिक्षा स्तर पर गुणवत्ता लाने के लिए तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को त्वरित गति से पूरा करने के लिए स्कूली शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का सैकण्डरी शिक्षा निदेशालय से अलग गठन किया गया है। इसी श्रृंखला में जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालय स्तर पर हैडटीचर नियुक्त किए गए हैं।

4— अन्य सराहनीय पग —

- डी.आर.डी.ए. की स्थापना।
- स्वयं सेवी संगठनों द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन।
- महिलाओं हेतु स्नातक स्तर तक की शिक्षा मुफ्त।
- वरीयता के आधार पर नये व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों को खोलना।

नीति एवं कार्यक्रम — विस्तृत विवरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप हरियाणा में नारी शिक्षा के सदर्थ में अनेक सराहनीय कदम उठाए गए हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण को पूर्ण रूपेण प्राप्त करने के लिए केवल बालिका शिक्षा ही सशक्त और समर्थ माध्यम है। अतः कन्याओं और वंचित वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षित करना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत गुणवत्ता के आधार पर राष्ट्र की प्रगति में सहायक तो होते ही हैं, साथ ही साथ भावी पीढ़ी के विकास और जीवन मूल्यों के अनुकरण में भी सहायक होते हैं। भविष्य में महिला


साक्षरता तो बढ़ेगी साथ-साथ महिला-पुरुष समानता और महिला वर्ग का सशक्तिकरण (पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक) एवं प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण आधार होगी।

साक्षरता दर :-

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 63.86 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 39.42 प्रतिशत है। जबकि हरियाणा में पुरुषों की साक्षरता दर 55.97 एवं महिलाओं की साक्षरता दर 33.62 प्रतिशत है हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की साक्षरता दर 51.77 प्रतिशत है तथा महिलाओं का साक्षरता दर 27.09 प्रतिशत है और शहरी क्षेत्र में यही दर क्रमशः 68.65 प्रतिशत तथा 53.51 प्रतिशत है। यदि हम उपर्युक्त आँकड़ों पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से मात्र 15 प्रतिशत कम है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह अन्तराल 24.68 प्रतिशत है। सामान्य रूप से जिन जिलों में साक्षरता दर कम है, उन जिलों में पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता में अन्तराल बहुत अधिक है। हरियाणा में कैथल, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़, भिवानी, जींद, हिसार, सिरसा सात जिले ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं की साक्षरता दर 30 प्रतिशत से भी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर निम्न प्रकार है :-

10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत		20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत	
कैथल	19.04 प्रतिशत	पानीपत	25.63 प्रतिशत
फरीदाबाद	15.01 प्रतिशत	गुड़गांव	20.59 प्रतिशत
		महेन्द्रगढ़	27.35 प्रतिशत
		भिवानी	24.98 प्रतिशत
		जींद	19.62 प्रतिशत
		हिसार	19.89 प्रतिशत
		सिरसा	22.59 प्रतिशत
		करनाल	27.58 प्रतिशत
30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत		40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	
अम्बाला	37.78 प्रतिशत	सोनीपत	39.95 प्रतिशत
यमुनानगर	32.96 प्रतिशत	रोहतक	41.14 प्रतिशत
कुरुक्षेत्र	33.27 प्रतिशत		
रिवाड़ी	35.27 प्रतिशत		

हरियाणा ग्रामीण महिला साक्षरता 1991



साक्षरता प्रतिशत	प्रतिशत
	20.00 से कम
	20.01 - 27.00
	27.01 - 34.00
	34.00 से अधिक


राष्ट्रीय औसत	= 30.60
राज्य औसत	= 27.09

हरियाणा

कक्षा एक की कुल नामांकित छात्राओं से आगे
की कक्षाओं में छात्रा प्रतिशत

1986-87

प्रतिशत



आकृति 11

इस सारणी से यह स्पष्ट है कि हरियाणा में किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर 41 प्रतिशत से अधिक नहीं है जोकि एक विचारणीय प्रश्न है।

वर्ष 1991-92 में हरियाणा में बालक/बालिकाओं का स्कूलों में प्रवेश संबंधी एक अभियान चलाया गया जिसके अनुसार हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि हरियाणा में लगभग 100 प्रतिशत बालक और लगभग 90 प्रतिशत बालिकाएँ प्रवेश पा चुके हैं। अतः वर्तमान में हरियाणा में प्राथमिक विद्यालयों की कमी होना स्वाभाविक है और इसके लिए अध्यापक/अध्यापिकाओं की भी आवश्यकता है। वर्तमान में लगभग 2000 (दो हजार) पद रिक्त हैं परन्तु यह भी देखा गया है कि शहरी क्षेत्र के स्कूलों में अध्यापकों की संख्या आवश्यकता से अधिक है और देहाती क्षेत्र में कम। इसी संदर्भ में एक बात और देखने को मिली है कि अधिकांश महिला शिक्षिकाएँ शहरी विद्यालयों में कार्यरत हैं और गांव के विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं की संख्या कम है। अतः ऐसी स्थिति में जिन छात्र/छात्राओं का नामांकन विद्यालयों में हो चुका है, उन सभी छात्र/छात्राओं को प्रतिधारित करना भी अनिवार्य है और यह तभी सम्भव है जब विद्यालय संबंधी सभी आवश्यक तत्वों एवं सुविधाओं को शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में पूरा करें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के सौजन्य से इस ओर प्रयत्नशील है और प्रयास जारी भी हैं। परन्तु फिर भी इस सम्पूर्ण प्रयास को त्वरित करने की आवश्यकता है।

ड्रॉप-आउट रेट

1987-88 में कक्षा 1-5 तक लड़कियों का ड्रॉपआउट रेट 32% था। जब कि लड़कों के लिए यह केवल 24% था। यद्यपि वर्ष 1992 के ड्रॉप आउट रेट के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु स्थिति में संतोषजनक सुधार दृष्टिगत नहीं होता। वर्ष 1986 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की संख्या यदि प्रथम कक्षा में 100 थी तो कक्षा 5 में 58, तथा 8 में 27, 10 में 10 और 12 वीं में 0.29 पाई गई जबकि शहरी क्षेत्र में यह आकड़े क्रमशः 65, 73, 48 और 10 थे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में नारी शिक्षा के सम्बन्ध में कार्यनीति के निम्नलिखित बिन्दु उभरते हैं :-

- महिलाओं की अंतःक्षेप सकारात्मक भूमिका को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र को त्वरित करने की आवश्यकता है।

- सभी क्षेत्रों में नारियों की स्थिति को सुधारने तथा उनके स्तर को उन्नत करने हेतु शिक्षा संस्थानों के माध्यम से एक सक्रिय कार्यक्रम अपनाना।
 - लिंग पर आधारित मान्यताओं से संबंधित बाधाओं को तोड़कर महिलाओं की शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा तक पहुँच के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
 - वर्तमान में महिलाओं की स्थिति से संबंधित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन पर काबू पाने हेतु एक गतिशील प्रबन्ध की व्यवस्था करना। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हरियाणा सरकार ने इस ओर निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-
- 1- हरियाणा सरकार ने विद्यालयी सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा का निदेशालय का गठन सैकण्डरी शिक्षा निदेशालय से अलग किया है, जिससे प्राथमिक स्तर तथा माध्यमिक स्तर की ओर पूर्ण ध्यान केन्द्रित किया जा सके। इस कड़ी में जिला स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों में सर्वप्रथम प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारी तथा खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं। विद्यालय सुधार कार्यक्रम के तहत सभी जिलों में प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों तथा खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रथम प्रयास से दो, दो राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को अपनाने का निर्णय लिया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 92-93 में 280 विद्यालय तथा चालू पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 96-97 तक कुल मिलाकर 700 राजकीय प्राथमिक विद्यालय अपनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
 - 2- केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजना (आपरेशन ब्लैक बोर्ड) के अन्तर्गत हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से (Rural development department) जो कि जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है, की सहायता से वर्ष 90-91 में 878 अतिरिक्त कमरे तथा 75 शौचालयों का निर्माण कराया गया और 941 अन्य कमरे तथा 65 शौचालयों का निर्माण कराया गया। इसके अतिरिक्त 488 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए ऐसे भवनों का निर्माण किया गया जिसमें प्रत्येक में दो कमरे एक बरामदा तथा शौचालय की व्यवस्था की गई। इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार से नवीं वित्त कमीशन की सिफारिश के आधार पर 4.88 करोड़ रुपये की राशि सहायता के रूप में प्राप्त हुई। बनाए गए भवनों का जिला अनुसार वितरण इस प्रकार है :-

तालिका - 8

राज्य में बनाये गये भवनों का जनपदवार विवरण, 1990 - 91

क्रमांक	ज़िला	बनाए गए भवनों की संख्या
1.	अम्बाला	39
2.	यमुनानगर	13
3.	करनाल	37
4.	पानीपत	37
5.	रोहतक	53
6.	हिसार	42 + 4 अतिरिक्त कक्ष
7.	सिरसा	36
8.	जींद	27 + 2 अतिरिक्त कक्ष
9.	सोनीपत	28
10.	महेन्द्रगढ़	27
11.	फरीदाबाद	29
12.	भिवानी	51
13.	कैथल	6
14.	रिवाड़ी	10
15.	कुरुक्षेत्र	51
16.	गुड़गांव	39

3- हरियाणा राज्य में स्कूली छात्राओं को दी जानेवाली सुविधाएँ :-

- 1- राजकीय विद्यालयों तथा स्नातक कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण कर रही सभी छात्राओं की ट्यूशन फीस पूर्ण माफ।
- 2- अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए मुफ्तवर्दी/दुप्पटा।
- 3- हरिजन/कमजोर वर्ग की छात्राओं के लिए उपस्थिति पुरस्कार (ऑपरचुनिटी कॉस्ट (एव स्टार्टैपैण्ड 15 रुपये एवं 20 रुपये)

- 4- हरिजन/कमजोर वर्ग की छात्राओं के लिए स्टेशनरी इत्यादि मुफ्त देना।
- 5- अनुसूचित जाति की छात्रा को जो कि 9वीं तथा 10वीं कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रही है, को तीन महीने के लिए विशेष कोचिंग।
- 6- 9वीं कक्षा तथा 10वीं कक्षा में पढ़ रही व पढ़ाई में कमजोर सभी छात्राओं को गणित, साइंस, इंग्लिश विषयों का तीन महीने के लिए विशेष कोचिंग।
- 7- योग्यता के आधार पर हरिजन छात्राओं को 30 रु. प्रतिमास छात्रवृत्तियाँ।
- 8- धुमन्तु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन प्रति बच्चे के हिसाब से एक रुपये का प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया है।
- 9- कक्षा 12 की हरिजन छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें मुफ्त प्रदान करना।

4- बुक-बैंक की स्थापना :-

अधिकांश विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना की गई है। इन बैंकों से गरीब तथा पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित वर्ग की छात्र/छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें पूरे सत्र के लिए अध्ययन हेतु दी जाती हैं। सत्र पूरा होने पर ये पुस्तकें पुनः बुक बैंक में जमा करवा दी जाती हैं जिससे आगे आने वाले अन्य छात्र/छात्राएँ इस सुविधा से लाभान्वित हो सकें।

5- अनौपचारिक शिक्षा :-

यद्यपि हरियाणा सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को बन्द कर दिया है परन्तु अनौपचारिक रूप से इस प्रकार के केन्द्र हरियाणा सरकार के निर्देशन में तथा केन्द्रीय सरकार के सहयोग से कार्यरत हैं। मुख्यतः कॉमर्स चैम्बर द्वारा स्थापित पी.एच.डी. प्रोग्राम के अन्तर्गत गुड़गांव जिले में कार्यरत केन्द्र, विभिन्न जिलों में ज्ञान-विज्ञान समिति द्वारा अपनाए गए साक्षरता संबंधी अभियान, फरीदाबाद जैसे नगर में औद्योगिक इकाइयों का संचालन साक्षरता एवं जन जागरण संबंधी कार्यक्रम, श्रमिक विद्यापीठ द्वारा पुरुष/महिला श्रमिकों के लिए अपनाए गए विभिन्न व्यवसायी प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के माध्यम से साक्षरता दर में वृद्धि के लिए प्रयासरत हैं।

- 6- राज्य में महिलाओं के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए निम्नलिखित राजकीय एजेन्सियाँ कार्यरत हैं:-

1- डी.आर.डी.ए. :-

इस एजेन्सी का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को साक्षर करना तथा इनकी आमदनी के स्रोतों में अभिवृद्धि करना है। इस संस्था के माध्यम से 2500 ग्रामीण महिलाएँ कार्य में संलग्न हैं। इस क्षेत्र में 33 ग्राम सेविकाएँ कार्य कर रही हैं तथा कुल रिक्त पद 50 हैं।

2- मेवात विकास प्राधिकरण :-

गुड़गांव ज़िले के अल्प संख्यक क्षेत्र मेवात में जनवरी 1980 में मेवात विकास मण्डल का गठन किया गया। इस मण्डल द्वारा शत प्रतिशत प्रवेश योजना के अन्तर्गत उन ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जाता है जिसमें 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु के अधिकतम बच्चों को दाखिला दिलवाया गया हो। प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये द्वितीय पुरस्कार 7500/- रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 5000/- रुपये है। राशि के नकद पुरस्कार प्रति विकास खण्ड को प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्यालयों के कल्याण के लिए ही किया जाता है। वर्ष 85-86 से इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार देने में उन विद्यालयों को प्राथमिकता दी गयी है जिसमें 6-11 वर्ष के आयु के बच्चों में लड़कियों को दाखिला दिलाने में प्राथमिकता दिखलाई हो और बच्चों की निरंतर उपस्थिति एवं अच्छे परीक्षा परिणाम तथा स्कूल की भलाई के लिए किए गए अन्य कार्य जैसे पेड़-पौधे लगाना व प्रांगण की सफाई आदि में विशेष योगदान दिया हो। किसी कार्य में विशेष योगदान देने वाले अध्यापक/ अध्यापिकाओं को प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार तथा प्रशंसा-पत्र भी दिए जाते हैं।

— मेवात क्षेत्र के गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए 100/- रुपये से 300/- रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रबन्ध भी इस मण्डल द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त अपनी कक्षा या कोर्स में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को 500/- रुपये से 1000/- रुपये तक प्रोत्साहन राशि, पुस्तकें आदि खरीदने के लिए दी जाती हैं। इसी क्षेत्र के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने वाले गरीब छात्रों को प्रतिमाह 45/- रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। इसी क्षेत्र से संबंधित इसी विषय पर अनुसंधान के लिए फ़ैलोशिप की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के शिक्षित बेरोज़गार युवकों को रोज़गार प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी एवं परामर्श हेतु प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले गए हैं। इनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रत्येक युवक को 50/- रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं कोचिंग सामग्री प्रदान की जाती है। यह प्रशिक्षण निःशुल्क है।

— मेवात क्षेत्र में वंचित वर्ग की छात्र-छात्राओं के उचित विकास के लिए मेवात मॉडल स्कूल सोसाइटी द्वारा स्कूल चलाए जा रहे हैं। इस मण्डल द्वारा स्कूलों के भवन निर्माण एवं आर्थिक सहायता का दायित्व संभाला जाता है। प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर इन स्कूलों की स्थापना का प्रावधान है। इन विद्यालयों के विद्यार्थियों की सुविधा हेतु उनको लाने व ले जाने के लिए एक एक बस भी उपलब्ध करायी गई है।

— उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तावडू में मेवात विकास प्राधिकरण (अभिकरण) के प्रयासों के फलस्वरूप राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई है। स्कूल जाने वाली मेवाती छात्राओं को प्रोत्साहन राशि एवं वर्दी की व्यवस्था भी की गई है। यह सहायता गरीबी-रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के छात्राओं को उसी प्रकार दी जाती है जैसे हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग की छात्राओं को प्रदान करती है। इस प्रकार मेवात विकास मण्डल में शिक्षा प्रसार हेतु महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है जिससे इस क्षेत्र से अशिक्षा को जड़मूल निकाल कर फेंका जा सके।

हरियाणा में शिक्षा का विकास : एक अवलोकन :-

- हरियाणा में प्रति एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय, 2.06 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक विद्यालय तथा 2.50 किलोमीटर की परिधि में उच्च विद्यालय हैं।
- 1966 में इस प्रदेश में केवल 45 महाविद्यालय थे जिनकी संख्या बढ़कर अब 135 हो गई है।
- इस समय राज्य में 2356 उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं।
- हरियाणा में 9 स्थानों पर नवोदय विद्यालय हैं जो झज्जर तथा बुटाना (रोहत), खुगाकोठी (जींद), पावड़ा (हिसार), ओटा (सिरसा), छायासा (फरीदाबाद), कनीना (महेन्द्रगढ़), देवराला (भिवानी), तिवरम (कुरुक्षेत्र) में हैं।
- राई में जिला सोनीपत में मोती लाल नेहरू खेल विद्यालय है जहाँ खिलाड़ी छात्र/छात्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- हरियाणा में 3 विश्वविद्यालय हैं। महार्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (रोहतक), कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (कुरुक्षेत्र), कृषि विश्वविद्यालय (हिसार) जो उच्च स्तर पर छात्र/छात्राओं को विभिन्न वर्गों से संबंधित शास्त्रिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा तथा व्यवसायी शिक्षा प्रदान करते हैं। स्नातक स्तर तक ही शिक्षा लड़कियों के लिए निःशुल्क है।
- करनाल जिले में नेशनल डेयरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट है जहाँ योग्य छात्र/छात्राओं को डेरी से संबंधित पाठ्यक्रम, इन्जिनियरिंग तथा अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित डिग्री/डिप्लोमा की शिक्षा प्रदान की जाती है। चिकित्सा तथा इन्जिनियरिंग की शिक्षा हेतु रोहतक में कुरुक्षेत्र, भिवानी, फरीदाबाद तथा मुरथल में इन्जिनियरिंग की शिक्षा हेतु व्यवस्था है।
- हरियाणा में 16 पॉलिटेक्निक, 69 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा 65 वोकेशनल शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान हैं जो विभिन्न व्यवसायों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

विश्लेषण :-

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि हरियाणा राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार ने अनेक सराहनीय कदम उठाये हैं परन्तु शत-प्रतिशत साक्षरता का उद्देश्य भी हम अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अतः हमें अपनी नीतियों तथा उनके तहत चलाये जा रहे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का विश्लेषण करना चाहिए तथा इन कारणों का पता लगा कर वाँछित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए।

इस सम्बन्ध में निम्न विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सकता है।

शिक्षा की माँग में कमी का दृष्टिकोण :-

- गरीब परिवार, वंचित वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग में आम धारणा है कि शिक्षा जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती तब इसको प्राप्त करने का क्या अर्थ रह जाता है। इनका ऐसा मत निम्न वास्तविकताओं पर आधारित है :-
 - अशिक्षा के कारण शिक्षा के महत्व से अनभिज्ञ हैं।
 - शिक्षा इनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सीधे तौर पर सहायक नहीं है।
 - इन परिवारों से बालिकाएँ घर के कामकाज में व्यस्त रहती हैं अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपने माता-पिता की आयोपार्जन में सहायता करती हैं। अतः इन बालिकाओं के लिए औपचारिक विद्यालयों का समय उपयुक्त नहीं है।
 - इन परिवारों में लड़कियों की शिक्षा को लेकर असंगत धारणायें पनप चुकी हैं। अतः वे इनको विद्यालय में भेजना पसंद नहीं करते।

अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त वास्तविकताएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि इन वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा की माँग ही नहीं है।

शिक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति में कमी :-

यदि यह मान लिया जाए कि 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु सीमा तक के सभी बालक/बालिकाओं का नामांकन करा दिया जाएगा तथा इन्हें विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने हेतु रोके रखा जायेगा (प्रतिधारण हेतु) तब क्या हम -

- उने लिए शिक्षा प्रक्रिया में आवश्यक सभी वाँछित संसाधन जुटा पायेंगे? - नहीं।
- पिछड़े क्षेत्र तथा देहाती क्षेत्रों में महिला शिक्षकों के अभाव को दूर कर सकेंगे? - नहीं।

- छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक रूप से विद्यालय एक किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध करा पाये हैं? — नहीं।
- विद्यालयों के वातावरण को छात्र/छात्राओं की रुचि के अनुसार बना पाने में सफल रहे हैं? — नहीं।
- अपने सभी शिक्षकों में छात्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने (रिपर्ट) की भावना को विकसित कर पाये हैं? — नहीं।

इस प्रकार के अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिनका शिक्षा प्रक्रिया से सीधा संबंध है। और इन प्रश्नों का हल हम आज तक नहीं ढूँढ पाये हैं इसका सीधा सा यह अर्थ है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपूर्ति की भी कमी है। अतः माँग तथा आपूर्ति का सिद्धान्त असंतुलित होने के कारण सार्वभौमिक प्रतिधारण एवं उपलब्धि तथा शिक्षा के सार्वभौमिक नामांकन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।

इस सम्बन्ध में यदि यह कहा जाए कि यह उद्देश्य आगामी कुछ वर्षों में पूरा हो सकेगा, मात्र एक स्वप्न है। परन्तु इस ओर आशा और विश्वास के साथ बढ़ना होगा और एक अच्छे भविष्य की कामना लेकर निश्चयात्मक कदम उठाने होंगे :-

- औपचारिक शिक्षा के माध्यम से “सबको शिक्षा” का उद्देश्य पूरा होना दीर्घकालिक निराकरण है। क्योंकि न हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं और न ही सुविधाएँ जुटाने हेतु धन है। अतः वैकल्पिक निराकरण आवश्यक है और यह वैकल्पिक साधन केवल अनौपचारिक शिक्षा है।
- अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर जो शिक्षक रखे जाएँ उनके लिए कन्डीसंड कोर्स की व्यवस्था की जाए।
- डिस्टेंस एज्युकेशन को प्राथमिकता दी जाये, शिक्षकों के अभाव में यह अत्यन्त प्रभावकारी सिद्ध हो सकती है।
- प्रत्येक गाँव में या मण्डल स्तर पर संदर्शन एवं परामर्श इकाईयों की स्थापना की जाए।
- विलेज एजुकेशन कमेटी की स्थापना हर गाँव में की जाये तथा इसकी लड़कियों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा जाए।
- मोबाइल स्कूल की स्थापना की जाये, जो लड़कियों/वंचित वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए, उनके समयानुसार उन तक पहुँच कर शिक्षा प्रदान कर सकें।
- वंचित वर्ग के बच्चों व लड़कियों के लिए, गरीब तथा विकलांग छात्र/छात्राओं के लिए “मेरिट कम मीन्स” के आधार पर छात्रवृत्ति योजना स्वीकार की जाये तथा हरियाणा में मिलने वाली समस्त सुविधाओं व प्रोत्साहन पुरस्कारों की राशि को बढ़ाया जाये जिससे कामकाजी बच्चों की इस रूप में अधिक से अधिक सहायता की जा सके। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य सुझाव भी हो सकते हैं।

महिला एवं बालिका शिक्षा

सन् 1966 से आज तक हरियाणा ने हर क्षेत्र में साधन जुटाने में प्रगति की है। राज्य ने अपनी रजत जयन्ती भी पिछले वर्ष बड़ी ही धूमधाम से मनाई। 25 वर्षों में यह राज्य एक बहुत बड़े पैमाने पर भारत के मानचित्र पर उभर कर आया है। सभी क्षेत्रों में सख्यात्मक तथा गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई है। यह वृद्धि निरन्तर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित भी करती है लेकिन लक्ष्यों की कभी भी सीमा नहीं होती। जहाँ भी लक्ष्य की सीमा बाँधी, वहीं प्रगति रुकी। लक्ष्य का आगे से आगे बढ़ना ही सभी का उद्देश्य होना चाहिए और होता भी है। समय गतिशील है और उसके साथ साथ हमारे प्रयत्न भी गतिशील हैं लेकिन एक ओर जब हम हरियाणा राज्य के बहुमुखी विकास की बात करते हैं और उसकी प्रगति से प्रेरणा प्राप्त करते हैं यहीं हमें दूसरी ओर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर नज़र डालें तो हमें बड़ा ही दुःख होता है और वह क्षेत्र है महिलाओं का।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं के लिए समानता तथा सामाजिक न्याय की बात की है, अपनी पहचान बनाने की बात की है। लेकिन प्रायः महिलाएँ जो कि हमारी कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत हैं क्या अपनी पहचान बना पाई हैं? यह एक वास्तव में बहुत ही गम्भीर एवं विचारणीय प्रश्न है। सबसे पहले तो हम कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करें :-

लिंग अनुपात :

दुनिया के अधिकतर देशों में औरतें मर्दों से अधिक संख्या में हैं लेकिन हमारे देश में यह स्थिति काफी गम्भीर है।

1901 में लिंग अनुपात - 972/1000

1951 में लिंग अनुपात - 957/1000

1981 तक आते आते यह अनुपात 933/1000 रह गया।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 1000 पुरुषों पर 874 औरतें हैं। 19.1.93 की ट्रिब्यून के अनुसार यह अनुपात घट कर 865 हो गया है।

पंजाब में 879, उत्तरप्रदेश में 885, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में 972 है। आश्चर्य तो यह है कि पिछले 80 वर्षों में हालत सुधरने की अपेक्षा बिगड़ी है। आँकड़ों को देखने के बाद पता चलता है कि दक्षिण भारत के राज्यों में लिंग अनुपात बेहतर है। अगर केरल में 1014/1000 लिंग अनुपात हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं। हरियाणा में 1000 पुरुषों के अनुपात में 874 स्त्रियों की संख्या को देखकर मन में यह प्रश्न उठता है कि हरियाणा में ऐसी स्थिति क्यों?

अधिकतर लोगो का यह कहना है कि स्त्रियो की कमी भगवान की ही देन है। यह धारणा गलत है। भगवान की देन मानकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना शोभा नहीं देता। वास्तव में यह सब कुछ हमारे समाज द्वारा रचा हुआ है जो कि हमारे लिए बदलना सम्भव है।


प्रजनन दर :

1981 के आँकड़ों के अनुसार हरियाणा की प्रजनन दर कुल 4.5, ग्रामीण क्षेत्रों की दर 4.9 तथा शहरी क्षेत्रों की 3.3 प्रतिशत है जो कि समूचे देश में दूसरे या तीसरे नम्बर पर है। हमारे देश में वैसे तो लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष है। परन्तु 1981 की जनगणना अनुसार शादी की औसत आयु शहरी में 17.8 और गाँवों में 16.5 वर्ष है। छोटी-2 बच्चियाँ ही नन्ही दुल्हनें तथा नन्हीं माँए बन जाती हैं। नन्ही माताओं का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कार्यक्षमता घट जाती है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। हर एक प्रसव के बाद अनेक आर्थिक कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है, जीवन से हाथ धोने का भय रहता है। अतः प्रजनन दर के प्रभाव तथा छोटी उम्र में शादी के कारण औरतों की अधिक मृत्यु होती है जिसके कारण लिंग अनुपात में भी कमी आना स्वाभाविक है।

भारत में $2\frac{1}{4}$ करोड़ औरतें कम हैं। ऐसा क्यों?

वैसे तो कहते हैं कि प्रकृति ने मादा को अधिक मजबूत बनाया है। हमारे बड़े-बूढ़ों का तो यह कहना है कि लड़की का क्या है, यह तो रुखी सूखी खा कर भी पल जाती है क्योंकि इनमें अधिक संख्या में बीमारी का शिकार लड़के ही होते हैं। पैदा होने के छः महीने की आयु तक हमारे देश में भी लड़के अधिक मरते हैं और यही प्रकृति का नियम भी है। पर हमारे यहाँ 6 महीने की आयु के बाद 35 साल की उम्र तक लड़कियाँ ज्यादा

लिंग अनुपात 1901-1991



मरती हैं। भारत में हर वर्ष 1.2 करोड़ लड़कियाँ पैदा होती हैं। उसमें से 25 प्रतिशत लड़कियाँ 15 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाती हैं। कहने को तो लड़कियों को लक्ष्मी तथा देवी कहा जाता है परन्तु हर साल भारत में 3 लाख लड़कियाँ लड़कों से अधिक मरती हैं। सच बात तो यह है कि लाखों लड़कियों से जीने का अधिकार छीन लिया जाता है जिसे हम देवी कहते हैं, उसकी ही अवहेलना करते हैं। उसके प्रति भेदभाव का रवैया अपनाते हैं। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर लड़कों की 87 प्रतिशत तथा लड़कियों की 119 प्रतिशत है।

लड़कियाँ ही ज्यादा क्यों मरती हैं :-

इसके पीछे कई कारण हैं :-

नवजात बेटी की हत्या

यह तो हम जानते ही हैं कि लगभग सभी घरों में जब बेटा पैदा होता है तो थाल बजाते हैं, चारों ओर का वातावरण खुशी से भर जाता है। जच्चा को अच्छी खुराक दी जाती है, उसकी खूब खातिर होती है। लड़की पैदा होने पर जैसे सभी को साँप सूँघ जाता है। चारों ओर खामोशी छा जाती है। उसकी माँ को चारों ओर से उलाहने दिए जाते हैं, खाने पीने को भी कम दिया जाता है। अगर दो तीन लड़कियाँ लगातार पैदा हो गईं तो उसे तलाक तक भी दे दिया जाता है या बच्ची की हत्या और उसका पति अगर सरकारी नौकर नहीं है, तो दूसरी शादी की सलाह लेने में किसी तरह की हिचकिचाहट महसूस नहीं करता।

भ्रूण हत्या :-

आजकल शहर के तथा शहर के आसपास रहने वाले ग्रामीण लोग बेटियों के साथ दुश्मनी निभाने में एक कदम और आगे है। एक ओर बेटी को कम खुराक, लापरवाही आदि कारण जन्म के बाद ही मार दिया जाता है, दूसरी ओर सेक्स डिटर्मिनेशन के द्वारा पैदा होने से पहले भी मार दिया जाता है। अर्थात् पता लगने पर कि गर्भ में बेटी है तो उसे खत्म करवा दिया जाता है। इस टेस्ट के गलत इस्तेमाल को रोकने के तरीकों पर विचार करने की जरूरत है।

बेटी को पौष्टिक भोजन कम :-

इतनी माँते भ्रूण से या कन्या वध से नहीं होती जितनी माँते बेटियों को कम, कुपोषित भोजन देने से होती है। बहुत से गाँव व शहरों में की गई जाँच पड़ताल से भी यही बात

सामने आई है कि अधिकतर परिवारों में अच्छी एवं पौष्टिक खुराक पुरुषों और पुत्रों को तथा बचा खाना बेटियों और स्त्रियों को मिलता है। कई बार ऐसा भी सोचा जाता है कि अच्छी खुराक देने पर बेटियाँ जल्दी बड़ी हो जायेगी, या फिर लोगों की नज़र में आयेगी। अर्थात् कोई न कोई बहाना बना दिया जाता है। ऐसा नहीं कि यह भेद-भाव वहीं हो जहाँ गरीबी है, खाते-पीते घरों में भी ऐसा पाया गया है। ऐसा भी पाया गया है कि बेटियों को माँए स्तन पान भी कम कराती हैं। कुपोषित भोजन मिलते रहने के कारण वे कमजोर हो जाती हैं और कई बीमारियों का शिकार भी जल्दी हो जाती हैं क्योंकि उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो चुकी होती है।

कम उम्र में शादी :-


लड़कियों की मौत का एक बड़ा कारण यह भी है कि उनकी कम उम्र में शादी हो जाती है। वह कुपोषित व कमजोर होने के कारण और प्रसव के दौरान पूरी खुराक न मिलने के कारण तथा खून की कमी जैसे अनियमित खतरों का शिकार हो जाती हैं। 24 वर्ष से कम आयु में होने वाली मौतों में से 13 प्रतिशत मौतें प्रसव और बच्चे के जन्म के समय होती हैं। छोटी उम्र की माताओं के बच्चे भी अधिक मरते हैं।

लड़कियाँ बीमार ज्यादा - इलाज कम :-


बेटियों के साथ अन्याय का अन्त नहीं है। अगर कमजोरी, कुपोषण और बीमारी ज्यादा होती है तो इलाज भी ज्यादा होना चाहिए। हस्पतालों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि लड़की की देखभाल लड़के की तुलना में कम होती है। बेटियों को केवल आपातकालीन अवस्था में तथा बेटों के जरा से बीमार पढ़ने पर अस्पताल ले जाया जाता है। बेटियों के इलाज पर कम खर्च तथा बेटों के इलाज पर ज्यादा खर्च किया जाता है। ऐसी हालत में निश्चय ही बीमारी ज्यादा और इलाज कम होने से तो लड़कियों और औरतों की मृत्यु दर बढ़ेगी। यही कारण है कि लिंग अनुपात कम हो रहा है।

लड़कियों का शोषण :-

लड़कियों को हमेशा पुरुषों द्वारा शोषण जैसे छेड़खानी तथा बलात्कार का खरता बना रहता है। उनका शोषण घर में, कम उम्र में अधिक काम करके तथा घर से बाहर यौन के शोषण के कारण होता है। काम अधिक खुराक कम के कारण कमजोर और बीमार हो जाती हैं। जानते हुए भी उनके प्रति, उनकी बीमारी के प्रति अनजान बन जाते हैं। नहीं तो घर का काम कौन सम्भालेगा। आराम और इलाज की कमी के कारण भी उनकी मृत्यु जल्दी होती है।



आकृति 13



निरक्षता सब से बड़ी शत्रु :-

जीवन में कुछ कर दिखाने व आगे बढ़ने की तथा अपने व्यक्तित्व को निखारने की प्रत्येक की लालसा होती है। इन सब चीजों के लिए शिक्षा जरूरी है। परन्तु आज़ादी के 44 वर्षों के पश्चात् भी अधिकतर लड़कियों को परम्परागत घरेलू शिक्षा के अलावा कोई अन्य शिक्षा नहीं मिलती है।

खाना कम, इलाज कम, काम ज्यादा, पैसे कम :-

देखने में आया है कि ज्यो ही बच्ची हाथ पैर चलाने लायक होती है, त्यो ही वह नन्हीं बुजुर्ग बना दी जाती है। झाड़ू लगाना, छोटे भाई बहनों की देखभाल करना, कुएँ से पानी लाना, दाल-रोटी पकाना, खेत पर काम करना, डंगर चराना, उन्हें चारा देना, पानी पिलाना आदि जैसे काम उसे दिन निकलने के तुरन्त बाद से रात तक करने पड़ते हैं। लड़कों से कोई भी काम नहीं करवाया जाता। उनका काम केवल खेलने का है। खाते पीते घरों में भी इस दशा में ज्यादा सुधार नहीं है। घर में काम के साथ-साथ वह बाहर का काम भी करती हैं। माँ के साथ खेतों में, सड़क पर पत्थर कूटने, घरों में चल रहे छोटे मोटे धन्धों में भी वह व्यस्त रहती है। वह झाड़ू भी देती है, पतंग बनाती है, जिसे उसके भाई उड़ते हैं। कम पढ़ी लिखी होने के कारण उसे मजदूरी कम और मजदूरी कम के कारण सेहत खराब और सेहत खराब होने के कारण उसकी मृत्यु की सम्भावना बढ़ जाती है।

शिक्षा की अनिवार्यता स्वीकार करने में हिचकिचाहट :- ऐसा क्यों?

— प्रायः परिवारों का ऐसा मत है कि लड़कियों के लिए शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं। उसका क्षेत्र केवल घर है और उनकी धारणा ऐसी है कि लड़की की पढ़ाई में क्या रखा है, शादी ही तो करनी है। घर गृहस्थी चला ले, इतना ही बहुत है। इस रूढ़िवादिता को त्यागने के लिए उसके माता-पिता तैयार ही नहीं होते, यहाँ तक कि पढ़े लिखे मध्यमवर्ग के लोग भी लड़की को तब तक ही पढ़ाते हैं जब तक उसका कही रिश्ता नहीं हो जाता। क्योंकि ये शिक्षा की अनिवार्यता का महत्व नहीं समझते। अतः उसे पढ़ने का समय भी नहीं दिया जाता है।

— माता-पिता स्कूली शिक्षा को फायदेमन्द भी नहीं समझते। उनका कहना है कि ऐसी शिक्षा का उनके जीवन से बहुत कम संबंध होता है।

— गरीब लोग अपनी मजबूरी के कारण बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजते। खर्च बचाने के लालच में वे शिक्षा की अनिवार्यता को स्वीकारने में हिचकिचाते हैं यद्यपि सरकार इस क्षतिपूर्ति के लिए कई प्रकार से प्रोत्साहन राशि देती है परन्तु माँ-बाप यह सोचते हैं कि कुछ न कुछ खर्च तो फिर भी बेटियों पर करना ही पड़ेगा।

- खेतीहर मजदूर लड़कियों को उनके भाई बहनों की देखभाल के लिए घर पर छोड़ देते हैं। माता-पिता तो मजदूरी करने चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर लड़की भी पढ़ने स्कूल चली जाएगी तो घर में माँ-बाप अथवा किसी को रहना पड़ेगा। उस नुकसान को वे सहन नहीं कर सकते। अतः लड़कियों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते।
- अनुसूचित वर्ग की लड़कियों को तो प्रोत्साहन के रूप में छात्रवृत्ति भी दी जाती है, वर्दी का कपड़ा भी दिया जाता है, परन्तु फिर भी वे स्कूल स्कूल छोड़ जाती हैं। माता-पिता सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु इनका नामांकन तो करा देते हैं परन्तु सुविधाओं को प्राप्त करने के बाद उन्हें स्कूल भेजना बन्द कर देते हैं ताकि वे घर बैठकर छोटे भाई बहनों को देखरेख करें। उनकी शादी भी बहुत ही छोटी अवस्था में कर दी जाती है। नन्ही बच्चियाँ नन्ही माँ बन जाती हैं। अपने दृष्टिकोण से ये शायद उन्हें शिक्षित करना ठीक भी सोचते हों परन्तु अपने संकीर्ण दृष्टिकोण को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। अतः बालिकाओं का विद्यालय जाना छूट जाता है। सरकार सभी जाति की लड़कियों को स्कूल लाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन भी दे रही है परन्तु फिर भी किसी प्रकार का उल्लेखनीय सुधार नजर नहीं आता।

महिलाओं की स्थिति :-

महिलाओं की स्थिति को नगण्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी स्थिति के बारे में जानने के पश्चात् ही कल आने वाली महिलाओं के बारे में तथा उनके कल्याण हेतु योजनाओं को निर्धारित कर पाएंगे। अतः महिलाओं की स्थिति पर विचार करना भी अति आवश्यक है। अधिकांशतः महिलाएं बचपन में अपने पिता के घर, विवाह के पश्चात् पति के घर, और वृद्धावस्था में अपने पुत्रों के हाथों से शोषित होती आई हैं। अतः महिलाओं के साथ हर स्तर पर दूसरे नागरिक जैसा व्यवहार किया जाता है। इसका कारण है — हमारा पुरुष-प्रधान समाज।

निर्णय लेने का अधिकार :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की बात की गई है। कितने आश्चर्य की बात है कि जिस गृह की वह स्वामिनी कही जाती है, उसी गृह में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसे कुछ भी नहीं मालूम। उसकी भूमिका केवल एक गुलाम की सी है। किसी मामले में भी उसकी सलाह नहीं ली जाती। उसके विकास से सम्बन्धित सभी फैसलों में भी उससे कुछ नहीं पूछा जाता अर्थात् उसकी डोर दूसरों के हाथों में है। उसकी आवश्यकताएँ गौण हैं ही उसकी राय भी गौण है या गौण समझी जाती है।

पंचायतों में/राजनीति में पुरुष प्रधानता :-

जब स्त्रियाँ देश की जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत भाग है तो क्या बात है कि पंचायत से लेकर राज्य और राष्ट्र की राजनीति में पुरुष छाए हुए हैं। वे ही सभी फैसले करते हैं।

महिलाओं के काम का कोई महत्व नहीं :-

महिला सारा दिन प्रातः से लेकर देर रात तक घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती है। गाँवों में वह खेतों में कितने ही काम करती है, लेकिन उसके काम का कोई मूल्य नहीं आँका जाता।

आइए ज़रा नज़र डालें कि वह घर में तथा बाहर कौन-2 से काम करती है :-

घर के कार्य	घर से बाहर के कार्य, जिसमें उसे कोई पैसा नहीं मिलता
बच्चे पैदा करना	कृषि
बच्चे पालना	अनाज साफ करना
घर की सफाई	रोपण
भोजन के लिए सामान खरीदना	गुड़ाई करना
भोजन तैयार करना	खेतों में खाद डालना
कपड़े धोना	फसल काटना
बर्तन साफ करना	छाँटना
नए कपड़े सीना, पुरानो की मरम्मत	भरना
बीमार की देखभाल	सुखाना
घर के सभी सदस्यों के प्रति प्यार एवं गरिमा	

- महिलाएँ कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत भाग हैं।
 - 24 घण्टों में से वे 16 घण्टे काम करती हैं।
 - जायदाद के एक प्रतिशत से भी कम हिस्से की वे मालिक हैं।
 - पूरी आय का केवल 10 प्रतिशत भाग उसके हिस्से में आता है।
- इतना कुछ होने के बावजूद भी भारत में स्त्रियों पर कितने ही अत्याचार हो रहे हैं।

संचार माध्यमों की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कन्याओं तथा महिलाओं के प्रति सवेदनशील होने की बात भी कही गई है। इस सदर्भ में महिलाओं तक उनके प्रति समानता की बात को गाँवों तक पहुंचाने के लिए संचार माध्यमों को एक सशक्त साधन माना है जिसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। देखने में आ रहा है कि ये साधन विज्ञापनों को आकर्षित बनाने के लिए महिलाओं के रंगरूप का सहारा लेते हैं जो कि भड़काऊ होते हैं और पुरुषों को असामाजिक रूप में प्रभावित करते हैं।

— दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले नाटको, चल-चित्रों में महिलाओं के साथ असामाजिक तत्वों की प्रताड़ना को अधिक से अधिक उभार कर दर्शाया जाता है। इन माध्यमों द्वारा अधिकतर सभी कार्यक्रमों में महिलाओं की कमजोर, आत्मसमर्पित, दबी तथा आज्ञाकारणी छवि को बढ़ावा दिया जाता है। उनके योगदान तथा उपलब्धियों को अगर नकारात्मक ढंग से न दिखाकर सकारात्मक ढंग से दिखाया जाए तो यह कार्यक्रम काफी प्रभावशाली होंगे और महिलाओं की छवि सुधरेगी।

अतः टी.वी. तथा फिल्म निर्माता तथा निर्देशकों को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वे महिलाओं की सकारात्मक छवि बनाने में एक सशक्त भूमिका निभा सकें।

अपनी पहचान के प्रति आस्था :-

अधिकांश तौर पर महिलाएँ शोषण, कुपोषण, बाल विवाह, खोये बचपन तथा लापरवाही से इतनी तंग आ जाती हैं कि वे यह सोचने लगती हैं कि क्यों पैदा हुईं। मर जाती तो अच्छा था। यह भावना उनके मन में जीवन के प्रति नकारात्मक भाव को उत्पन्न करती है। उसके निराकरण हेतु शिक्षा एक ऐसा यन्त्र है जो उसे इस समस्या से उभार सकता है।

उपचारात्मक कदम :-

प्रशासनिक

महिलाओं के प्रति हो रहे इस भेदभाव, शोषण आदि को समाप्त करने हेतु सरकार निम्नलिखित कार्य कर रही है :-

- ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने, मानव संसाधन विकसित करने और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पठन/पाठन सामग्री तैयार करवाई जा रही है।
- महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने हेतु महिला और पुरुषों के वर्तमान रुख तथा मूल्यों में परिवर्तन लाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
- पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों में विद्यमान पूर्वाग्रहों तथा योजना निर्माताओं को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं ताकि वे महिला-पुरुष में समानता लाने के लिए सकारात्मक मध्यस्थ भूमिका निभा सकें।

स्वयं सेवी/स्वतः संस्थाएँ :-

महिलाओं की शिक्षा का महिलाओं की शक्ति से अटूट सम्बन्ध है। स्त्री-पुरुष समानता तथा स्त्रियों के प्रति सामाजिक न्याय की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है। इस संदर्भ में सरकार तो महत्वपूर्ण कदम उठा ही रही है, साथ ही साथ स्वयं सेवी तथा स्वतः संस्थाएँ भी इस दिशा की ओर अग्रसर हो रही हैं। ये संस्थाएँ सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं कि महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने के लिए महिला और पुरुषों के वर्तमान दृष्टिकोण और मूल्यों में परिवर्तन लाया जाए।

शिक्षा बालिकाओं में अनेक अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रदान करेगी। उन्हें सबल, समर्थ तथा सशक्त महिलाओं के रूप में विकसित होने में सहायक होगी। अतः शिक्षा के माध्यम से—

- महिलाओं में आत्म सम्मान तथा आत्म विश्वास की वृद्धि होगी।
- समाज, राजनीति, व अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को मान्यता मिलेगी और महिलाओं की सकारात्मक छवि बनेगी।
- महिलाओं में समालोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास होगा।
- निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा।
- महिलाओं में आत्मनिर्भरता के लिए सूचना, ज्ञान आदि प्राप्त करने की क्षमता विकसित होगी।
- महिलाओं में उनके अधिकारों से संबंधित कानूनी जानकारी प्राप्त करने की क्षमता विकसित होगी।
- महिलाएँ विकासशील भारत को विकसित करने में राजनीतिक में प्रवेश कर, अपना पूरा सहयोग देकर सशक्त भूमिका निभाएंगी।

नियोजन एवं प्रबंधन — बालिका शिक्षा के लिए

इस संदर्भ में हम तीन स्तरों पर चर्चा कर सकते हैं :-

1. हरियाणा में बालिकाओं की शिक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं।
2. उद्देश्य की पूर्ति में कमी कहाँ रह गई है? — एक अवलोकन
3. कमियों को दूर करके, उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली युक्तियों पर विचार।

अतः सर्व प्रथम हमें हरियाणा की वर्तमान स्थिति से परिचय करना होगा —

1. हरियाणा में महिलाओं की स्थिति :-

- हरियाणा की कुल जनसंख्या 16.32 लाख है जिसमें 8.71 लाख पुरुष तथा 7.61 लाख महिलाएँ हैं।
- हरियाणा के शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 4.05 लाख है जिसमें 2.17 लाख पुरुष तथा 1.88 लाख महिलाएँ हैं।
- हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 12.27 लाख है जिसमें 6.54 लाख पुरुष तथा 5.73 लाख महिलाएँ हैं।
- इस प्रकार औसत रूप से हरियाणा में, शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की संख्या, कुल संख्या का 46.6 प्रतिशत है।

1.1 महिलाओं की साक्षरता दर :


- हरियाणा राज्य में साक्षरता दर 55.32 प्रतिशत है। पुरुषों की साक्षरता दर 67.84 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 40.94 प्रतिशत है जो कि हरियाणा की साक्षरता दर से 26.91 प्रतिशत कम है।
- साक्षरता के क्षेत्र में हरियाणा राज्य का देश में 21 वाँ स्थान है, जबकि केरल का प्रथम स्थान है। पुरुष साक्षरता का 16वाँ स्थान है तथा महिला साक्षरता का 23वाँ स्थान है।
- ग्रामीण क्षेत्र में महिला साक्षरता की दर शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर की 50 प्रतिशत है जो कि अत्यन्त कम है।

1.2 जन्म दर तथा मृत्युदर :-

हरियाणा में 1971, 1986 तथा 1991 में जन्म दर 42.4 प्रतिशत, 35.3 प्रतिशत तथा 34.8 प्रतिशत रही है तथा मृत्यु दर क्रमशः 9.9 प्रतिशत, 8.7 प्रतिशत तथा 8.4 प्रतिशत रही है। इन आँकड़ों से ज्ञात होता है कि जन्मदर तथा मृत्यु दर दोनों ही घट गई हैं।

साक्षरता

1961 - 1991



* सात वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या

शादी की औसत उम्र :-

वर्ष 1971 एव 1981 के आँकड़ों के अनुसार देश में पुरुषों की शादी की औसत आयु क्रमशः 22.36 तथा 23.27 रही है जबकि हरियाणा में यह आयु 20.52 तथा 21.67 रही है। इसी प्रकार महिलाओं की शादी की औसत आयु 1971 एव 1981 में क्रमशः 17.16 तथा 18.22 रही है। जबकि हरियाणा में यह आयु 16.84 तथा 17.87 रही है।

परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की शादी की औसत उम्र 1991 के आँकड़ों के अनुसार 16.5 तथा शहरी क्षेत्र में यही आयु 18.4 वर्ष है।

आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि गाँवों में कन्याओं का विवाह शीघ्र ही कर दिया जाता है।

लिंग अनुपात :-

1991 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में यह अनुपात 874/1000 है। दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों में यह अनुपात अधिक है। केरल में 1040/1000, उड़ीसा में 972/1000 तथा पॉडुचेरी में 982/1000 है। हरियाणा में यह अनुपात कम है, यह प्रश्न भी अधिक चिन्तनीय है।

बालिकाओं की स्थिति

बालिकाओं को विद्यालय की उपलब्धता

हरियाणा में एक किलोमीटर की परिधि के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी की परिधि के अन्तर्गत अपर प्राथमिक विद्यालय बालिकाओं को उपलब्ध है। अतः प्राथमिक स्तर तथा अपर प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा बालिकाओं की पहुँच के अन्तर्गत है।

मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या :-

वर्ष 1966-67 (141003) से वर्ष 1990-91 (365750) की अवधि में पूर्व प्राथमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालयों में सभी वर्ग की बालिकाओं की संख्या में 1/16 गुना वृद्धि हुई है जो कि 159.39 प्रतिशत है तथा अनुसूचित वर्ग की बालिकाओं की इसी अवधि में (8396-99725) 11 गुना वृद्धि हुई है जो कि 1087.67 प्रतिशत है। अतः सभी वर्ग की छात्राओं के प्रवेश संख्या में वृद्धि हुई है। परन्तु अनुसूचित वर्ग की छात्राओं के प्रवेश में आशातीत वृद्धि नहीं हुई है।

2.3 मान्यता प्राप्त विद्यालयों में महिला शिक्षकों की संख्या :-

- वर्ष 1967 से 1990 तक की अवधि में अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या 0.32 लाख से बढ़कर 0.74 लाख हो गई है। महिला अध्यापिकाओं की संख्या इस अवधि में 0.08 लाख से बढ़कर 0.30 लाख हो गई है। यद्यपि इस अवधि में विद्यालयों में अध्यापको की वृद्धि निरंतर होती रही है परन्तु छात्राओं की वृद्धि के सापेक्ष में शिक्षकों/महिला शिक्षकों की नियुक्ति में वृद्धि अधिक नहीं हुई है।

2.4 छात्र अध्यापक अनुपात :-

- प्राथमिक स्तर पर यह अनुपात वर्ष 66-67 में 43 था तथा वर्ष 90-91 में 46 रहा है। अतः इस अवधि में 6.97 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण शिक्षक की गुणवत्ता में कमी आई है। जिस अनुपात में छात्रों की संख्या बढ़ी है, उस अनुपात में शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ी है। अतः स्तरानुसार गुणवत्ता में कमी आई है।

2.5 साक्षरता दर :-

- 1981 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 5 वर्ष से 10 वर्ष के आयुवर्ग की लड़कियों की साक्षरता दर 25.80 प्रतिशत तथा लड़कों की साक्षरता दर 55.36 प्रतिशत रही है।
- 10 वर्ष से 15 वर्ष के आयुवर्ग की लड़कियों की साक्षरता दर 25.81 प्रतिशत तथा लड़कों की साक्षरता दर 58.57 प्रतिशत रही है।
- इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि लड़कियों की साक्षरता दर में वृद्धि इस अवधि में नगण्य रही है और लड़कों की साक्षरता की दर से बहुत ही कम रही है। अतः 1991 के संदर्भ में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में प्रगति सन्तोषजनक नहीं हुई होगी।

3- बालिकाओं का स्तर

3.1 परिवार में :-


अधिकांश परिवारों में बालिका -

- एक नहीं मजदूरिन है।

हरियाणा स्कूली स्तर पर महिला अध्यापक

1970-71 TO 1990-91

प्राइमरी
 उच्च प्राइमरी
 हाई स्कूल



- छोटे भाई बहिनों की देखरेख के लिए मुफ्त सेवादार है।
- कुपोषण की शिकार है।
- पराया धन समझी जाती है।
- कम उम्र में ब्याह दी जाती है।
- जन्म लेते ही कोसी जाती है।
- भाईयों के खाना खाने के बाद ही भोजन करने की हकदार है।
- भेदभाव की शिकार है।
- माता-पिता द्वारा अबला समझी जाती है।
- विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने को तरसती है। यद्यपि उसके माता-पिता उसे शिक्षा दिलाने में समर्थ हैं।
- लिंग भेद के कारण अनेक पाबंदियों को सहती है।
- आम तौर से अस्वस्थता की हालत में इलाज से वंचित रह जाती है।

3.2 समाज में :-

यह आम धारणा है कि बालिकाएँ :-

- जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं हैं।
- नेतृत्व करने में अयोग्य हैं।
- जोखिम पूर्ण कार्यों को करने में असमर्थ हैं।

समाज बालिकाओं को -

- प्रतिबन्धित सीमाओं में विकसित होने को उचित समझता है।
- बालकों से सहयोग लेने तथा उनको सहयोग देने, एवं उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है।

यह सभी वास्तविकताएं बालिकाओं के स्तर को निर्धारित करती हैं कि वह परिवार में, समाज में किन कुठारों के साथ विकसित हो रही है? विचार किया जाए -

4- शिक्षा की अनिवार्यता को स्वीकार करने में हिचकिचाहट क्यों?

एक विश्लेषण :-

- अधिकांश परिवार लड़कियों के लिए शिक्षा को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते उनकी

राय में शिक्षा लड़कों को ही लेनी चाहिए, लड़कियों को गृहस्थी का काम काज चलाने के लिए ही जिम्मेदार मानते हैं। इस रूढ़िवादिता को ये त्यागने को तैयार नहीं होते।

- पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग भी कन्या को तब तक पढ़ाने की सोचते हैं, जब तक उसका कहीं रिश्ता तय नहीं हो जाता। शादी के बाद उसे पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता। उनका उद्देश्य केवल शादी करना ही होता है।
- गरीब परिवार के लोग बालिकाओं को अपनी मजबूरी के कारण विद्यालय में शिक्षा हेतु नहीं भेज पाते, ये खर्च बचाने के लालच में, इस अनिवार्यता को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। यद्यपि सरकार क्षति पूर्ति के रूप में प्रोत्साहन भी प्रदान करती है।
- खेतिहर मजदूरों के परिवारों की लड़कियाँ अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख के लिए घर पर रहती हैं तथा माता-पिता मजदूरी करने चले जाते हैं। यदि लड़की विद्यालय पढ़ने जायेगी तो माता-पिता में से किसी एक को कार्य छोड़ना पड़ेगा तथा इस स्थिति में उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा, जिसे वे उठाना नहीं चाहते। अतः वे लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजना चाहते।
- अनुसूचित वर्ग की लड़कियों को यद्यपि प्रोत्साहन के रूप में छात्रवृत्ति दी जाती है, वर्दी का कपड़ा दिया जाता है फिर भी वे विद्यालय छोड़ जाती हैं। माता-पिता का उद्देश्य विद्यालय में लड़कियों का नामांकन कराकर इन सुविधाओं को प्राप्त करना होता है। ये बालिकाएँ घर पर बच्चों की देखरेख के लिए रुक जाती हैं, घर के काम काज में हाथ बटोने हेतु रुक जाती हैं। माता-पिता विद्यालय से इन लड़कियों की अनुपस्थिति को जानते हुए भी उन्हें स्कूल भेजने को ज़ोर नहीं देते। उनकी कम उम्र में ही शादी कर देते हैं। अपने इस दृष्टिकोण से ये ऐसा करना उचित समझते हैं।

5- राज्य सरकार के सराहनीय कदम

हरियाणा सरकार ने राज्य में लड़कियों की शिक्षा को त्वरित गति प्रदान करने हेतु विशेष कदम उठाये हैं :-

- विशेष प्रोत्साहन योजनाओं के द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति की छात्राओं को मुफ्त वर्दी, मुफ्त स्टेशनरी तथा मुफ्त पुस्तकें प्रदान करना।
- हरिजन छात्र जो 9 वीं से 12 वीं कक्षाओं में पढ़ते हैं, को स्टार्डपेंड देना (माता पिता आयकर न देते हों)।

- विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक स्तरीय छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- 6वीं से 8वीं तक पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों को आजीविका से वंचित रहने पर क्षतिपूर्ति के रूप में 15/- रुपये मासिक अवसर मूल्य लाभ देना।
- विमुक्त/टपरीवास जाति के छात्रों को 6वीं से 8वीं तक 15/- रुपये प्रतिमास छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 16/- रुपये प्रतिमास छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- विद्यालय में बुक बैंक की स्थापना करके छात्र/छात्राओं को पुस्तकें उपलब्ध कराना।
- सस्ते दाम पर सभी छात्रों को स्टेशनरी उपलब्ध कराना।
- ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन स्कीम के अन्तर्गत नये विद्यालयों को खोलना तथा नये अध्यापकों की नियुक्ति करना एवं आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना।
- प्राथमिक स्तर की शिक्षा के प्रसार तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाने एवं सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अलग से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन।
- जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्यों का भली भाँति संचालन हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को नियुक्त करना।
- प्राथमिक विद्यालयों में प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य तथा प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन हेतु हेड अध्यापकों की नियुक्ति।
- सेवा पूर्ण तथा सेवाकालीन अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना।
- विद्यालयों के वातावरण को रुचिकर बनाने के लिए अध्यापकों को उत्साहित करने हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना।

6— हरियाणा की सम्पन्नता

हरियाणा राज्य हर प्रकार से सम्पन्न है। हरियाणा ने अभी हाल ही में रजत जयंती मनायी है तथा अपनी प्रगति का प्रदर्शन जिला स्तर पर प्रदर्शनी के माध्यम व उत्सवों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। हर क्षेत्र में प्रगति हुई है, परन्तु इस सम्पन्नता के बावजूद भी शिक्षा क्षेत्र में हम साक्षरता के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं। यद्यपि हम अपने विद्यालयों में बालकों का लगभग 113 प्रतिशत नामांकन तथा 90 प्रतिशत के लगभग बालिकाओं का नामांकन करने में सफल हो पाये हैं, परन्तु

इसे प्रतिधारण करने में अभी सफलता नहीं मिली है। अतः शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु विशेष कर सब बालिकाओं के लिए शिक्षा हेतु नियोजन एवं प्रबंधन करना अनिवार्य हो जाता है।


7- बालिकाओं की शिक्षा हेतु नियोजन - सार्वभौमीकरण के लिए सहायक


- नियोजन की आरोही प्रक्रिया

बालिका को "वैयक्तिक इकाई" माना जाए तथा इस इकाई को विद्यालय में लाकर (नामाकर कर) उसे प्रतिधारित किया जाए तो समाज की हर इकाई शिक्षित हो जायेगी। इस प्रकार इकाई से समाज शिक्षित होगा तथा समाज से राज्य। अतः नियोजन की इस आरोही प्रक्रिया से लक्ष्य तक पहुंचा जाये।

इस प्रक्रिया के क्रियान्वन में शिक्षको द्वारा क्षैतिज घटको का सहयोग लिया जाये। जैसे :-
गाँव के घर घर से बालिकाओ को व्यक्तिगत सम्पर्क कर "वैयक्तिक इकाई" के रूप में विद्यालय लाना तथा उनका नामांकन करना। प्रतिधारण हेतु - "वैयक्तिक इकाई" के माता-पिता/अभिभावक से सम्पर्क रखना तथा बालिका को विद्यालय में भेजते रहने का परामर्श देते रहना। विद्यालय में रुचि कर वातावरण तैयार करने में समुदाय का सहयोग लेना। कक्षा के अन्य छात्र/छात्राओं को "वैयक्तिक इकाई" के साथ मैत्रिक सम्बन्ध बनाने हेतु प्रेरित करना।

उपर्युक्त "नियोजन" का मॉडल निम्न रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है :-





7.1 नियोजन के क्षेत्रिय घटक

7.1.1 (अ) वैयक्तिक इकाई ---- शिक्षक/शिक्षिका ---- माता-पिता/अभिभावक/समुदाय

शिक्षक शिक्षा द्वारा माता-पिता/समुदाय से निरंतर सम्पर्क रखा जाए -

- छात्राओं की जानकारी हेतु
- संसाधनों की पूर्ति हेतु
- विद्यालयी पर्वों में सम्मिलित होने हेतु
- ग्रामीण विकास मण्डल से सहयोग प्राप्त करने हेतु
- छात्राओं की पारिवारिक समस्याओं के निदान हेतु
- छात्राओं के विद्यालय न आने की स्थिति में अभिभावक माता-पिता को शिक्षा की अनिवार्यता बताने हेतु
- लड़को व लड़कियों को समान भोजन, कपड़ा, सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु इत्यादि।

शिक्षक/शिक्षिका द्वारा वैयक्तिक इकाई से निरन्तर सम्पर्क रखा जाए —

- छात्राओं के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने हेतु
- उनकी रुचियों एवं अभिरुचियों को समझने हेतु
- उनके प्रति स्नेहमयी व्यवहार प्रदर्शन हेतु
- कक्षा कक्ष/विद्यालय में घरेलू वातावरण उत्पन्न करने हेतु
- विद्यालय में रोजाना उपस्थिति होने के लिए प्रेरित करने हेतु
- छात्राओं के अधिगम स्तर को परखने तथा निदान कर उचित उपचार करने हेतु
- ड्राप आऊट न करने के लिए प्रेरित करने हेतु

7.1.2 (ब) वैयक्तिक इकाई ---- शिक्षक/शिक्षिका ---- कक्षा कक्ष के अन्य छात्र/विद्यालय के अन्य छात्र

शिक्षक/शिक्षिका द्वारा छात्रों में समता एवं समानता का भाव विकसित करने हेतु —

- छात्र/छात्राओं को खेल खेलने के लिए समान अवसर प्रदान कराये जाये।
- कक्षा में सफाई कराते समय छात्र/छात्राओं को समान रूप से सम्मानित किया जाए।
- छात्र/छात्राओं को कक्षा कक्ष में अलग अलग न बैठकर मिला जुला कर बिठाया जाए।
- मौखिक प्रश्नों को पूछते समय लड़के लड़कियों दोनों को सम्मिलित किया जाए
- बालसभा में लड़के/लड़कियों दोनों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए
- पाठ्य वस्तु पढ़ाते समय लिंग समानता, छोटे परिवार के प्रति जागरूकता, पर्यावरण के प्रति चेतना भाव जैसे विषयों पर लड़के तथा लड़कियाँ दोनों को चर्चा करने के समान अवसर दें।

7.1.3 (स) विद्यालय स्तर पर हैडटीचर द्वारा नामांकन, प्रतिधारण, ड्राप आऊट से संबंधित आंकड़े रिकार्ड किए जाये। ये आँकड़े अगले सत्र के लिए नियोजनार्थ प्रयोग किए जाये।

7.1.4 (द) अगले सत्र में ड्राप आऊट छात्राओं को पुनः विद्यालय में लाया जाए तथा नया नामांकन किया जाये एवं प्रतिधारण हेतु प्रयास किए जायें। इस प्रकार यही क्रम जारी रखा जाये।

7.2 नियोजन के उर्ध्वाधर घटक —

किसी भी गाँव की सभी लड़कियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा तक क्षैतिज घटकों की सहायता से उसी गाँव के विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिका द्वारा उस गाँव के लिए सार्वभौमीकरण

की शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जाये। यही क्रियान्वन खण्ड के प्रत्येक विद्यालय तथा प्रत्येक गाँव के लिये अपनाया जाये। जब हर खण्ड की सभी लड़कियाँ प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कर पायेंगी तो जिला तथा राज्य की सभी लड़कियाँ स्वतः ही शिक्षित होती जायेंगी।

नियोजन के अनुसार —

हर गाँव, विद्यालय में हर लड़की शिक्षा प्राप्त कर रही हो



तब स्वतः ही हर तहसील/खण्ड में सभी लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रहीं होंगी



तब स्वतः ही हर जिले में सभी लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही होंगी।



तब सम्पूर्ण राज्य में सभी लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रहीं होंगी



इस प्रक्रिया का निरंतर चलना अनिवार्य है।

8. बालिका शिक्षा हेतु प्रबन्धन :-

हरियाणा राज्य में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की क्वांटिटी, क्वालिटी के तथा इक्वलटी के रूप में अवलोकन किया जाए।

8.1 शैक्षिक सार्विकी के प्राप्त आँकड़ों का अवलोकन करने के उपरान्त क्वांटिटी के सन्दर्भ में यह स्पष्ट है —

- विद्यालयों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, छात्र/छात्राओं की संख्या, विद्यालय से बाहर बालक/बालिकाओं की संख्या, छात्र/छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं की संख्या, इत्यादि में वृद्धि हुई है।
- विद्यालय में नामांकन बढ़ा है। इससे शिक्षक छात्र नियति, मानक नियति से बढ़ गई है जो क्वालिटी को प्रभावित करती है।
- अतिरिक्त अध्यापकों के पदों को बढ़ाने तथा उन पर नियुक्ति करने की आवश्यकता है।

- वर्तमान में लगभग प्राथमिक अध्यापकों के राज्य में 2000 पद रिक्त हैं। छात्र/छात्राओं के और नये नामांकन के पश्चात् यह संख्या और भी बढ़ सकती है।
- नये दाखिले हुए छात्र/छात्राओं हेतु सुविधाओं की संख्याओं में भी वृद्धि होती है। इन सभी मुद्दों के निराकरण एवं प्रबन्धन में प्रशासन का उत्तरदायित्व है। प्रशासन द्वारा इस प्रबन्धन/निराकरण में एक लम्बी अवधि व्यतीत हो जायेगी और सरकार पर आर्थिक दबाव भी पड़ेगा और इस तरह हरेक के लिए भविष्य का इन्तज़ार करना मूर्खता है। परन्तु प्रयास करते रहना चाहिए। अतः वर्तमान में जो संसाधन उपलब्ध हैं तथा एग्जस्टिंग सिस्टम जैसा है, उसी के अन्तर्गत रह कर प्रबन्धन हेतु सामंजस्य करना होगा।

8.2 क्वालिटी के सदर्भ में :-

- यह निश्चित है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है।
- यह कमी कुछ शिक्षकों में कर्तृत्व के प्रति निष्ठावान न रहने के कारण माता-पिता का बालकों की शिक्षा में रुचि न लेने के कारण, राजनीति हस्तक्षेप के कारण, समुदाय तथा स्थानीय गुटबाज़ी के कारण और अधिक प्रभावी बन गई है।
- यह कमी उद्देश्य की पूर्ति में बाधक ही नहीं, घातक भी है।
अतः इसके लिए प्रबन्धन की आवश्यकता है। यह प्रबन्धन विद्यालयी स्तर से क्रियान्वित किया जाये और ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जाये। यदि ग्राम शिक्षा समिति कार्यरत नहीं है, तब हर गाँव में इसका गठन किया जाये।
- ग्राम शिक्षा समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित किए जायें -
 - 1- प्रधान (सरपंच)
 - 2- सदस्य
 - 1- महिला सदस्य
 - 1- सेवानिवृत्त कर्मचारी
 - 1- स्वयं सेवी संगठन का एक सदस्य
 - 4- विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिका
- कक्षा स्तर/विद्यालय स्तर पर प्रशासकीय प्रबन्धन के अतिरिक्त अन्य मदों से सम्बन्धित प्रबन्धन में ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग प्राप्त किया जाये।
- विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व, उत्सव, मेले, प्रतियोगिता आदि के आयोजनों में शिक्षक सदस्य, ग्राम शिक्षा समिति को समुदाय के रूप में सहभागी बनाये। ऐसे अवसरों पर समिति से विद्यालयी क्रिया कलापों का अनौपचारिक निरीक्षण करवाकर कमियों का आकलन करवायें। इन कमियों को विभागीय अधिकारियों से, समुदाय से सम्पर्क कर दूर करने हेतु प्रयास किया जाये।

- शिक्षक के अभाव में यह समिति समुदाय के किसी भी व्यक्ति को जो सेवानिवृत्त है तथा पढ़ा लिखा है या ऐसा युवा जो पढ़ा लिखा है परन्तु व्यवसाय में नहीं है, को प्रेरित कर एक विकल्प के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाये।
- समुदाय से प्राप्त हो सकने वाले मानवीय संसाधनों व भौतिक संसाधनों का उपयोग विद्यालय को अपनी आवश्यकता के अनुसार जब भी मौका मिले, कर लिया जाये। इकाई जितनी छोटी होती है, प्रबन्धन उतना ही सरल तथा सार्थक होता है। अतः प्रबन्धन विद्यालय स्तर पर ही किया जाये। यह प्रबन्धन निश्चय ही व्यवहारिक होगा।

8.3 इक्वलिटी के संदर्भ में :-

बालिकाओं को समता तथा समानता (इक्वलिटी तथा इक्वलिटी) के भाव की शिक्षा प्रदान करने हेतु पुनः विद्यालयी प्रबन्धन ही श्रेयष्कर है। विद्यालय के शिक्षक किसी भी योजना को लागू करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो जाएँ तो वे निश्चित ही योग्य शिक्षक हैं और अपनी कर्तव्यनिष्ठा एवं गरिमा को स्थायी बनाये रखने में समर्थ हैं। यदि योजना को लागू करने में रुचि नहीं लेते तो विभाग आदेशात्मक भाषा का उपयोग कर, बलपूर्वक उस योजना को क्रियान्वित कराने का प्रयास करता है, परन्तु ऐसी योजना के सफल होने में आशंका रहती है क्योंकि क्रियान्वन इच्छा के विपरीत किया गया है। जो कार्य रुचि लेकर स्वेच्छा से किया जाता है उसका प्रभाव स्थायी होता है तथा उसके प्रतिफल उपयोगी होते हैं। विद्यालय स्तर पर प्रबन्धक (शिक्षक) स्वयं ही प्रबन्धन की जिम्मेदारी निभायेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी।

अतः शिक्षक द्वारा प्रबन्धन के अन्तर्गत -

- शिक्षण-प्रशिक्षण में, पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करते समय - बालिकाओं को बालकों के समान ही हर क्षेत्र में अवसर प्रदान किए जाये।
- कक्षा नियंत्रण में बालिकाओं को भी "मानीटर" बनाया जाये
- पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में बालकों के साथ-साथ बालिकाओं को भी भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाये तथा उन्हें भाग लेने हेतु अवसर प्रदान किए जायें।
- खेलकूद के, कला शिक्षण व से प्रतियोगिताओं के आयोजन के माध्यम से बालिकाओं तथा बालकों में समता तथा समानता के भाव को विकसित किया जाये। कुछ प्रतियोगिताओं का संचालन लड़कियों द्वारा कराया जाये।
- समुदाय और बालिकाओं के परिवार के सहयोग से बालिकाओं को सभी क्रियाकलापों में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाये।

8.4 प्रबन्धन में निर्देशन हेतु :-

हरियाणा में खण्ड, ज़िला तथा निदेशालय स्तर पर महिला शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की जाये। इन प्रकोष्ठों का कार्य, इस क्षेत्र में करने वालों को प्रेरणा देना तथा उपलब्धियों के मूल्यांकन का कार्य सौंपा जाये। इन सभी प्रकोष्ठों का आपस में समन्वय भी होना चाहिए। अतः राज्य स्तर पर, एक संयोजक भी नियुक्त किया जाये, जो बालिका शिक्षा के सभी आयामों में समन्वय स्थापित कर सके।

समाज में शिक्षा की आवश्यकता को, शिक्षक ही पूरा कर पायेगा। “वैयक्तिक इकाई” का संरक्षक “शिक्षक” ही है, शिक्षक की नियोजन कर्त्ता है, तथा शिक्षक ही प्रबंधकर्त्ता है। अतः उसका व्यक्तिगत बहुमूल्य सहयोग “वैयक्तिक इकाई” को शिक्षित बनाकर ही रहेगा।

अन्तःक्षेप — पाठ्यक्रम शिक्षण में

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत, स्कूली कक्षाओं के छात्र/छात्राओं को जो विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने होते हैं, उनमें दस केन्द्रित तत्वों का समावेश है :-

- भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास
- संवैधानिक उत्तरदायित्व
- राष्ट्रीय पहचान के पोषक पाठ्यक्रमीय विषय
- भारत की समान सांस्कृतिक विरासत
- प्रजातंत्र एवं धर्म निरपेक्षता
- लिंग समानता
- पर्यावरण संरक्षण
- सामाजिक अवरोधों की समाप्ति
- छोटे परिवार के मानदण्ड को स्वीकार करना
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास

प्राथमिक स्तर पर निम्न विषयों को पढ़ाया जाता है — (पाँच वर्षीय)

- एक भाषा (मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा)
- गणित
- पर्यावरण परिवेश अध्ययन भाग-1, भाग-2
- कार्यानुभव
- कला शिक्षण
- स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

उच्च प्राथमिक स्तर पर विषयों को पढ़ाया जाता है — (तीन वर्षीय)

- तीन भाषाएँ
- गणित
- विज्ञान
- समाज विज्ञान
- कार्यानुभव
- कला शिक्षण
- स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शिक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए —

- महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा
- अनुसूचित जातियों की शिक्षा
- शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य क्षेत्रों में वर्गों की शिक्षा
- अल्प संख्यकों की शिक्षा
- विकलांग/बालको/बालिकाओं की शिक्षा

सामाजिक भेदों और विषमताओं को दूर करने तथा समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने हेतु कदम उठाये जायें —

महिलाओं की समानता के लिए —

- स्त्री शिक्षा पर विशेष बल देना
- महिलाओं को पुरुषों के समान व्यावसायिक अवसर प्रदान करना

अनुसूचित जाति, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े समुदाय तथा अल्पसंख्यकों के लिए —

- उपयुक्त प्ररकों का प्रयोग करना
- अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करना

विकलांगों के लिए —

- विकलांग छात्र/छात्राओं को अन्य सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना।

- विकलांग छात्र/छात्राओं की शिक्षा के सहायता हेतु स्वयंसेवी संगठनों से सम्पर्क करना तथा योगदान प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना।
उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हरियाणा राज्य के विद्यालयों में शिक्षा के दौरान अध्यापकों द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं और उठाये जा रहे हैं -

पाठ्य पुस्तकों का उदयतन तथा पुनर्निरीक्षण -

- अध्यापकों द्वारा पाठ्य पुस्तकों का निरीक्षण/अवलोकन कराया जाता है तथा भाषा, गणित, परिवेश अध्ययन भाग-1 तथा भाग-2 पुस्तकों के अन्तर्गत लिंग-भेद, वर्ग असमानता, साम्प्रदायिकता जैसी कमियों के क्षेत्रों को बारीकी से छूँट कर उन्हें दूर किया जाता है।
- जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागरूकता को विकसित करने हेतु विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में इससे सम्बन्धित विषय वस्तु का समावेश किया जाता है।
- पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में यथा स्थान संसोधन किया जाता है।
- ऑपेशन ब्लैक बोर्ड से सम्बन्धित किट सुविधाओं का शिक्षण में पूर्ण प्रयोग करते हैं।

कला - शिक्षण -

अध्यापक/अध्यापिका कक्षाओं में छात्रों को :-

- चित्रकारी में सहयोग देते हैं
- खिलौने/गुड़ियाँ बनाने में सहयोग देते हैं।
- बालसभा का आयोजन कर छात्र/छात्राओं से कविता पाठ, नाटक मंचन, मोनोएक्टिंग, हास्य विनोद जैसी सहपाठी क्रियाओं को कराने पर बल दिया जाता है।

कार्यानुभव शिक्षण -

अध्यापक/अध्यापिका कक्षाओं में छात्र/छात्राओं को -

- विद्यालय प्रांगण तथा कक्षा की सफाई रखने के लिए उत्साहित करते हैं।
- शारीरिक सफाई/व्यक्तिगत सफाई के लिए प्रेरित करते हैं।
- व्यर्थ एवं कम लागत की वस्तुओं को प्रयोग कर उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

- भाषा, गणित, सामाजिक एवं विज्ञान विषयों में छात्र/छात्राओं से चार्ट बनवा कर कक्षा कक्ष की दीवारों पर प्रदर्शन करवाते हैं। इसी प्रकार शिक्षण सहायता सामग्री तैयार करने के लिए प्रेरित करते हैं।

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा —

- छात्र/छात्राओं की रुचि अनुसार खेल खिला कर उसके शारीरिक विकास में सहायक बनते हैं।
- खेलों के आयोजन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य के निर्माण में सहायक होने के साथ अनुशासन एवं सहकारिता के भाव को भी विकसित करते हैं।
- अल्पदृष्टि व कम सुनने वाले छात्र/छात्राओं को शिक्षण के समय कक्षा में आगे बैठा कर, उनके अधिगम में सहायक होते हैं।
- प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में स्वास्थ्य संबन्धी बातें बताकर, छात्र/छात्राओं को उन पर अमल करने को प्रेरित करते हैं।
- खण्ड, जिला तथा राज्य स्तर पर विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं के आयोजन में सहायता करते हैं तथा छात्र/छात्राओं को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं तथा प्रशिक्षण भी देते हैं।

नैतिक तथा सामाजिक शिक्षा —

- नैतिक मूल्यों के विकास हेतु प्रार्थना सभा में भाषण, उपदेश आदि देते हैं।
- छात्र/छात्राओं के अच्छे कार्यों की प्रशंसा कर, उन्हें अच्छे कार्य करने को प्रेरित करते हैं।
- कला शिक्षण कार्यानुभव शिक्षण तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के माध्यम से छात्र/छात्राओं में सहभागिता का विकास करते हैं।
- नेतृत्व की भावना को विकसित करने हेतु बालसभा का आयोजन कर छात्रों को कविता, कहानी, चुटकले तथा गीत सुनाने को प्रेरित करते हैं।
- समग्रानुसार विद्यालयों में राष्ट्रीय पर्व, त्यौहार, उत्सव आदि का आयोजन कर छात्र/छात्राओं को अपनी संस्कृति व विरासत से परिचित कराते हैं।
- पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों को पढ़ने से अनेक नैतिक मूल्यों का अकुरण होता है।

पाठ्यक्रम में वर्णित उपरोक्त 'शिक्षक अन्तःक्षेप', सीधे एवं प्रत्यक्ष है। कुछ ऐसे भी शिक्षक अन्तःक्षेप हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम से संबंधित हैं :

- शिक्षक, विद्यालय प्रबन्ध एवं विद्यालय संचालन से संबंधित आवश्यक सुविधाओं के अभाव में समुदाय के ससाधनों को प्राप्त कराने में सहयोग देते हैं।
- शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने हेतु क्रियाशील रहते हैं।
- छात्र/छात्राओं की समस्याओं को पहचान कर, उनका निदान करते हैं।
- कमजोर छात्र/छात्राओं को अलग से समय प्रदान करते हैं।
- बीच में स्कूल छोड़ने वाले सम्भावित छात्रों की ओर ध्यान देते हैं।
- विद्यालय के विकास हेतु, छात्र/छात्राओं की समस्याओं के निदान हेतु अभिभावकों तथा समुदाय से सम्पर्क रखते हैं।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा, सम्पूर्ण शिक्षा क्रम का आधार है। अतः प्राथमिक स्तर की शिक्षा का सार्वभौमीकरण नितांत आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब हर बाला पढ़ी लिखी हो। यही बाला कल की महिला होगी जो पढ़ी लिखी होने के कारण अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पायेगी और राष्ट्र को योग्य नागरिक प्रदान करेगी। अतः महिला के स्तर के उन्नयन, छात्राओं के शिक्षा स्तर व उनकी शैक्षणिक प्रगति के लिए शिक्षकों को पाठ्यक्रम के माध्यम से कुछ अतिरिक्त कदम उठाने चाहिए ताकि छात्राओं को समानता एवं समता के लिए शिक्षित किया जा सके। इस सम्बन्ध में सुझाव इस प्रकार है —

अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा —

- प्रार्थना सभा से लेकर कक्षा, बाल सभा, बाल मेले, पर्वों, उत्सवों तक पाठ्य सहगामी क्रिया कलाओं व पर्यटन आदि में बालिकाओं को बालकों के समान ही, समान सुविधाएँ और समान अवसर प्रदान किए जाएँ। अतः छात्र/छात्राओं को —
 - (अ) सहशिक्षा के रूप में पढ़ाया जाए।
 - (ब) लिंग भेद को ध्यान में न रखा जाए बल्कि उनकी शारीरिक मानसिक क्षमता, योग्यता व रुचि का ध्यान रखा जाए।
 - (स) बाल सभा के नाटकों में अभिनय छात्र/छात्राओं से संयुक्त रूप से कराये जायें।
 - (द) छात्राओं में व्याप्त भीरुता, लज्जा, संकोच, हिचकिचाहट की भावना को समाप्त करने का प्रयास किया जाये।
 - (य) ऐसे पाठ तैयार किए जायें जिनमें जीवन की विविधता दिखाकर हर स्तर पर और हर स्थिति में बालक, बालिकाएँ, पुरुष और महिलायें समान महत्व रखें और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में चरितार्थ हों।
 - (र) महापुरुषों तथा पुरुष जीवन के साथ-साथ महान नारियों के बारे में भी बताया जाए, जैसे शिवाजी — जीजा बाई — गौतम बुद्ध — यशोधरा, महात्मा गाँधी — कस्तूरबा, जवाहरलाल नेहरू — कमला नेहरू, राम — सीता, लक्ष्मण — उर्मिला।

हिन्दी शिक्षण

1	2	3	4	5
कक्षा स्तर	केन्द्रीय भाव	दृष्टिकोण का विकास	विषय विद्या	प्रक्रिया
प्राथमिक स्तर	1- बालक/बालिकाओं में समानता की भावना।	शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुकूल कार्य विभाजन किया जाए, न कि बालक बालिकाओं के आधार पर।	कहानी, एकांकी नाटक, कविताएँ चित्र/चार्ट आदि के द्वारा।	- छात्र/छात्राओं के मध्य भेदभाव के आधार पर कोई उदारता या अनुदारता न दिखाई जाये। - भोजन के लिए दोनों को एक ही समय दिया जाये। - कक्षा में उन्हें मिले जुले समूह में बैठाया जाये।
	2- विभिन्न व्यवसायो, कार्य क्षेत्रों स्त्री पुरुष दोनों को समान अवसर प्रदान करने पर बल।	शारीरिक एवं मानसिक क्षमता तथा योग्यता के आधार पर कार्यक्षेत्र के चयन का समान अवसर प्रदान किया जाये।	पाठों में छात्रों के चुनाव आदि के अवसर पर स्त्री पुरुष विभेद न किया जाए।	- बाल मेले के अवसर पर बालक/ बालिकाओं को समान कार्यभार सौंपा जाये। - स्थानीय परिवेश से साहसी बालक/बालिकाओं के उदाहरण रखे जायें।
				- राजनीति, खेल, विज्ञान आदि क्षेत्रों में प्रसिद्ध पुरुषों के साथ-साथ प्रसिद्ध महिलाओं के नाम भी बताये जायें।

- 3- आत्म विश्वास बालक बालिकाओं में विभिन्न पाठों, नाटकों, एवं आत्म परस्पर सहयोग एवं कहानियों, कविताओं के निर्भरता की सहकारिता के समान द्वारा समानता की भावना का विकास के अवसर। भावना को जाग्रत करने का प्रयास।
- 4- नारी में नारी को जननी तथा कल्पना और यथार्थ पर स्वाभिमान की बहन के रूप में आधारित कहानियों, भावना को उभारा जाए और छात्र/सस्मरण, कविताएँ, जागृत करने का उनके नाटक संवाद आदि के प्रयास के लिए द्वारा इस दृष्टिकोण का विकास करना कि नारी का प्रयास किया जाये। अबला न होकर सबला है।
- छात्र/छात्रा दोनों को खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समान अवसर दिए जायें।
- लड़के/लड़की के विभेद को प्रोत्साहन न दिया जाये।
- बालिकाओं के प्रति हीन भावना का प्रदर्शन न किया जाये।
- शिक्षक, शिक्षण के समय प्रसंगी एवं उदाहरणों में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाले
- स्वाभिमान एवं सम्मान को प्रदर्शित करें।
- शिक्षक स्वयं अपने दृष्टिकोण तथा व्यवहार में भी नारी के प्रति उचित सद्भाव को प्रदर्शित करें। आदि।

विज्ञान शिक्षण (परिवेश अध्ययन भाग - 2)

1	2	3	4	5
प्राथमिक स्तर	परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा सम्बन्धित कार्यों का महत्व समान होता है।	श्रम के प्रति आस्था	माँ का घर "परिवार" से रह कर घर का कार्य करना उतना ही महत्व रखता है, जितना पिता का नौकरी करना। हमारे चारों ओर पौधे तथा जन्तु	शिक्षक बताये कि घर के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का उतना ही महत्व है, जितना कि अन्य सदस्यों का।
	बालक बालिकाओं की समान भागीदारी तथा सामूहिक जिम्मेदारी।	सह भागिता के समान अवसर प्राप्त करने एवं सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास "लिंग भेद" के आधार पर बालक बालिकाओं में भिन्नता को स्वीकार न करना।	"जीव-निर्जीव"	शिक्षक बताये कि पालतू जानवरों को घर के पुरुष व महिलाएँ दोनों ही सम्भालते हैं।
	बालक बालिकाओं की शारीरिक भिन्नताओं के बावजूद, न कोई श्रेष्ठ है और न कोई हीन, दोनों ही समान है।			वाद विवाद के माध्यम से शिक्षक समझाने का प्रयास करें।

व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्वच्छता के प्रति चेतना।

स्वयं को स्वच्छ रखना तथा घर को स्वच्छ रखने की हर सदस्य की जिम्मेदारी है।

“हमारा स्वास्थ्य”

— शिक्षक समझाये कि — बालक/बालिकाएँ जब कपड़े धोती है तो माँ को सहयोग देना चाहिए। घर की सफाई में एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए।

— अपने घर के आसपास भी सफाई रखने में पड़ोसियों को सहयोग देना चाहिए। आदि।

गणित शिक्षण —

प्राथमिक स्तर

घर के संचालन में घर के सभी सदस्यों की संयुक्त जिम्मेदारी है।

संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना का विकास।

“समस्त-कार्य”
“जोड़ना, घटाना”

— शिक्षक इस प्रकार के प्रश्नों को हल करवाये —
माँ के अस्वस्थ होने के कारण, सावित्री तथा उसके बड़े भाई को क्रमशः रोज़ाना 2 घंटे 15 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट कार्य करना पड़ा। कितने अधिक समय तक सावित्री के बड़े भाई को अपनी बहन से अधिक कार्य करना पड़ा।

सामाजिक बुराईयों के प्रति चेतना जागृत करना।	दहेज देना व लेना दोनों अपराध हैं।	“भाग”	शिक्षक इस प्रकार से प्रश्नों को हल करवाये - पूर्णिमा के पिता श्री गोपाल सिंह को दहेज देने के आरोप में अदालत ने 450 रु. का दण्ड दिया तथा उसके ससुर श्री मोहन लाल को रु. 1350 दहेज लेने के अपराध में दण्ड दिया। बताओं पूर्णिमा के ससुर की, पूर्णिमा के पिता से कितना गुना अधिक दण्ड मिला है। शिक्षक इस प्रकार के प्रश्नों को हल करवाये - कल्पना को लाटरी जीतने के फलस्वरूप 10,000/- रु. प्राप्त हुए। उसने सोने चाँदी के गहने न खरीद कर 9% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष तक बैंक में जमा
राष्ट्रीय संसाधनों को सुरक्षित रखने तथा उनमें वृद्धि करने के प्रति चेतना बढ़ाना।	निर्णय लेने की योग्यता में विकास	“ब्याज”	

सामान्य शिक्षण कार्य

कराने का निर्णय लिया। बताओ कल्पना को 5 वर्ष बाद ब्याज का कितना रुपये मिलेगा? आदि।

परिवेश अध्ययन भाग - 1 शिक्षण

प्राथमिक स्तर शारीरिक क्षमता एवं योग्यता के आधार पर पुरुष व महिलाएँ समान हैं। पुरुष व महिलाओ में, समानता की भावना विकसित करना।

शिक्षक "विद्यालय", "स्वास्थ्य सुविधाएँ" "गोंव पंचायत" के माध्यम से समझाये कि सभी क्षेत्रों में नारियों पुरुषों की तरह नेता, डाक्टर, सरपंच, इंजीनियर, समाज सेविका आदि के काम में उभरती रही है और अब भी ऊभर रही है। अतः दोनों ही समान रूप से प्रशंसनीय है।

लड़कों के साथ-साथ लड़कियों को भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के बारे में जागृत करना।

लड़के लड़कियों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना।

शिक्षक विद्यालय, परिवेश से, समुदाय तथा पुस्तकों से उदाहरण देकर अपने कथन की सार्थकता को स्पष्ट करें।

अनेक वीरांगनाओं की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी देना।

स्वतन्त्र भारत के इतिहास की प्रत्यास्मरण करकर, छात्राओं में अबला भाव के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।

माता-पिता की सम्पत्ति पर लड़के व लड़कियों का समान अधिकार है, का जानकारी देना। महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेने के लिए प्रेरित करना।

लड़कियों को लड़कों के समान, समानता के भाव को उजागर करना। लड़कियों को लड़कों के समान अवसर प्रदान करना।

शिक्षक पाठ्य वस्तु पढ़ाते समय प्रसागिक विवेचना करे।

—सम—

शिक्षक छात्राओं को हाऊस कैप्टन, स्टूडेंट कौंसिल का सभापति तथा कक्षा में मानीटर बनने का समान अवसर प्रदान करे।

—सम—

आदि।

उपरोक्त प्रस्तावित शिक्षण के अतिरिक्त बालक/बालिकाओं के विकास एवं उन्नयन हेतु शिक्षकों को निम्न पग आवश्यक रूप से उठाने होंगे :-

- छात्र/छात्राओं के साथ मैत्रीपूर्ण सामंजस्य स्थापित कर उनकी समस्याओं का पता लगा कर, निदान करना होगा।
- बालक/बालिकाओं के लिए सुधारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी होगी।
- छात्र/छात्राओं की उपलब्धियों का निरंतर मूल्यांकन करना होगा।
- छात्र/छात्राओं के शिक्षण कार्य में सुधार हेतु प्रयत्नशील रहना होगा।
- पूरक अधिगम्य सुविधाएँ जुटानी होंगी।
- पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले सम्भावित छात्र/छात्राओं की ओर विशेष ध्यान देना होगा।
- मेधावी छात्र/छात्राओं तथा कमजोर छात्र/छात्राओं हेतु अलग से अधिक समय देना होगा जिनसे उनका विश्वास और दृढ़ हो।
- छात्र/छात्राओं के न्यूनतम अधिगम स्तर हेतु प्रयास करना होगा।
- कक्षा में जाने से पूर्व अधिगम क्रियाओं हेतु शिक्षण की रुचिकर एवं प्रभावी योजनाएँ बनानी होंगी।
- प्रतिदिन कक्षा शिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना होगा।

हिन्दी (कक्षा एक से पाँच)

सामान्य-समीक्षा

हरियाणा राज्य की कक्षा एक से पाँच तक की हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों का पुनरवलोकन करने पर पता चलता है कि ये पुस्तकें “स्त्री-पुरुष-समानता” के सदर्थ को ध्यान में रखकर बनायी गयी हैं और कुछ पाठ्य पुस्तकें तो लिंग भेद से लगभग मुक्त हैं। इन पुस्तकों में महिलाओं के आर्थिक योगदान, उनकी बुद्धिमत्ता तथा अधिकार को कथा/लेखों/कविताओं के माध्यम से उजागर किया गया है। कुछ खेलों में भी उन्हें हिस्सा लेते दिखाया गया है। कुछ कहानियों में महिला पात्र प्रधान हैं, कुछ में उन्हें व बालिकाओं को पुरुषों तथा बालकों के साथ दिखाया गया है। परन्तु कहीं-कहीं असमानता रह गयी है, जैसे अधिकतर चित्रों में बालक/पुरुष दिखाये गये हैं। चाहे वे त्यौहार मनाने के चित्र हों अथवा रोज़ की दिनचर्या। बाहर घूमने (जैसे मेले आदि में जाना) अथवा मनोरंजन करते हुए बालक का ही वर्णन है, जबकि यह अधिकार बालिका का भी है। हमारा समाज बालिकाओं को इस अधिकार से वंचित रखता है। अतः पुस्तकों के माध्यम से उनको, उनका यह हक मिलना

ही चाहिये। किसान के रूप में केवल पुरुष का ही वर्णन है जबकि कृषि कार्यों में महिलायें भी समान रूप से भागीदार हैं, पुस्तकों में यह भी परिलक्षित किया जाना चाहिये। अध्यापन क्षेत्र में काफी महिलायें हैं परन्तु अधिकतर जगह पुरुष ही अध्यापक दिखाये गये हैं। कुछ पुस्तकों में पुरुष/बालक प्रधान पाठ बहुत अधिक हैं। स्त्री व पुरुष तथा बालिका व बालक दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे पाठों का चुनाव भी किया जाना चाहिए जिससे महिलाओं/बालिकाओं की बहुमुखी प्रतिभा का अनुमान हो सके। इन पुस्तकों में गीता एक सलौनी बाला, अधिकार व धनिया की बुद्धिमत्ता आदि इस दिशा में सराहनीय प्रयास हैं।

हिन्दी -1

पाठ	टिप्पणी	सुझाव
पाठ - 13	रमेश मेला देखने गया। बालक को मेले में मनोरंजन करते दिखाया गया है जबकि बालिका को घर पर दिखाया गया है।	मनोरंजन बालक/बालिका दोनों का हक है। बालकों को भी दिखाना चाहिये था।
पाठ - 14	पाठ बालक पर है	बालक/बालिका — दोनों होने चाहिए।
पाठ - 15 पेज 27	चित्र में बालकों को होली खेलते दिखाया गया है।	त्यौहार बालक-बालिका, स्त्री-पुरुष मिलकर मनाते हैं। अतः चित्रों में भी ऐसा ही दिखाया जाना चाहिये।
पेज 28	पुरुष पात्रों की प्रधानता है।	धोबिन-धोबी, दोनों ही धुलाई अथवा प्रेस करते हैं।
पाठ - 16	उपयुक्त है।	
पाठ - 19	पाठ के द्वारा दिखाया गया संदेश "माँ-बाप का कहना मानो" तो उत्तम है परन्तु पाठ में केवल बालक ही दिखाया गया है।	ऐसे पाठों द्वारा बालकों में यह भावना दृढ़ होगी कि बाहर जाना व खेलना उनका अधिकार है साथ ही बालिकाओं में हीन भावना का विकास होगा

पाठ	टिप्पणी	सुझाव
पाठ - 23	सभी चित्रों में बालक की दिनचर्या दिखाई गयी है।	ये सभी कार्य बालिकाओं के लिये भी उतने ही जरूरी हैं, जितने बालकों के लिए/अतः चित्रों में उन्हें भी सम्मिलित किया जाना चाहिये।
अभ्यास-1	हल जोतते किसान का चित्र है। उपयुक्त है।	हल जोतने के अलावा कृषि में और बहुत से काम होते हैं जिन्हें महिलाये करती हैं, का वर्णन भी होना चाहिये।
अभ्यास-2		

हिन्दी - 2

पाठ	टिप्पणी	सुझाव
हमारी प्रतिज्ञा	पाठ उत्तम है।	—
पाठ - 6	उत्तम है।	—
पाठ - 5 (साहसी बालक) पाठ-9 (घीसाराम) पाठ-10 (डाकिया) पाठ-11 (ईमानदार लकड़हारा) पाठ-13 (दया)	ये सभी पाठ पूर्ण रूप से बालक/पुरुष प्रधान हैं।	ऐसे पाठों का चुनाव किया जाये, जिनमें बालक/बालिका दोनों का विवरण हो।
पाठ-14 (दादी माँ) पाठ-16 (राखी) पाठ 23 (आजादी)	पाठ उपयुक्त है। परन्तु महिलाओं को परम्परागत भूमिकाओं में ही दिखाया गया है।	कुछ ऐसे पाठों का चुनाव किया जाना चाहिये जिनमें महिला पात्र प्रधान हों, साथ ही उन्हें नवीन रूपों में दिखाया गया हो।

पाठ	टिप्पणी	सुझाव
पाठ-3	पाठ में बालक मुख्य पात्र है। अध्यापक भी पुरुष है।	बालिकाओं को भी शामिल किया जा सकता था। अध्यापिकाओं की संख्या बहुत है। अतः पुस्तकों में भी यह परिलक्षित किया जाना चाहिये।
पाठ-7	पाठ में बालक ही प्रधान है।	बालिकाएँ तथा स्त्रियाँ भी मेला देखने जाती है। यदि नहीं जाती तो उन्हें ले जाना चाहिये। अतः पुस्तकों के ऐसे विवरणों में बालक/बालिका दोनों को शामिल करना चाहिये।
पाठ-9	पाठ अच्छा है।	
पाठ-13 कबड्डी	पाठ के चित्र में लड़कें ही दिखाये गये हैं। विवरण में भी बालक ही हैं।	कबड्डी लड़कियाँ भी खेलती है, इसका विवरण भी होना चाहिये। ऐसे चित्रों में बालक-बालिकाये दोनों को दर्शाना चाहिये।
पाठ-20	होली के चित्र में केवल बालक ही है।	
पाठ-22 मेहनत का फल	पाठ का कथानक अच्छा है। इसमें एक ग्रामीण बालक को अपने परिश्रम तथा माता-पिता के सहयोग से आई.ए.एस. परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते बताया गया है। इससे ग्रामीण बालको का उत्साह बढ़ेगा।	प्रतिभा की ग्रामीण बालिकाओ में भी कमी नहीं है। उनको अवसर ही नहीं दिये जाते हैं। अतः उनका उत्साह बढ़ाने की अधिक आवश्यकता है।

हिन्दी भाग - 4

	पुस्तक लगभग लिंग असमानता से मुक्त है।	
पाठ-2	धनिया की बुद्धिमता	विशेष रूप से सराहनीय प्रयास है।
पाठ-5	गीता एक सलोनी बाला	
पाठ-10	सखी को पत्र	
पाठ-19	खो-खो का मैच	
पाठ-23	यादवेन्द्र उद्यान पिजौर	

हिन्दी भाग - 5

पुस्तक लगभग लिंग असमानता से मुक्त है।

अधिकतर कहानियाँ उत्तम हैं। यह महिलाओं के आर्थिक योगदान तथा उनके साहस को उजागर करती है। ऐसी और कहानियाँ/लेखों की आवश्यकता है।

गणित (कक्षा 2 से 5)

सामान्य समीक्षा

गणित की पुस्तकों में बालक/बालिका, स्त्री/पुरुष सभी पर प्रश्न हैं, परन्तु बालिकाओं/स्त्रियों पर प्रश्नों की संख्या बालक/पुरुषों पर प्रश्नों की अपेक्षा बहुत कम है।

महिलाओं की आर्थिक भूमिकाओं को प्रगट करने वाले प्रश्नों की संख्या बहुत कम है। मजदूर, किसान, दुकानदार, बुनकर सभी पुरुष दिखाये गये हैं। जबकि यह सच्चाई नहीं है। घर का कार्य करने के साथ-साथ महिलायें मजदूरी व कृषि कार्य भी बहुतायत में करती हैं और पुस्तकों में यह दिखाया जाना अति आवश्यक है। आज महिलायें दुकानदार भी हैं, क्रय-विक्रय के बहुत से कार्य करती हैं, तथा बैंक से लेन देन भी करती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलायें सहकारी समितियाँ तथा दुग्ध उत्पादन संस्थान आदि चलाती हैं। घर की आमदनी का लेखा जोखा रखती हैं व बचत करती हैं। पुस्तकों के माध्यम से उनकी इन भूमिकाओं की चर्चा की जानी चाहिये।

गणित की सभी पुस्तकों में धन सम्बन्धी प्रश्नों में महिलाओं को बहुत कम दिखाया गया है। इससे बालिकाओं में ऐसा विश्वास दृढ़ होगा कि स्त्रियाँ/बालिकायें धन सम्बन्धी

कार्य करने में अथवा हिसाब-किताब रखने में सक्षम नहीं है, जबकि यह सत्य नहीं है। अतः पुस्तकों के माध्यम से इस असमानता को दूर किया जाना चाहिये।

गणित भाग -2

पुस्तक में बालक/बालिका, स्त्री/पुरुष दोनों पर प्रश्न हैं, परन्तु बालक/पुरुषों पर प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है।

महिलाओं को आर्थिक भूमिकाओं में बहुत कम दिखाया गया है। क्रय-विक्रय सम्बन्धी प्रश्नों में भी महिलायें बहुत कम दिखाई गयी हैं।

गणित भाग -3

प्रश्नावली/पाठ	टिप्पणी	सुझाव
प्रश्नावली 8	लगभग सभी प्रश्न बालक/पुरुषों पर हैं। दुकानदार, किसान, खरीददार विक्रयकर्ता, बैंक होल्डर सभी पुरुष हैं।	महिलायें मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, क्रय-विक्रय का कार्य भी करती हैं तथा बैंक में खाता भी खोलती हैं। अतः गणित विषय द्वारा उनके आर्थिक योगदान का उल्लेख किया जाना चाहिए।
प्रश्नावली 10	दो उदाहरण तथा चार प्रश्न पुरुष/बालकों पर हैं, केवल एक में महिलाओं का वर्णन है।	रुपये, पैसे और धन सम्बन्धी प्रश्नों में महिलाओं/बालिकाओं के उदाहरण भी दीजिये।
प्रश्नावली 11	सभी प्रश्न तथा एक मात्र उदाहरण पुरुषों पर हैं।	क्रय-विक्रय के उदाहरणों में महिलाओं को भी सम्मिलित कीजिये।
प्रश्नावली 18-19	पुरुषों/बालकों पर बहुत अधिक प्रश्न हैं, जबकि लड़कियों/महिलाओं पर केवल दो प्रश्न हैं।	प्रश्नों की संख्या की असमानता दूर कीजिये।

गणित भाग - 4

सम्पूर्ण पुस्तक में बालिकाओं/स्त्रियों पर प्रश्नों की संख्या बालकों/पुरुषों की अपेक्षा काफी कम है। महिलाओं/बालिकाओं के ऊपर केवल तीन प्रश्न हैं, जबकि पुरुषों/बालकों के ऊपर 21 प्रश्न हैं।

मजदूर, किसान, दुकानदार के रूप में महिलाओं की पहचान नहीं करायी गई है। उन्हें केवल उपभोक्ता के रूप में ही दिखाया गया है।

गणित भाग -5

प्रश्नावली	टिप्पणी	सुभाव
प्रश्नावली 9	एक मात्र उदाहरण तथा तीन प्रश्न बालकों/पुरुषों पर हैं। महिलाओं पर एक भी प्रश्न नहीं है।	महिलाओं पर भी प्रश्न दीजिये।
प्रश्नावली 21	मजदूरों पर दो प्रश्न हैं, दोनों में पुरुष मजदूर हैं।	महिला मजदूरों की कमी नहीं है। अतः प्रश्नों में भी यह बात आनी चाहिये।
प्रश्नावली 38	तीन प्रश्न मजदूरों पर हैं। सभी में पुरुष हैं। बाज़ार/डाकखाने जाने के लिए भी बालक को ही चुना गया है।	महिला मजदूरों पर भी प्रश्न दीजिए। बाज़ार जाने/डाकखाने बैंक आदि के कार्यों में बालिकाओं को दिखाइये।
प्रश्नावली 39-40	मजदूर, बढ़ई पर 10 प्रश्न हैं। सभी पुरुष हैं।	इस असमानता को दूर करने के लिए महिलाओं पर भी प्रश्न दीजिये।
इकाई 10	सभी उदाहरण बालक/पुरुषों पर हैं।	बालिकाओं/महिलाओं पर प्रश्नों की संख्या बढ़ाइये। महिलाओं को घरेलू

प्रश्नावली 41

महिलाओं पर दो उदाहरण हैं, दोनों में उन्हें परम्परागत घरेलू कार्यों से अतिरिक्त दिखाया गया है।

कार्यों के साथ-साथ अन्य रूपों में भी दिखाइये जैसे महिला दुकानदार महिला कार्यकर्ता, महिला किसान, महिला मजदूर आदि। घरेलू कार्यों में पुरुषों को शामिल कीजिये क्योंकि ये जिम्मेदारी दोनों की है।

प्रश्नावली 42

परीक्षा सम्बन्धी प्रश्नों में केवल बालक ही दिखाये गये हैं। गणित विषय में केवल बालक का वर्णन है।

शिक्षा दोनों ही लेते हैं, स्कूलों में दोनों ही होते हैं। गणित विषय में बालिकाएँ भी पीछे नहीं हैं। यह और बात है कि उन्हें इस विषय पर अधिक ध्यान देने का या तो समय नहीं दिया जाता अथवा माँ बाप या अध्यापक उन्हें यह विषय पढ़ने के लिये उत्साहित नहीं करते। इन सामाजिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बालिकाओं का उत्साह, शिक्षा तथा गणित विषय बढ़ाने के लिए उन पर अधिक प्रश्न दिये जाने चाहिये।

इकाई 11

लाभ हानि पर दो उदाहरण हैं, दोनों पुरुषों पर है।

महिलाओं पर भी उदाहरण दीजिए।

प्रश्नावली 46

पुरुष दुकानदार पर 4 प्रश्न हैं, महिलाओं पर प्रश्न नहीं हैं।

महिलाओं पर भी प्रश्न दीजिये। महिलाएँ सब्जी विक्रेता हैं, फल विक्रेता हैं, कृषि भंडार चलाती हैं तथा अन्य छोटी-बड़ी दुकानदारी करती हैं।

प्रश्नावली 46

क्रय विक्रय वाले प्रश्न में पुरुषों पर 10 प्रश्न तथा महिलाओं पर केवल दो प्रश्न हैं।

इस तरह के प्रश्नों में महिलाओं को भी सम्मिलित कीजिये।

प्रश्नावली 48

ब्याज के प्रश्नों में 6 प्रश्न पुरुषों से सम्बन्धित हैं, जबकि केवल एक ही प्रश्न में महिला को बैंक से लेन-देन करते दिखाया या है।

आज के बदलते परिवेश में महिलाये धन, सम्पत्ति, बैंक आदि सभी कार्य करती हैं। अतः प्रश्नों से उन्हें इन कार्यों में दिखाने की आवश्यकता है।

इकाई-15

पृष्ठ-135

विद्यार्थियों के पिता के व्यवसायों के चित्र हैं। जनसंख्या को दशति चित्र में केवल पुरुष ही दिखाये गये हैं।

इनके स्थान पर माता-पिता के व्यवसायों के चित्र होने चाहिये। जनसंख्या सम्बन्धी चित्रों अथवा वर्णन में महिला, पुरुष, बालक, बालिका सभी का विवरण होना चाहिये।

पृष्ठ-138

पृष्ठ-139

चित्र में कुछ खेलों के खिलाड़ी दिखाये गये हैं। सभी पुरुष/बालक खिलाड़ी हैं।

बालिकाओं/महिलाओं को खेलों के चित्रों में शामिल किया जाना चाहिये।

अन्तः क्षेप — शिक्षक प्रशिक्षण में

शिक्षा के क्षेत्र में समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करके ही सार्वभौमिकीय प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। हरियाणा में वर्ष 91-92 के अन्तर्गत लगभग सभी बालको को विद्यालयों में नामांकन किया जा चुका है परन्तु बालिकाएँ अभी भी विद्यालयों से बाहर हैं, केवल 90% के लगभग बालिकाओं का नामांकन किया गया है। इन बालको तथा बालिकाओं को विद्यालयों में बनाए रखने के लिए, विभाग तथा शिक्षक दोनों को ही क्रियाशील एवं प्रयत्नशील रहना होगा। महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा एक अत्याधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर, विशेष रूप से विज्ञान, व्यावसायिक तकनीकी और वाणिज्य शिक्षा जैसे क्षेत्रों में जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है, उनकी भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। महिलाओं में समानता और शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए समूचे शिक्षा तंत्र को नया रूप दिया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि पहले शिक्षा तंत्र के आधार, प्राथमिक शिक्षा को सभी प्रकार से सबल तथा सशक्त बनाया जाए।

वर्तमान स्थिति —

- प्रारम्भिक स्तर पर वर्ष 91-92 में हरियाणा में 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु की समस्त बालिकाओं का अभी तक विद्यालयों में नामांकन नहीं हो पाया है, यद्यपि बालको का लगभग शतप्रतिशत नामांकन हो चुका है, ऐसा अनुमान है कि अभी भी सार्वभौमिक नामांकन नहीं है और न ही सार्वभौमिक प्रतिधारण।
- अल्प सख्यक वर्ग के अधिकांश बालक/बालिकाएँ, सभी वर्गों के विकलांग बालक/बालिकाएँ तथा अनुसूचित जातियों के बालक/बालिकाएँ अभी भी विद्यालयों से बाहर हैं।

अतः इस स्थिति से निपटने के लिए शैक्षिक प्रशासक तथा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक दोनों ने मिलकर तथा क्रियाशील रह कर निम्न कदम उठाए हैं :-

पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना -

- राज्य में सरकार द्वारा संचालित 8 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान तथा नीजि संस्थाओं द्वारा संचालित 6 जे.बी.टी. ट्रेनिंग सेन्टर कार्यरत हैं, ये सभी संस्थान प्राथमिक विद्यालयों हेतु शिक्षकों की माँग को पूरा करने में सहायक हैं।

सेवाकालीन प्रशिक्षण शिविरो का आयोजन -

- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् हरियाणा, गुड़गाँव तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गुड़गाँव एवं सोनीपत द्वारा शिक्षकों की शिक्षण प्रक्रिया में अभिवृद्धि हेतु एवं सुधार तथा उनके दृष्टिकोणों में अनुकूल परिवर्तन हेतु सभी स्तर के अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से अध्यापक/अध्यापिकाओं को :-
 - वॉछित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा क्षेत्र में हुए परिवर्तनों/नवाचारों से अवगत कराया जाता है।
 - वे इस उद्देश्य के साथ प्रशिक्षित किये जाते हैं कि वे भाषा शिक्षण, कला शिक्षण, परिवेश शिक्षण, कार्यानुभव शिक्षण तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण के माध्यम से (i) बालिकाओं के प्रति समानता व समता का भाव उत्पन्न कर सकें। (ii) विकलांग बच्चों के शिक्षण को प्रभावी बना सकें। (iii) अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जाति वर्ग के बालक बालिकाओं को उनकी रुचि एवं आवश्यकतानुसार शिक्षित कर सकें।
 - पाठ्य वस्तु को रुचिपूर्ण सरलतम रूप में छात्र/छात्राओं के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए शिक्षण सामग्री को प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है।
 - विद्यालय संचालन से संबंधित प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षित किया जाता है।

एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा, गुड़गाँव द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :-

राष्ट्रीय एकता शिविरो का आयोजन -

- शिक्षकों व छात्र/छात्राओं हेतु इन शिविरो का आयोजन -
 - देश के प्रति प्रगाढ़ आस्था के दृष्टिकोण को उत्पन्न करने हेतु किया जाता है।

- भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के गीतों को सिखाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा क्षेत्रीयता व प्रान्तीयता के आधार पर अलगाव के विचारों को त्यागने की भावना तथा एक दूसरे की भाषा के प्रति आदर प्रदर्शन करने की भावना का विकास होता है।

जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा —

जनसंख्या विस्फोट तथा पर्यावरण प्रदूषण जैसी राष्ट्रीय समस्याओं से छुटकारा पाने हेतु शिक्षक/शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित किया जाता है जिससे वे अपनी शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से छात्र/छात्राओं में इन समस्याओं के प्रति जागरूकता विकसित कर सकें। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाएँ शिक्षण के दौरान —

- छात्र/छात्राओं में उनके भावी जीवन में छोटे परिवार की सकल्पना को स्थायी बना पाते हैं।
- छात्र/छात्राओं को पर्यावरण तथा जनसंख्या विस्फोट के सम्बन्ध को स्पष्ट रूप से समझा पाते हैं।
- छात्र/छात्राओं में व्यक्तिगत तथा सामाजिक परिवेश से सम्बन्धित स्वच्छता के मूल सिद्धान्तों को आसानी से समझा पाते हैं।

भाषा विकास हेतु प्रशिक्षण —

अध्यापक/अध्यापिकाओं को भाषा शिक्षण में विकास हेतु प्रशिक्षित किया जाता है।

ये प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाएँ छात्र/छात्राओं में —

- उच्चारण सम्बन्धी कमियों को दूर करते हैं।
- वर्तनी सम्बन्धी त्रुटियों को दूर करते हैं।
- सुलेख लिखने की भावना को विकसित करते हैं।
- व्याकरण सम्बन्धी कुशलताओं को विकसित करते हैं।

शैक्षिक प्रसारण कार्यक्रम —

शिक्षकों/छात्र/छात्राओं हेतु आकाशवाणी रोहतक से उपयोगी विषयों/उपविषयों पर जो पाठ्यक्रम से सम्बन्धित होते हैं, या विशेष महत्व के होते हैं, पर चर्चा/वार्ता प्रसारित की जाती है। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने हेतु तथा आलेख लिखने हेतु विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया जाता है। यह उत्तरदायित्व एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा, गुड़गाँव का शैक्षिक तकनीकी अनुभाग सम्भालता है।

युवा संसद कार्यक्रम —

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिताओं के संचालन हेतु प्रतिभागी विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। ये प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाएँ प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र/छात्राओं को संसद सम्बन्धी कार्यवाही के संचालन के बारे में जानकारी, प्रश्नोत्तरकाल, विधेयक पर विचार विमर्श, आदि के बार में जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार छात्र/छात्राएँ —

- संसद कार्य प्रणाली को भली भाँति समझ पाते हैं।
- अपने कर्त्तव्य एवं अधिकारों से अवगत होते हैं।
- समानता के भाव से परिचित होते हैं।
- अधिकारों की समानता के भाव से परिचित होते हैं।
- प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली की जानकारी प्राप्त करते हैं।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को समझते हैं।
- नेतृत्व के गुणों के प्रदर्शन का अवसर प्राप्त करते हैं।

संदर्शन एवं परामर्श —

संदर्शन एवं परामर्श अनुभाग द्वारा क्षेत्र के शिक्षकों को संसाधन व्यक्तियों के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। ये प्रशिक्षित अध्यापक छात्र/छात्राओं को —

- रुचि एवं क्षमता के अनुकूल विषय चयन में सहयोग देते हैं।
- छात्राओं की विभिन्न समस्याओं को हल करने में सहायता देते हैं।

ज़िला अंग्रेजी शिक्षण केन्द्र —

इस योजना के अन्तर्गत ज़िला गुड़गाँव के सभी उच्च/उच्चतर विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा अन्य ज़िलों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस प्रकार के प्रशिक्षण को देने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाएँ विद्यालयों के छात्र/छात्राओं में —

- अंग्रेजी भाषा को सीखने के प्रति रुचि विकसित करने का प्रयास करते हैं।
- अंग्रेजी भाषा में व्याकरण का उपयुक्त प्रयोग सिखाने के प्रयास करते हैं।
- अंग्रेजी लेखन में आने वाली कमियों को दूर करते हैं।
- अंग्रेजी के शुद्ध उच्चारण पर विशेष जोर देते हैं/प्रयास करते हैं।

कम्प्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम. —

क्षेत्र के अध्यापक/अध्यापिकाओं के लिए प्रशिक्षण के “क्लास प्रोजैक्ट” के अन्तर्गत कम्प्यूटर लिटरेसी सम्बन्धी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। ये प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाएँ विद्यालयों में जाकर छात्र/छात्राओं के लिए कम्प्यूटर सम्बन्धी शिक्षण प्रदान करते हैं।

पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन/अद्यतन —

कक्षा एक से आठवी तक विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों का वाछित उद्देश्य की पूर्ति हेतु समय समय पर क्षेत्र के आमंत्रित अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण/मार्गदर्शन देकर पुनरवलोकन कराया जाता है। जनसख्या शिक्षा, बचत योजना, पर्यावरण शिक्षा, महिला पुरुष समानता का भाव इत्यादि से सम्बन्धित विचारों को पाठ्य पुस्तकों के उन हिस्सों में उभारा जाता है जहाँ उनको आवश्यक समझा जाता है।

समेकित शिक्षा —

अशक्त बालकों हेतु समेकित शिक्षा प्रदान करने हेतु उन अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जाता है जो नियोग्य, अशक्त तथा अपंग छात्र/छात्रों को विद्यालय में लाकर —

- उनका नामांकन करवाते हैं।
- उनको विद्यालय में बनाये रखने का प्रयास करते हैं।
- उनकी विकलांगता के अनुसार वाछित उपकरण दिलवाकर उनकी सहायता के प्रयास करते हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि हरियाणा में वर्तमान में विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु तथा शिक्षा के अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षक प्रशिक्षण अन्तःक्षेप के माध्यम से काफी प्रयास किए गये हैं। परन्तु सार्वभौमिक नामांकन एवं प्रतिधारण तथा उपलब्धियों से सम्बन्धित उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में विचार किया जाए तो प्रगति सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होती। समाज में व्याप्त अधविश्वासी मान्यताएँ, लड़के तथा लड़कियों के प्रति असमानता का व्यवहार, वंचित वर्ग के छात्र/छात्राओं के प्रति शिक्षकों का उदासीन व्यवहार तथा विकलांग बच्चों के प्रति अवहेलना का भाव यह सोचने पर बाध्य करता है कि हमारे शिक्षकों में कहीं न कहीं कोई अपूर्णता अवश्य है। इस कटु सत्य को ध्यान में रख कर हमें शिक्षकों के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा जिनमें इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो सके तथा उन शिक्षक इन बिन्दुओं को उभार सके जिनके कारण

वे अपने शिक्षण को उद्देश्यों की पूर्ति के अनुकूल क्रियात्मक रूप नहीं दे पाये हैं। इन प्रशिक्षण शिविरो में इन बिन्दुओं पर उभरी विषमताओं को दूर किया जाये तथा शिक्षको को उचित प्रशिक्षण देकर उनके शिक्षण को प्रभावी तथा उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाये। इस सन्दर्भ में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना होगा -

छात्र/छात्राओं में समानता एवं समता का व्यवहार विकसित करने हेतु -

- शिक्षक को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाये कि वह कक्षा में विषय वस्तु पढ़ाते समय सभी संदर्भों में छात्र/छात्राओं की सामूहिक भागीदारी को प्रेरित करे तथा प्रयोगात्मक रूप में छात्र/छात्राओं को उसे निभाने हेतु समान रूप से अवसर प्रदान करे तथा उसे पूरा करने हेतु उन्हें समान उत्तदायित्व सौपे।
- प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षको में महिला पुरुष के भेदभाव के पूर्वाग्रहों को दूर किया जाये। ऐसा इसलिए सोचा जा सकता है, क्योंकि अधिकांश शिक्षक ग्रामीण अंचल से हैं और महिला-पुरुष में भेद के भाव उन्हें विरासत में प्राप्त होते हैं। अतः उनका दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है और यह प्रशिक्षण द्वारा ही सम्भव है। ऐसे प्रशिक्षण के बाद ही शिक्षक छात्र/छात्राओं को समानता का व्यवहार करने की शिक्षा दे सकेगा।

शिक्षक प्रशिक्षण की संस्थाओं को मानवीय तथा भौतिक संसाधनों से और तकनीकी उपकरणों से सुदृढ़ किया जाये जिससे -

- शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक योग्य हों जो प्रशिक्षण के दौरान आम प्राविधियों के स्थान पर नए नवाचारों से युक्त प्राविधियों को बता पायें।
- शिक्षक शैक्षिक प्रौद्योगिकी में उचित प्रशिक्षण लेकर उनका प्रयोग अपने शिक्षण में कर सकें और जिन केन्द्रिक तत्वों से सम्बन्धित मूल्यों को छात्र/छात्राओं में स्थायी रूप से विकसित करना चाहते हैं, उसमें सफल हो सकें।
- प्रशिक्षक एवं शिक्षण के दौरान शिक्षक, इन्टरेक्टिव लर्निंग में इन संसाधनों का अत्याधिक प्रयोग कर सकें। इससे प्रशिक्षण एवं शिक्षण दोनों ही प्रभावी हो सकेंगे।

विकलांग बच्चों के अध्यापकों को प्रशिक्षण

- एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा, गुड़गाँव के आई.ई.डी. अनुभाग द्वारा विकलांग बच्चों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार के प्रकोष्ठ सभी जिलों के जिला प्रशिक्षण संस्थानों (डी.आई.ई.टी.) में भी स्थापित किए जाये तथा उनमें प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएँ, जिससे राज्य के समस्त विकलांग बच्चों को शिक्षा तथा उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं की ओर पूरा पूरा ध्यान दिया जा सके।

— सभी सेवारत शिक्षको मे अभिविन्यास कार्यक्रमो मे विकलांग बच्चो की शिक्षा के प्रति जागरुकता का भाव पैदा किया जाये। सस्थानो, विद्यालयों और शैक्षिक प्रशासकों को भी प्रशिक्षण दिया जाये। यह इसलिए आवश्यक है कि जो विकलांग बच्चों को सहायता दे सकता है, वह दे दे जिससे उनकी जरूरत पूरी हो सके। यह कदम विकलांग बच्चो के प्रतिधारण मे अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा।

अल्पसंख्यक वर्ग एवं बंचित वर्ग के छात्र/छात्राओं के शिक्षा के लिए —

- शिक्षको को उपचारी कोचिंग देने हेतु प्रशिक्षित किया जाये। इस प्रकार की कोचिंग मे सवर्धन कक्षाओ (इनरियमेट क्लासिज़) की सकल्पना को स्थान दिया जा सकता है।
- इन वर्गों की लड़कियों को शिल्प सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिए महिला शिक्षकाओ को प्रशिक्षित किया जाये, जिससे वे शिल्प सीखने के लालच मे विद्यालय आती रहे। यह प्रतिधारण हेतु एक आवश्यक कदम है।

शिक्षक प्रशिक्षण एवं महिला शिक्षा प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम शिक्षण शैली एवं कार्यक्रम में महिला शिक्षा का स्थान :-

महिला शिक्षा को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मे स्थान देने की आज के परिप्रेक्ष्य मे अत्यधिक आवश्यकता है। क्योकि गिरता हुआ राष्ट्रीय चरित्र, रोजगार प्राप्ति की होड़ में भ्रष्टाचारी को महत्वपूर्ण स्थान, मानस मन पर हिंसात्मक प्रवृत्ति का बोलबाला, मन की सकीर्णता से उत्पन्न सांप्रदायिकता व धर्म जाति के नाम पर सघर्ष, भारतीय सस्कृति से विमुख बाल शिक्षा व राष्ट्र मे व्याप्त आर्थिक वातावरण प्रदूषण से उत्पन्न संकट, ऊर्जा संकट, आदि अनन्त समस्याओ से यदि सुलझने की ताकत भावी नागरिको को देनी है तो कुल नागरिकता मे 50 प्रतिशत संख्या महिलाओ की भी है। जिन्हें कई कारणो से पीछे ढकेला गया है और अवसर की समानता नही मिली है, घर की चार दीवारो तक उसे सीमित कर दिया गया है। स्त्री को अयोग्य मानकर उसे जो उपेक्षित व्यवहार मिला, बचपन से ही पुरुषो के अधीन रहने के संस्कार डाले गये, पुरुषो की दया एव कृपा पर निर्भर रहकर उसे सदैव परावलम्बी बनाये रखा गया। इसलिए महिला समाज में निहित उसकी आत्म शक्ति, मातृशक्ति, मनोबल छिपा का छिपा रहा तथा समाज मे उसकी सृजनात्मकता का उपयोग नहीं हुआ। इसलिए शिक्षा प्रणाली मे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के साथ बालिकाओ एव महिलाओ की शिक्षा को महत्व मिलना चाहिए। यह कथन शाश्वत सत्य है कि “यदि माँ को सुशिक्षित करते है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, यदि पिता को शिक्षित करते है तो केवल एक ही व्यक्ति शिक्षित होता है।” अतः प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में महिला शिक्षा को निम्न उद्देश्यो से डाला जाना चाहिए

1. पर-नारी, स्त्री, पुरुष, लड़के-लड़कियों का भेद मिटाना, सबको समाज में समान स्थान प्राप्त हो।
2. पुरुष समाज का नारी जीवन के प्रति सम्मान जागे, उसकी मातृ शक्ति, प्रेम, करुणा के प्रति पुरुष समाज प्रेरित हो।

(अ) पाठ्यक्रम का स्वरूप :-

पाठ्यक्रम में दो तरह की विषयवस्तु सम्मिलित की जानी चाहिए :-

1. नारी स्वयं अपनी शक्ति को पहचाने, उसे जागृत करे, तथा जीवन में उसका उपयोग सृजनात्मकता में लाये।
2. पुरुषों का नारी के प्रति दृष्टिकोण बदलने वाले कार्यक्रम, पुरुष व समाज को मातृ शक्ति, नारी शक्ति के बारे में अहसास कराने वाली विषयवस्तु।

(1) नारी की आत्म निर्भरता के लिए निम्न विषय हो सकते हैं :-

आय प्राप्ति के साधन, कुटीर, लघु उद्योग व्यापार शैली, ग्रामीण शैली, आय प्राप्ति के रोजगार के स्रोत, नई-नई वस्तु के निर्माण की शैली तथा व्यावसायात्मक महिला प्रशिक्षण।

(2) नारी को निडर, निर्भीक व दृढ़ निश्चयी बनाने वाले पाठ्यक्रम में :-

प्रेरक व नेतृत्व करने वाली महिला चरित्र, महिला संगठन क्यों, कैसे, महिलाओं के नेतृत्व के विधि क्षेत्र, उन महापुरुषों के चरित्र जिसके पीछे महिलाओं का हाथ रहा है, जैसे — गांधी के पीछे कस्तूरबा, शिवाजी के पीछे उनकी माँ जीजा बाई, जय प्रकाश नारायण के पीछे उनकी बहन प्रभावती आदि के जीवन प्रेरक प्रसंग।

3. नारी को संगठित करने वाले पाठ्यक्रम :

संगठित महिला शक्ति के आंदोलन, क्रांति के विभिन्न प्रसंग, स्वतंत्रता संग्राम में गाँधी जी के साथ महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन व उनकी उपलब्धियों, विभिन्न महिलाओं द्वारा संचालित सस्थाएँ।

4. महिला समाज को जागरूक बनाने वाले पाठ्यक्रम :

विभिन्न विषयों सबधी जानकारी जैसे — संतुलित आहार, स्वास्थ्य, पोषण, बाल मनोविज्ञान, ग्रामीण घरेलू साधनों की तकनीकी, कृषिगत साधन व विधि का परिचय, अनाज सुरक्षण की नवीनतम तकनीकी, विभिन्न प्रकार की वस्तु निर्माण का प्रत्यक्ष प्रयोग।

5. महिलाओं को सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाएँ व लाभ दिलाने वाले पाठ्यक्रम :
ग्रामीण व शहरी महिला व बाल कल्याण से संबन्धित सरकारी योजना, महिला श्रम के संरक्षण कानून, महिला की सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित जानकारी, महिला ग्रामीण कुटीर उद्योग संबन्धित ऋण सुविधा, बैंकिंग सुविधा।
6. महिलाओं को समाज के उत्पीड़न से बचाने वाले पाठ्यक्रम :
विभिन्न सती नारियों के प्रेरक प्रसंग, उनमें वेशभूषा, रहन सहन, सोच विचार को प्रभावित करने वाले तत्व, अश्लील विज्ञापन, मॉडलिंग का विरोध करने वाले तथ्य, बलात्कार एवं महिला उत्पीड़न करने वाले कारक व उससे बचने के उपाय में महिला की भूमिका, हिंसात्मक व अश्लील फिल्मों के प्रति विरोध, उपभोग संस्कृति की क्षण भंगुरता के साथ सादा शीलवती, गुणवती जीवन का महत्व।
7. हिंसात्मक शक्ति के विरोध में मातृत्व शक्ति (प्रेम करुणा की शक्ति) उत्पन्न करने वाले पाठ्यक्रम :
प्रभुसत्ता में नारी की निष्ठा, नारी देह के सहज उपलब्ध गुण, स्नेह, वात्सल्य, सहनशीलता, धीरज, क्षमा प्रवृत्ति, दया व्यसनों से मूक जीवन जीने हेतु हिंसा मुक्ति कार्यक्रम, शांति सेना का महत्व एवं उसमें महिला की भूमिका, आवश्यकता एवं आकांक्षाओं को सीमित करने के संस्कार।
8. नारी और न्याय सम्बन्धित पाठ्यक्रम :
नारी को जीवन पर्यन्त सुरक्षा एवं न्याय दिलाने हेतु जो कानून बने हैं उस कानून की जानकारी पाठ्यक्रम में आ सकती है। भ्रूण हत्या विरोधी कानून, उत्तराधिकार कानून, दहेज प्रथा उन्मूलन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा-असहाय अवस्था का संरक्षण, महिला, बालिका मजदूर, संरक्षण कानून, तलाक संबंधी कानून, एक पति एक पत्नी संबंधी हिन्दू विवाह अधिनियम आदि।
उचित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपर्युक्त आठ बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है।

(ब) अध्यापन शैली :-

इसे व्याख्यान, समूह चर्चा, बातचीत, सेमिनार, कार्यपूरक अनुभव, स्वाध्याय, प्रत्यक्ष प्रदर्शन, संस्थाओं के प्रत्यक्ष दर्शन व अनुभव आदि द्वारा प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

(स) नारी को समाज में सम्मान देने एवं लिंग भेद मिटाने के कार्यक्रम :-

1. प्रत्येक शिक्षक अपने घर में लड़के एवं लड़की के भेद को समाप्त करे।

2. कक्षा शिक्षण द्वारा महिलाओ को प्राथमिकता देने वाले, समानता स्थापित करने वाले जीवन्त उदाहरण प्रस्तुत करे।
3. शिक्षण सस्थाओ में विभिन्न गतिविधियो मे नेतृत्व के अवसर व प्रेरणा लडकियो को समान रूप से मिले।
4. नारी को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने हेतु कोई भी व्यावहारिक कला अवश्य सिखाई जाये।
5. महिला संगठन बनाकर, महिलाओ के नेतृत्व मे सरकारी सहायता से कार्यक्रम अपनाया जाये।
6. महिला के प्रति शोषण, बलात्कार एवं अभद्र व्यवहार के प्रति संगठित होकर दहेज प्रथा आदि का अहिंसात्मक ढंग से सामाजिक बहिष्कार करे।
7. नशा प्रवृत्ति के कारण महिलाओं पर होने वाले अत्याचारो के विषय पर नारिया संगठित हो तथा मिलकर नशेड़ी पति, भाई और पिता का विरोध करे।
8. नशाबदी हेतु शराब की दुकानो को हटाने का आदोलन करे।
9. महिलाओ द्वारा सचालित संस्थाओं, उद्योग व कृषि आदि अन्य गतिविधियो की प्रत्यक्ष भेट कराई जाये।

(1) जे.बी.टी.सी. के पाठ्यक्रम निर्माण हेतु दिशा निर्देश :-

1. प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर बालिका शिक्षा की उन्नति एवं उन्नयन हेतु शिक्षक प्रशिक्षणार्थियो को, अर्न्तदृष्टि एवं कौशल का प्रदान करना।
2. भारतीय समाज में महिला की भूमिका, महत्व एवं योगदान की सराहना करने हेतु शिक्षक प्रशिक्षणार्थियो को प्रोत्साहित करना।
3. सूक्ष्म स्तर पर, प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापिकरण के परिप्रेक्ष्य मे, बालिका शिक्षा की स्थिति को समझना।
4. बालिकाओ की शिक्षा को, सूक्ष्म एवं वृहत्त स्तर पर, प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं जनसंख्या विषयक कारणों के निदान हेतु, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियो को सक्षम बनाना।
5. महिलाओं में, विकासात्मक आवश्यकताओ की पूर्ति की दृष्टि से शैक्षिक कार्यक्रमों को विकसित करने की क्षमता का विकास करना।
6. महिला शिक्षा की उन्नति हेतु अभिभावको एवं समुदाय के अभिमत एवं सहयोग को गतिशीलता प्रदान करने हेतु, व्यूह रचनाये एवं क्रियात्मक कार्यक्रमों की पहचान करना।

7. समुदाय में, विकासात्मक क्रियाकलापो के साथ, महिलाओ के शैक्षिक कार्यक्रमो को एकीकृत करना।
8. भारत मे शिक्षा प्राप्त कर रही एव शिक्षा से वचित बालिकाओ के तुलनात्मक साख्यिकी से शिक्षक प्रशिक्षणार्थियो को अवगत कराना।

विकासोन्मुख भारतीय समाज में शिक्षा एवं शिक्षक की भूमिका :

उदाहरणार्थ निम्नांकित पूरी इकाई जोड़ी जाये :

- इकाई (क)
1. वैदिक काल से अब तक समाज मे स्त्री-पुरुष के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एव धार्मिक अधिकारों व कर्तव्यों का संक्षिप्त तुलनात्मक अध्ययन।
 2. स्त्री-पुरुष मे भेदभाव के क्षेत्र। सामाजिक दोष तथा दहेज, बाल विवाह, सती प्रथा तथा इनका महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव। सन्तान हीनता, आजन्म अविवाहित स्त्री तथा नारी शिक्षा के प्रति समाज का दृष्टिकोण। यह स्त्री जाति के दोष नहीं है वरन् पुरुष प्रधान समाज के दोष हैं। इस तथ्य का प्रतिपादन —
 3. भेदभाव से होने वाली हानियाँ —
(1) व्यक्तिगत (2) पारिवारिक (3) सामाजिक (4) सांस्कृतिक (5) राष्ट्रीय हानियाँ
 4. विकासोन्मुख भारतीय समाज मे स्त्री शिक्षा तथा स्त्री पुरुष समानता का महत्व —
(1) पारिवारिक (2) सामाजिक (3) राजनैतिक (4) राष्ट्रीय (5) मानवीय सदर्भों मे।
 5. बालिकाओ के सदर्भ मे शिक्षक के दृष्टिकोण एव व्यवहार मे सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता।
 6. विकासोन्मुख भारत मे सस्कृति, कला, कृषि, उद्योग, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रो, मे महिलाओ का योगदान।

इकाई 3 : बालिका शिक्षा का महत्व। शिक्षित बालिका द्वारा भविष्य मे बेहतर नागरिकता, मातृत्व तथा शिशु पोषण संबंधी उत्तरदायित्वो का निर्वहन।
बालिका शिक्षा का जनसख्या, बालमृत्यु दर, बाल स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर पर प्रभाव :

इकाई 4 : "नैतिक शिक्षा" के स्थान पर "मानवीय मूल्यों की शिक्षा" यथा —

- (1) सत्य
- (2) स्नेह भाव
- (3) सदाचरण
- (4) एकता
- (5) समानता आदि।

इकाई-8 में जोड़ें :

बालिका शिक्षा, विशेषतः ग्रामीण, पर्वतीय एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में। संबंधित व्यवहारिक कार्य में जोड़ें :

1. किसी एक ग्राम में 6 से 14 आयु समूह के बालक बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा संबंधी स्थिति का सर्वेक्षण।
2. किसी एक ग्राम में बालिका शिक्षा पर ग्रामीण स्त्रियों और पुरुषों के दृष्टिकोण, अपेक्षाओं का मूल्यांकन, विश्लेषण व शिक्षक का मत।
3. भर्ती, शाला त्यागी तथा अपव्यय एवं अवरोध के विशिष्ट संदर्भों में किसी एक ग्राम में बालिका शिक्षा की स्थिति।
4. विद्यार्थियों, विशेषतः बालिकाओं में उचित नेतृत्व क्षमता विकसित करने हेतु एक व्यवहारिक योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन।

बाल — मनोविज्ञान

प्रथम वर्ष

प्रश्न पत्र -2

इकाई 3 — में जोड़ें —

(अ) पारिवारिक पक्ष।

(ब) बाल विकास के पारिवारिक एवं सामाजिक पक्षों में बालक-बालिका में भेदभाव के दुष्परिणाम।

इकाई 5 — विषयांश (1) में जोड़ें —

शिक्षित एवं अशिक्षित माता-पिता के परिवारों में परिलक्षित अन्तर है।

इकाई 6 — संशोधन करें —

बालक-बालिकाओं की व्यवहार संबंधी समस्याएँ।

जोड़ें —

बालिकाओं की विशिष्ट समस्याएँ।

इकाई 7 - शीर्षक संशोधन -

बालक एवं बालिकाओं का मानसिक स्वास्थ्य।

(7) 4 संशोधन -

घर एवं सुशिक्षित माता।

व्यवहारिक कार्य - जोड़े -

किन्हीं दस बालिकाओं की परिवार में स्थिति, परिणाम स्वरूप विकसित मानसिकता एवं व्यवहार का प्रश्नोत्तर विधि द्वारा संकल्प विश्लेषण तथा निष्कर्ष।

विद्यालय प्रबन्ध एवं नियोजन

प्रथम वर्ष

प्रथम पत्र - 3

इकाई 1 - जोड़े -

मूत्रालय एवं शौचालय विशेषतः महिलाओं के लिये।

बाल-केन्द्रित शिक्षा एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी

इकाई 5 (1) - संशोधन करे -

औसत भारतीय परिवार तथा परंपराओं के अन्तर्गत

(अ) बालक कैसे सोचते हैं ?

(ब) बालिकाएँ कैसे सोचती हैं ?

5 (III) (V) में "बालक" के स्थान पर "बालक-बालिका" लिखें

इकाई 6 (I) के बाद जोड़े -

(अ) बालिकाओं तथा बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षक का पुरुष्कृत तथा प्रोत्साहन करने वाला दृष्टिकोण।

(ब) बालकों एवं बालिकाओं हेतु अभिव्यक्ति, सृजनात्मक गतिविधि, सहभागिता एवं नेतृत्व के अवसरों की व्यवस्था एवं प्रोत्साहन।

हिन्दी भाषा शिक्षण

प्रश्न पत्र - 5

इकाई 6 (स) अन्त में जोड़े -

बालक एवं बालिकाओं को अभिव्यक्ति के समान अवसर प्रदान किये जाएं। स्थानीय बोली/नामक हिन्दी दोनों में अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाए।

6.2 (स) जोड़े -

अभिव्यक्ति के लिए स्थानीय बोली का भी आवश्यकतानुसार उपयोग।

गणित एवं उसका शिक्षण

प्रथम वर्ष

प्रश्न पत्र - 6

इकाई 1

जोड़े — (“नोट-दैनन्दिनी, लेन-देन तथा वास्तविक समस्याओ, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र से संबंधिक इबारती प्रश्न भी सम्मिलित किये जाए। स्त्री-पुरुष की असमान मजदूरी, असमान वेतन तथा असमान श्रम से संबंधित भाषा एवं प्रश्नों का निर्माण नहीं किये जाए।

प्रश्न पत्र - 7

शिक्षा मनोविज्ञान

इकाई -2

वशानुक्रम एवं वातावरण —

(1) वशानुक्रम तथा वातावरण का बुद्धि एवं व्यक्तित्व के विकास में प्रभाव।

(2) समान अवसरो तथा दशाओं की उपलब्धता में बालक-बालिकाओ को बुद्धि तथा व्यक्तित्व के एक समान प्राणी के शरीर विज्ञान संबंधी प्रमाण।

इकाई -4 (1)

थकान

जोड़े — थकान दूर करने के उपाय। परिवार में महिलाओं एवं पुरुषों के बीच कार्यों के उचित वितरण का औचित्य एवं आवश्यकता।

इकाई - 7

जोड़े — व्यक्तिक भिन्नताओं के बावजूद स्त्री-पुरुषो के समान विकास की आवश्यकता में मानवीय दृष्टिकोण।

इकाई - 8

बुद्धि सिद्धान्त —

पुरुष एवं महिला वर्ग में बुद्धि का विकास समान होता है।

प्रश्न पत्र - 8

पोषण, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा :-

इकाई -2

पोषण एवं आहार —

जोड़े —

(अ) कक्षा में शैक्षिक गतिविधि के रूप में एक खुली बहस का आयोजन किया जाए जिसमें बालिकाओ के गर्भावस्था एवं छात्रावस्था में पोषण संबंधी विशेष आवश्यकताएं बताई जाये।

(ब) इस अवधारणा को समाप्त करना कि महिला सदस्यों को परिवार में सबसे बाद में तथा बचा हुआ भोजन करना चाहिए।

- इकाई - 3 भोजन पकाना केवल महिला सदस्य की जिम्मेदारी न होकर एक सामुहिक दायित्व है।
- इकाई - 7 हटाना
 "लिंग" शब्द हटाना उचित होगा।
 अर्थात्
 आयु, लिंग एवं रुचि के अनुसार के स्थान पर आयु, शारीरिक क्षमता एवं रुचि के अनुसार लिखना उचित होगा।
- प्रश्न पत्र - 9 प्रारंभिक शिक्षा की समस्याएँ :-
- इकाई - 9 प्रतिभाशाली बालिकाओं के विशेष प्रशिक्षण की जिला स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए।
- प्रश्न पत्र - 10 अंग्रेजी :-
 सुझाव अंग्रेजी को द्वितीय भाषा कहा गया है जो सविधान में वर्णित भाषा में हिन्दी को छोड़कर अन्य प्रादेशिक भाषा होना चाहिए। अंग्रेजी को तृतीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए।
- प्रश्न पत्र - 12 सामाजिक विज्ञान (सामा. पर्यावरण) एवं उसका शिक्षण :-
- इकाई - 2 विदेशों का अध्ययन हटाकर, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के भूगोल की तुलना अन्य देशों से एवं एक दूसरे की पारम्परिक निर्भरता का अध्ययन किया जाए।
 जोड़े - महिलाओं के सर्दियों में विभिन्न प्रातों की महिलाओं के रहन सहन, खान-पान एवं व्यवसाय संबंधी तुलनात्मक अध्ययन।
 "एक लव्य" द्वारा विकसित किए गये सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम को देखकर, उचित अंशों का समावेश किया जाना उचित होगा।
- इकाई - 8 सशोधन करे -
 चार्ट ---- ग्राफ तथा इनमें बालिकाओं एवं बालकों का समान प्रतिनिधित्व।
- निर्दिष्ट कार्य -
- क्रमांक 4 जोड़ें - नियत करना। बालिकाओं की विशिष्ट समस्याओं का बालिकाओं द्वारा ही समाधान कराना।
 प्रतिवेदन तैयार करना।

अनुसंधान एवं सेवा विस्तार

महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। वे समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र के विकास का कोई कार्य उनके बिना पूरा नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में ज्ञान, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आर्थिक, राजनैतिक धार्मिक, नैतिक, शैक्षणिक आदि सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी अपेक्षित ही नहीं अनिवार्य भी है। अतः वर्तमान में उनकी पिछड़ी हुई स्थिति को सुधारने व उन्हें पुरुषों के समान स्तर पर लाने के लिए शिक्षण - प्रशिक्षण एक सशक्त माध्यम हो सकता है। क्योंकि अंततोगत्वा देश का भविष्य शिक्षक को ही गढ़ना है। इसलिए शिक्षा जगत में महिलाओं से सम्बन्धित सभी विषयों में अनुसंधान एवं सेवा-विस्तार के कार्यक्रमों का समावेश 'शिक्षक - प्रशिक्षण' में किया जाना चाहिए।

महिलाओं की स्थिति पिछड़ती और बिगड़ती क्यों चली गई? और आज उनकी प्रगति में कौन-कौन से अवरोध हैं? उन्हें हटाने के लिए सुझाव एवं कार्य योजना, 'शोध कार्य एवं सेवा - विस्तार' का प्रमुख क्षेत्र है। इस क्षेत्र के प्रमुख शोध-विषय निम्नानुसार अंकित किए जा सकते हैं :-

1. सन् 2000 तक सबके लिए शिक्षा में झूलाघरों की भूमिका (बालिकाओं के विशेष संदर्भ में)
2. शत-प्रतिशत शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में आगनवाड़ियों का योगदान (बालिकाओं के विशेष संदर्भ में)
3. औपचारिकतर शिक्षा योजना, हरियाणा मॉडल के अंतर्गत दर्ज संख्या वृद्धि अभियान की समीक्षा (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के विशेष संदर्भ में)
4. औपचारिकतर शिक्षा योजना हरियाणा मॉडल के अंतर्गत दर्ज संख्या वृद्धि अभियान के आकलन (पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग की बालिकाओं के विशेष संदर्भ में)
5. औपचारिक शालाओं तथा औपचारिकतर शिक्षा केन्द्रों में बालक/बालिकाओं के शैक्षिक अपव्यय एवं अवरोध की समस्या तथा उसका समाधान।
6. ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों में बालिका-शिक्षा की समस्या एक (महिला शिक्षक की अनुपलब्धता के विशेष संदर्भ में)
7. ग्रामीण क्षेत्रों एवं वनांचलों में शिक्षण कार्य हेतु महिला शिक्षकों की अनुपलब्धता की समस्या और उसका निदान।
8. ग्रामीण अभियान में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिका (महिला शिक्षकों के विशेष संदर्भ में)
9. ग्रामीण क्षेत्रों एवं वनांचलों में स्वास्थ्य शिक्षा एवं जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं बालिकाओं के विशेष संदर्भ में)

10. ग्रामीण क्षेत्र की औपचारिक शालाओं एवं औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों में खेलकूद की सुविधाओं का विस्तार (बालिका शालाओं के विशेष संदर्भ में)
11. बालिका शिक्षा के विस्तार क्षेत्र शालाओं तथा औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों में पढ़ाई के साथ कमाई की सुविधा की संभावनाएं।
12. शालाओं तथा औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों को बच्चों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनाये जाने के विशेष उपागम।
13. शिक्षक प्रशिक्षण संख्याओं में एन.एस.एस. एवं एन.सी.सी. सुविधाओं का प्रारंभ, विस्तार एवं उनके माध्यम से साक्षरता अभियान के संचालन की संभावनाएं।
14. खेलकूद की गतिविधियों में बालिकाओं/महिलाओं की भागीदारी में बाधक तत्वों का अध्ययन और निदान।
15. महिलाओं की शिक्षा प्रसार में ग्रामीण शिक्षिका एवं ग्राम सेविका की भूमिका।
16. हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सुधार हेतु शिक्षा में महिलाओं की भूमिका व योगदान।
17. महिला शिक्षा प्रसार में जन जागरण की विधियां और उनका महत्व।
18. शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत रद्दी सामान से शिक्षण सामग्री के निर्माण में शिक्षिकाओं एवं बालिकाओं की भूमिका।
19. सामाजिक जीवन में महिलाओं/बालिकाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहारों एवं परिस्थितियों, रीतिरिवाजों का निदानात्मक अध्ययन।
20. शिक्षा प्रसार में विस्तार की संभावनाओं के संदर्भ में महिला सगठनों का अध्ययन।
21. शैक्षिक प्रशासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और योगदान का अध्ययन।
22. महिला शिक्षा शास्त्री और शिक्षा जगत को उनकी देन तथा योगदान की समीक्षा।
23. शिक्षा के प्रसार में लोक माध्यमों का योगदान (महिला शिक्षा के विशेष संदर्भ में) एवं मूल्यांकन।
24. शिक्षा के प्रसार में बाल साहित्य की भूमिका (बालिका शिक्षा के संदर्भ में)
25. शिक्षा के प्रसार प्रचार में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों की भूमिका (बालिकाओं की सहभागिता के विशेष संदर्भ में)
27. बालाधिकारों एवं मानवाधिकारों का महिला शिक्षा में योगदान।
28. महिलाओं को प्रदत्त कानूनी अधिकारों की शिक्षा के प्रसार प्रचार की समस्या और उसका निदान।
29. इक्कीसवीं शताब्दी और महिला अध्ययन व विकास की दशा एवं दिशा।

30. भविष्य और महिला अध्ययन विकास की नई बदलती हुई अवधारणा और नवीन क्षितिज।
31. महिला अध्ययन व विकास को कक्षा से जन तक ले जाने के प्रयासों तथा प्रयोगों का विवरण एवं विवेचन।
32. सहशिक्षा के माध्यम से महिलाओं के दृष्टिकोणों में बदलाव का प्रभाव।
33. बालिकाओं में समस्या निदान की क्षमताओं के विकास हेतु सुझाव (गणित शिक्षा के विशेष संदर्भ में।)
34. ग्रामीण क्षेत्र की किशोरियों में आत्म सम्मान एवं आत्म विश्वास के विकास की समस्याएं और निदान।
35. बालिकाओं/महिलाओं के लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण/शिक्षण के विभिन्न क्षितिज एवं संभावनाएं।
36. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बालिकाओं/महिलाओं की विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अन्य नवीन विषयों के प्रति अभिरुचियों के विकास का समीक्षात्मक अध्ययन।
37. स्त्री शिक्षा के विकास एवं भविष्य में यूनेस्को का योगदान।
38. विश्व व्यापी समस्याओं/रोगों का महिलाओं की पारिवारिक जिम्मेदारियों पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव एवं उसका भविष्यपरक अध्ययन।
39. कामकाजी महिलाओं की समस्याएं और उनका बच्चों की शिक्षा पर भविष्य में पड़ने वाला प्रभाव।
40. देश-विदेश की स्थानीय, क्षेत्रीय, उत्कृष्ट एवं आदर्श महिलाओं की जीवनियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा और जीवन की शिक्षा की संभावनाएं।
41. बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक समाज द्वारा संचालित शिक्षा-संस्थानों में बालिका शिक्षा का स्वरूप।

उपर्युक्त विषय सूची केवल सुझावात्मक है। इसके अतिरिक्त भी अनेक महत्वपूर्ण विषय शोध अथवा अनुसंधान का विषय बनाये जा सकते हैं। जैसे महिलाओं की शिक्षा से संबंधित अध्ययन क्षेत्र मुख्य रूप से चार क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है

:

1. शिक्षण
2. प्रशिक्षण
3. अनुसंधान एवं
4. सेवा-विस्तार।

इन क्षेत्रों में वर्तमान महिला शिक्षा के स्वरूप में सुझाव और विस्तार की अनेक संभावनाएं हैं, जिन्हें खोजा जाना अपेक्षित है।

नये शोध कार्य के समानान्तर अब तक किए गए अनुसंधान कार्य की समीक्षा करते हुए उनके निष्कर्षों और सुझावों को शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यरूप में परिणित करना अतिआवश्यक है, अन्यथा हमारे शोध प्रबंध केवल पुस्तकालय की आलमारियों की शोभा बनकर रह जायेंगे।

अब तक किये गये शोध कार्य का सूचीबद्ध प्रकाशन एवं संबंधित शोध सस्थाओं का प्रेक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। ताकि एक ही विषय पर बार-बार अनुसंधान की पुनरावृत्ति में समय और धन का अपव्यय न हो।

अनुसंधान कार्य के लिए निरंतर नवीन विषयों की तलाश, जो समाजोपयोगी भी हो, कम महत्वपूर्ण नहीं है। इनकी विषय-सूची का संवर्धन-परिवर्धन करते हुए प्रकाशन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कार्य राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर किया जाना उचित होगा। यह कार्य शिक्षा सस्थान तथा पाठ्यक्रमों के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है। जिला स्तर पर महिला शिक्षा सूचना केन्द्र बनाये जाये।

अनुसंधान के निष्कर्षों और सुझावों को संबंधित शिक्षण सस्थाओं और उनमें कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं तक पहुँचाना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, उनका कार्य क्षेत्र में प्रयोग किया जाना। इसीलिए शिक्षक प्रशिक्षण सस्थाओं में सेवा विस्तार की सुविधाओं को नये सिरे से व्यवस्थित किये जाने और सुसज्जित किये जाने की आवश्यकता है। आज कक्षा शिक्षण को लोक शिक्षण बनाने हेतु दूरदर्शन, कम्प्यूटर, सिनेमा के अतिरिक्त पुस्तक-प्रकाशन, शैक्षिक पत्रकारिता तथा नाटक, गीत, कविता आदि के परंपरागत लोक माध्यमों का भी सहारा लिया जाना चाहिए। इस हेतु आवश्यक साज-सामान सभी शिक्षण प्रशिक्षण सस्थाओं में उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा उसके समुचित उपयोग का प्रशिक्षण भी हमारी शिक्षा का अनिवार्य अंग होना चाहिए।

समस्त शिक्षण-सामग्री एवं अनुभवी शिक्षकों का लाभ शिक्षण प्रशिक्षण सस्था से दूर-दराज की कक्षाओं तक पहुँचाने के लिए आवश्यक धनराशि की सुगम और त्वरित व्यवस्था, महिला शिक्षा प्रसार की अनिवार्य शर्त है। इस हेतु शैक्षिक प्रशासन का नये सिरे से गठन तथा अधिकारों का विकेंद्रीकरण अत्यंत आवश्यक है।

सामुदायिक प्रतिभागिता — शिक्षा के लिए

सरकारी तंत्र द्वारा प्रायोजित शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने तथा उनके माध्यम से वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का समर्थन, सहयोग एवं प्रतिभागिता आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है।

समुदाय की प्रतिभागिता एक परस्पर सहयोगी प्रक्रिया है। अतः उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय का समुदाय में तथा समुदाय का विद्यालय में पहुंचना अति आवश्यक है। यह प्रक्रिया जितनी अधिक ऐच्छिक होगी उतनी ही उपयोगी भी। विद्यालय तथा समुदाय दोनों में परस्पर अपनत्व की भावना नितांत आवश्यक है, ताकि यह प्रक्रिया सरल एवं स्वाभाविक रूप से निरंतर चलती रहे।

समुदाय के साथ प्रगाढ़ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में विद्यालय की मुख्याध्यापिका/मुख्याध्यापक, अन्य अध्यापक/अध्यापिकाएँ एवं विद्यार्थी वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हमारे कुशल अध्यापक अपने विद्यार्थियों के माध्यम से उन के घर एवं गाँव तक सरलता से पहुंच सकते हैं तथा इसी प्रकार समुदाय के लोग, बच्चों के माता-पिता/संरक्षक एवं सबंधी भी सुविधा से विद्यालय तक पहुँच सकते हैं।

निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता नितांत आवश्यक है :

- शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, सार्वभौमिक नामांकन के लक्ष्य की पूर्ति हेतु।
- सार्वभौमिक प्रतिधारण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु।
- छात्र/छात्राओं की संख्या में वृद्धि हेतु।
- किसी कारणवश विद्यालय छोड़कर चले गए विद्यार्थियों को पुनः विद्यालय लाने के सफल प्रयास हेतु।

- न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु।
- भौतिक एवं आर्थिक सहयोग के लिए।
- विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न शैक्षिक/सांस्कृतिक गतिविधियों के संगठन एवं आयोजन हेतु।
- शिक्षा को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से विचार विमर्श करने के लिए।
- विद्यार्थियों की सवेगीय समस्याओं के समाधान एवं उनके सर्वांगीण विकास के मार्ग में आने वाली रुकावटों के निवारण हेतु।
- विद्यालय द्वारा दी गई विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों एवं अन्य क्रिया कलाओं के निरंतर मूल्यांकन में भी समुदाय की प्रतिभागिता से काफी योगदान मिल सकता है।
- विद्यालय के परिवेश, शैक्षिक प्रक्रिया, प्रबंधकीय व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली में सुधार हेतु भी समुदाय के सुझाव उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।
- विद्यालय के वातावरण को रुचिकर एवं अनुकूल बनाने में सहायता मिलती है।
- श्रमदान एवं उपयोगी परामर्श हेतु।
- साक्षरता के लिए समुदाय की प्रतिभागिता से काफी योगदान मिल सकता है।
- अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि समुदाय को विद्यालय में कैसे लाया जाए तथा स्वयं विद्यालय के निकट कैसे जाएँ।

समुदाय को विद्यालय में लाने के उपयुक्त अवसर

- विद्यालय के द्वारा आयोजित विभिन्न शैक्षिक, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक समारोहों/पर्वों के अवसरों पर समुदाय के सदस्यों तथा छात्र/छात्राओं के अभिभावकों को आमंत्रित करना चाहिए जैसे कि किसी महापुरुष का जन्म दिवस, स्वतंत्रता दिवस, संयुक्त राष्ट्र सप्ताह दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, अध्यापक दिवस, पारितोषिक वितरण समारोह इत्यादि इन विशेष दिनों के महत्त्व के विषय में जन समुदाय को जानकारी देनी चाहिए। इससे एक ओर उनके ज्ञान में वृद्धि होगी वहीं दूसरी ओर ये स्वयं को सम्मानित महसूस करेंगे।
- समय समय पर शिक्षक-अभिभावक सभाओं का आयोजन करते रहना चाहिए ताकि बच्चे की व्यक्तिगत एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता लगा कर तथा उनका समाधान करके उनके विकास में सहायता की जा सकती है।
- हर महीने बच्चे की शैक्षिक प्रगति की रिपोर्ट से माता-पिता/सरक्षकों को अवगत करवाने के लिए उन्हें विद्यालय में बुलाते रहना चाहिए।

- विद्यालय की किसी भौतिक आवश्यकता एवं समस्या का समाधान करने के लिए भी समुदाय को विद्यालय में लाया जा सकता है।
- समुदाय के किसी शिक्षक युवक/युवती एवं किसी सेवा निवृत्त शिक्षक की सहायता विद्यालय के पढ़ने में कमजोर बच्चों को पढ़ाने में सहायता ली जा सकती है।
- समुदाय के किसी सेवा निवृत्त सैनिक की सेवाओं का विद्यार्थियों की शारीरिक शिक्षा के लिए, देश प्रेम तथा अनुशासन संबंधी भावनाओं को अंकुरित एवं विकसित करने में सहयोग लिया जा सकता है। इससे वह सफल भावी नागरिक बन सकते हैं।
- विद्यालय के भवन निर्माण एवं अन्य किसी कार्य हेतु श्रमदान एवं आर्थिक सहयोग लिया जा सकता है। समुदाय के किसी इंजिनियर, ड्राफ्ट्समैन जैसे व्यवसाय वाले लोगों से बहुमूल्य परामर्श लेकर उनकी योग्यता का लाभ उठाया जा सकता है।
- बच्चों को समाज उपयोगी उत्पादन कार्यों से संबंधी क्रियाओं को सिखाने के लिए समुदाय के ऐसे लोगों को विद्यालय में बुलाया जा सकता है जो चारपाई बुनने, मुढ़े बनाने, चटाई बुनने या कढ़ाई सिलाई संबंधी कार्यों में निपुण हों।
- सांस्कृतिक कार्यों के आयोजन हेतु भी, समुदाय में इस प्रकार की योग्यता प्राप्त लोगों से परामर्श एवं सहयोग लिया जा सकता है।
- सरकारी या किसी सरकारी विभाग द्वारा चलाई गई नई नीतियों एवं कार्यक्रमों से अवगत करवाने के लिए भी समुदाय के लोगों को विद्यालय में बुलाया जा सकता है। इससे नीतियों एवं कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने में सहायता मिल सकती है।

“विद्यालय समुदाय के निकट कैसे जाएँ”

- गाँव/बस्ती में आयोजित विभिन्न समारोहों में विद्यालय की प्रतिभागिता समुदाय के साथ निकट के संबंध बनाने में काफी उपयोगी हो सकता है।
- बस्ती/गाँव या क्षेत्र के लोगों के सुख दुःख के अवसरों पर उनके यहाँ जाकर उनकी भावनाओं को बाँटने से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को प्रगाढ़ता मिल सकती है।
- गाँव/बस्ती में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थानीय लोगों की समितियाँ एवं संगठन होने चाहिए जो उनकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकें। इन समितियों में जहाँ तक हो सके, 50% की भागीदारी महिलाओं की हो ताकि उनमें भी निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सके तथा आत्म विश्वास की भावना जागृत हो सके। इस प्रकार की समितियों से विद्यालय को निरंतर सम्पर्क बनाए रखना चाहिए।

- विद्यालय सर्वेक्षण द्वारा उपयोगी सामुदायिक साधनों का पता लगा कर आवश्यकता एव समयानुसार उनका सदुपयोग कर सकता है। यह साधन मानवीय एवं भौतिक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं।
- यदि विद्यालय समुदाय की किन्हीं समस्याओं के समाधान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हो सकता है तो ऐसा अवश्य करना चाहिए।
- विद्यालय बदलते समय के अनुरूप बदलती धारणाओं एव मूल्यों को क्षेत्रीय समितियों एवं संगठनों के माध्यम से जन समुदाय में अकुरित एवं विकसित करके उनके विचारों एव दृष्टिकोण में वाछित परिवर्तन ला सकते हैं।
- यदि बस्ती/गाँव के कुछ लोगों को अज्ञानता के कारण कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए जो कि वहाँ के लोगों के लिए हानिकारक सिद्ध हो तो ऐसी अवस्था में स्थानीय समितियों/ मण्डलों की विद्यालय में सभा बुलाकर संबंधित विषय पर चर्चा की जा सकती है तथा अंत में सद्भावना पूर्ण वातावरण में इसे इस संकल्प के साथ समाप्त किया जा सकता है कि विद्यालय एव समुदाय दोनों ही इस बात के लिए प्रयत्नशील रहेंगे कि भविष्य में किसी दुःखद घटना की पुनरावृत्ति न हो।
- वर्ष के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि प्राप्त लोगों/पुरुष/महिलाओं के जीवन एव कार्यों से जन समुदाय को अवगत करवाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। यह उनके लिए प्रेरक सिद्ध हो सकता है।
- उस क्षेत्र विशेष के किसी महिला/पुरुष, बाल/बालिका द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में प्राप्त किसी विशेष उपलब्धि के लिए उस को सम्मानित करने हेतु किसी कार्यक्रम का आयोजन कर जन समुदाय का उत्साह बढ़ाया जा सकता है।
- विशेष पर्वों/उत्सवों पर विद्यार्थियों एव अध्यापकों के सामूहिक प्रयासों के स्थानीय लोगों में सद्भावना एव जागरूकता पैदा करने हेतु प्रभात फेरियों का आयोजन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी महापुरुष के जन्मदिवस के अवसर पर, यह महापुरुष कोई भी धार्मिक नेता, समाज सुधारक एव राष्ट्रपुरुष हो सकता है। गाँव में स्थानीय लोगों की सुविधा एव कल्याण हेतु किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए विद्यार्थी रूपी मानव से साधन का सदुपयोग किया जा सकता है। जैसे कि किसी स्थान विशेष की सफाई, सजावट एव वृक्षारोपण जैसे कार्य।
- विद्यार्थियों की सहायता से छुट्टियों के दौरान या दिवाली के अवसर पर सफाई अभियान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन समुदाय के हित एव जागरूकता के लिए किया जा सकता है।

- स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित उपयोगी जानकारी देने के लिए विद्यालय द्वारा गाँव के किसी सार्वजनिक स्थान पर समुदाय के लोगों को इक्कट्ठा करके उचित प्रदर्शन (डिमोसट्रेशन) का आयोजन किया जा सकता है।

अंत में यह बता देना आवश्यक है कि समुदाय का समर्थन, सहयोग एवं प्रतिभागिता प्राप्त के लिए विद्यालय एवं समुदाय के संबंध समानता के आधार पर होने चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपसी सम्मान की गहन भावना पर टिकी रह सकती है। ध्यान रहे कि बच्चों की किसी समस्या को लेकर यदि माता-पिता या अभिभावक विद्यालय में आये/या उन्हें बुलाया जाए तो उसके साथ आदरपूर्वक व्यवहार करें तथा विद्यार्थी के प्रति हमारे विचार शिकायत के रूप में न होकर केवल सुझाव के रूप में ही हों।

उद्धरण — राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व

कार्य योजना 1992 से

1. महिला समानता के लिए शिक्षा

1. भूमिका

1.1.1 महिला समानता के लिए शिक्षा, शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की सम्पूर्ण रणनीति का महत्वपूर्ण घटक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन०पी०ई) 1986 के पैरा 4.2 और 4.3 में शिक्षा की प्रभावकारी और अधिकार प्रदान करने संबंधी भूमिका के संबंध में ठोस और स्पष्ट विवरण है। इसके अतिरिक्त वे विशेष सहायता सेवाओं के प्रावधान और ऐसे कारकों को दूर करने पर बल देते हैं जिनसे शिक्षा के सभी स्तरों पर महिलाओं के प्रति भेदभाव होता है। कार्यवाई योजना में उन कदमों के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया है जो महिला समानता के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। समय की मांग यह है कि जहां भी उपयुक्त समझा जाए कार्यवाई योजना की सामग्री में संशोधन किया जाए। इतना तो स्पष्ट है कि कार्यन्वयन के लिए इच्छाशक्ति और संस्थागत तंत्र की जरूरत है ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों में कार्यन्वयन में महिला-पुरुष में भेदभाव संबंधी संवेदनशीलता प्रतिबिम्बित हो। महिला समानता के लिए शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले प्रभारी व्यक्तियों की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता या झुकाव पर नहीं छोड़ा जा सकता। शिक्षा के क्षेत्र के प्रत्येक स्तर पर सभी व्यक्तियों, एजेंसियों और संस्थाओं के लिए महिला-पुरुष में भेदभाव के प्रति संवेदनशील होना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी कार्यक्रमों और कार्यक्रमों में महिलाओं का भी हिस्सा है।

2. वर्तमान स्थिति

1.2.1 1991 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 39.42 है जबकि पुरुष साक्षरता दर 63.86% है। 197 मिलियन महिला निरक्षर है जबकि पुरुष निरक्षर 127 मिलियन है। ऐसे देश में जहां पुरुषों की संख्या महिलाओं से 32 मिलियन अधिक है, 70 मिलियन महिला निरक्षर पुरुषों की तुलना में अधिक है। महिलाओं में उल्लेखनीय ग्रामीण-शहरी असमानताएँ हैं अर्थात् ग्रामीण निरक्षर महिलाओं की संख्या शहरी निरक्षर महिलाओं की संख्या की आधी है। एक चौकने वाला निष्कर्ष यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब 100 लड़कियाँ कक्षा-I में दाखिला लेती हैं तो उनकी संख्या क्रमशः घटकर कक्षा-V में केवल 40, कक्षा I/II में 18, कक्षा-IX में 9 और कक्षा-XII में केवल 1 रह-जाती है—शहरी क्षेत्रों के लिए समतुल्य आंकड़े क्रमशः 82,62,32 और 14 हैं। यदि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए बुनियादी आवश्यकता 10 से 12 वर्ष सामान्य शिक्षा अवधि हो तो ग्रामीण लड़कियाँ छंट जाती हैं। व्यावसायिक और शहरी तकनीकी शैक्षणिक सुविधाओं का बड़ा भाग शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित है। इन क्षेत्रों में लड़कियों की सहभागिता काफी कम है और लैंगिक अनुपात यथापूर्ण बना रहता है। इसी प्रकार इंजीनियरी और कृषि आधारित पाठ्यक्रमों में भी महिलाओं और लड़कियों का अनुपात काफी कम है।

1.2.2 यह और गंभीर बात हो जाती है जब हम पाते हैं कि कम साक्षरता वाले राज्यों में अध्यापिकाओं की संख्या बहुत कम है। अध्यापिकाओं का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में 21% और 23% तथा शहरी, क्षेत्रों में क्रमशः 56% और 57% है।

1.2.3 इसलिए यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को शैक्षिक असमानताओं के लैंगिक और शैक्षिक आयामों के प्रति सचेष्ट बनाया जाए।

3. नीति प्राचल और कार्यनीतियाँ

1.3.1 रा०शि०नी० के अनुसरण में कार्यन्वयन रणनीति की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- सम्पूर्ण प्रणाली को इस प्रकार तैयार करना कि यह महिलाओं को अधिकार प्रदान करने में सकारात्मक हस्तक्षेप का साधन बन सके।
- महिलाओं का स्तर बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में महिलाओं के और अधिक विकास हेतु सक्रिय कदम उठाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।
- महिला-पुरुष में भेदभाव के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर व्यावसायिक तकनीकी और पेशेगत शिक्षा के सभी स्तरों पर महिलाओं को शामिल करना
- गतिशील प्रबन्ध ढांचे का सृजन करना जिससे इस जनादेश द्वारा सामने आई चुनौतियों का सामना किया जा सके।

4. कार्यवाई योजना

1.4.1 नीचे दी गई कार्यनीतियाँ मुख्य रूप से कार्यवाई योजना के कार्यन्वयन से संबंधित प्रचालन ब्यौरों के विषय में है:—

- शिक्षा विभाग के सभी ब्यौरो अगस्त 1993 तक ठोस कार्यवाई योजना तैयार करेंगे। जिसमें उनके अपने क्षेत्र में लिंग संबंधी चिन्ताओं पर प्रकाश डाला जाएगा। वि०अ०आ०, अ०आ०त०शि०प०, आई०सी०ए०एस०एस०आर०, पा०ए०अ०प०, के०मा०शि०वो०, आई०सी०ए०आर०, आई०सी०एम०आर० आई०ए०एम०आर० राज्यों के बोर्ड, व्यावसायिक शिक्षा ब्यौरो आदि जैसी संबंधित शीर्ष संस्थाएँ भी इसी प्रकार की कार्यवाई योजनाएँ तैयार करेंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाग IX का पैरा 4.1 से 4.3 और कार्यवाई योजना का अध्याय XII कार्यवाई योजना के मार्ग निर्देशन का काम करेगा।

- (ii) विभाग के आयोजना विभाग में एक मानिट्रिंग एकक या महिला ब्यूरो का सृजन किया जाएगा ताकि नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों में लिंग संबंधी मसलों को समाहित किया जा सके। यह एकक कार्यान्वयन की मानिट्रिंग के लिए संकेतक तैयार करेगा, सूचना के प्रभावी प्रसार को सुनिश्चित करेगा और कार्य में समन्वय करेगा। यह कार्य अगस्त, 1993 तक कर लिया जाएगा।
- (iii) राज्य स्तर पर इसी प्रकार के मानिट्रिंग एकक/ब्यूरो गठित किए जाएंगे।
- (iv) सभी ब्यूरो और संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्टों में उन कदमों के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाएगी जो उन्होंने शिक्षा में महिलाओं और लड़कियों की पहुंच बढ़ाने के लिए उठाए हों। साथ ही उनमें सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षा सामग्री और प्रक्रिया में महिलाओं की बारे में ध्यान रखा जाए और सभी स्तरों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए समान अवसर उपलब्ध कराये जायें।

5. महिलाओं को अधिकार प्रदान करना

1.5.1 शिक्षा महिलाओं को अधिकार प्रदान करने में एक सशक्त माध्यम हो सकती है और इसके निम्नलिखित घटक होंगे:—

- महिलाओं का आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास बढ़ाना,
- समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को मान्यता प्रदान करके महिलाओं की सकारात्मक छवि बनाना,
- समालोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करना,
- सामूहिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना और कार्रवाई करना।
- शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य (विशेषकर प्रजनन स्वास्थ्य) जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को जानकारी देकर विकल्प चुनने योग्य बनाना,
- विकासात्मक प्रक्रियाओं में समान सहभागिता सुनिश्चित करना,
- आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सूचना, ज्ञान और कौशल प्रदान करना,
- समाज में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनी जानकारी और सूचना तक उनकी पहुंच बढ़ाना ताकि सभी क्षेत्रों में समान आधार पर उनकी सहभागिता बढ़ाई जा सके।

1.5.2 उपर्युक्त प्राचलों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाएंगे और जैसा कि ऊपर 4.1 में कहा गया है शिक्षा विभाग के संबंधित ब्यूरो और संस्थायें प्रगति के बारे में रिपोर्ट देंगे।

- (i) महिला विकास के लिए प्रत्येक शिक्षा संस्था सक्रिय कार्यक्रम प्रारंभ करेगी।
- (ii) सभी शिक्षकों और प्रशिक्षकों को महिलाओं को अधिकार प्रदान करने वाले एजेंट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। रा०शै०अ०प्र०प०, नीपा डी०ए०ई०एस०आर०सी०, डी०आई०ई०टी० राज्य शै०अ०प्र०प० और विश्वविद्यालय तंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेंगे। सम्बद्ध संगठनों और महिला दलों की सहायता से नवाचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे।
- (iii) शिक्षक-प्रशिक्षकों और प्रशासकों के लिए लिंग और निर्धनता के प्रति संवेदनशील होने के कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे। एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षा क्षेत्र के सभी अनुभाग लिंग-भेद के आधार पर असमानता दूर करने में शिक्षा की भूमिका के प्रति सचेष्ट और संवेदनशील होंगे।
- (iv) आर्थिक आत्मविश्वास उत्पन्न करने तथा अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए माता-पिता को प्रेरित करने के लिए अध्यापिकाओं, की भर्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (v) सामान्य कोर पाठ्यचर्या महिलाओं की सकारात्मक छवि बनाने का एक सशक्त माध्यम है। महिला अध्ययन विभाग, रा०शै०अ०प्र०प० लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील पाठ्यक्रम विकसित करने, पाठ्यपुस्तकों से इससे संबंधित पूर्वाग्रह दूर करने और प्रशिक्षकों/शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में पहले ही प्रारम्भ की गई गतिविधियों को तेज करेंगे। राज्य शै०अ०प्र०प० तथा राज्य स्तर के संबंधित बोर्ड और संस्थाएं इसी प्रकार के कार्य प्रारम्भ करेंगे।
- (vi) ऐसी चेतना और समर्थन से संबंधित सभी कार्यक्रमों के लिए सभी शिक्षा बजटों में धन आवंटित किया जाना चाहिए।

अनुसंधान और महिला अध्ययन

1.6.1 महिलाओं का अध्ययन एक महत्वपूर्ण निवेश है जिसका उद्देश्य सामाजिक, प्रौद्योगिकीय और पर्यावरणात्मक परिवर्तन में महिलाओं के योगदान, उनके संघर्ष और आकांक्षायें तथा वैज्ञानिक खोज के अनेक क्षेत्रों में उन्हें "लुप्त रखने वाली अवधारणात्मक बाधाओं की बेहतर समझ को प्रोत्साहन देना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के संगठनात्मक, सांस्कृतिक और दृष्टिकोण संबंधी बाधाओं को दूर करके

महिलाओं को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास के सभी क्षेत्रों में प्रभावी सहभागिता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना है। इसके लिए 4 आयाम हैं जिनका समर्थन किया जाना है—

- (i) ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के मानव संसाधन विकसित करने और उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पठन/पाठन सामग्री तैयार करने के लिए अनुसंधान।
- (ii) महिलाओं और पुरुषों में समानता के लिए महिला और पुरुषों के वर्तमान रुख और मूल्यों में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा। पाठ्यक्रम के विद्यमान पूर्वाग्रहों और कमियों को भी दूर किया जाएगा।
- (iii) शिक्षकों, नीति निर्माताओं, प्रशासकों और योजना निर्माताओं का प्रशिक्षण ताकि वे महिला पुरुष में समानता लाने के लिए सकारात्मक मध्यस्थ भूमिका निभा सकें।
- (iv) समुदाय के महिला विकास कार्यक्रमों में संस्थाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी का विस्तार।

1.6.2 20 विश्वविद्यालयों और 11 कालेजों में स्थापित महिला अध्ययन केंद्रों में कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण देकर उन्हें और प्रभावी बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। विद्यमान केंद्रों/इकाईयों को पुनः सक्रिय बनाने और नए केंद्रों की स्थापना में सहायता देने की प्रक्रिया में विख्यात संस्थाओं और सुविख्यात महिला संगठनों को शामिल किया जाएगा।

1.6.3 अनुसंधान, विस्तार और सूचना प्रसार के लिए विभिन्न संस्थाओं के बीच नेटवर्क स्थापित करना काफी लागत-प्रभावी होने के साथ-साथ इससे समन्वित वृद्धि की संभावना बनी है। ऐसे नेटवर्कों का प्रारम्भ विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषा में उत्तम कोटि की शिक्षण सामग्री संवर्धन, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम और हस्तक्षेप हेतु विकेंद्रित क्षेत्र-विशेष मॉडल तैयार करने के लिए किया जाएगा।

1.6.4 अवर सत्रांतकों के लिए आधार पाठ्यक्रम तैयार कर प्रारम्भ किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। यह आठवीं योजना अवधि के दौरान ही किया जाएगा।

7. प्रारम्भिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा का सर्वसुलभीकरण

1.7.1. जब तक बालिकाओं को शामिल करने के लिए संगठित प्रयास नहीं किए जाते तब तक प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण असंभव है। जो लड़कियाँ औपचारिक शिक्षा वाले स्कूलों में नहीं पढ़ पाती या बीच में स्कूल छोड़ जाती हैं, उन्हें अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाएंगे। स्कूल न जाने वाली और किशोरियों के लिए विशेष अनौपचारिक शिक्षा तैयार करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे ताकि उन्हें औपचारिक धारा में वापस लाया जा सके या उन्हें तकनीकी अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाया जा सके। खुला विद्यालय, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली और अन्य नवाचारी शैक्षिक कार्यक्रम ग्रामीण/दूरदराज के क्षेत्रों और शहरों की गंदी बस्तियों तक पहुंचाये जाएंगे। इस क्षेत्र में स्वैच्छिक और सामुदायिक आधार पर होने वाले प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सार्क के बाल-कन्या दशक में उपर्युक्त कार्य का अधिक महत्व है।

1.7.2 ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाएं दो प्रकार से घाटे में रहती हैं। एक तो उन्हें शैक्षिक अवसर उपलब्ध नहीं होते, दूसरे उन्हें घर के बाहर के ईंधन, चारा, पानी छोटे भाई-बहन की देखरेख से संबंधित कार्य भी करना पड़ता है। अन्य विभागों/मंत्रालयों के साथ समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए सहायता सेवा प्रदान की जा सके। सहायता सेवाओं और बाल देखभाल सुविधाओं के प्रावधान को प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के आवश्यक और अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए।

1.7.3 महिलाओं की शिक्षा को अवरूद्ध करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अध्यापकों की कमी बनी हुई है। संशोधित नीति निर्धारण में यह व्यवस्था की गई है कि भविष्य में भर्ती किए जाने वाले कम-से-कम 50% अध्यापक महिलाएं होंगी। इसलिए महिला अध्यापकों की भर्ती और महिलाओं के लिए शिक्षक-प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि की दिशा में विशेष प्रयास किए जाने होंगे ताकि गणित और विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में योग्य महिला अध्यापकों की समुचित सख्या उपलब्ध हो सके।

1.7.4 पूर्ण साक्षरता अभियानों (टी.एल.सी.) में 15-35 आयुवर्ग की महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जैसा कि बहुत से जिलों में इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों को पूर्ण साक्षरता अभियानों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए ताकि 10-20 आयु वर्ग की बालिकाओं को शामिल किया जा सके।

1.7.5 सतत शिक्षा के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए कि नव-साक्षरों और स्कूल जाने वाले लड़कियों को पठन सामग्री उपलब्ध हो सके तो यदि आवश्यक हो तो महिलाओं को उनके आवासीय क्षेत्रों में पुस्तकें और पत्रिकायें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उत्साह और प्रेरणा को बनाये रखने के लिए रेडियो माध्यम का प्रयोग जारी रखा जाएगा।

1.7.6 औपचारिक शिक्षा प्रणाली और अन्य विभागों/मंत्रालयों द्वारा प्रारम्भ की गई विभिन्न स्कीमों के समन्वय के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

8. व्यावसायिक, तकनीकी, पेशेवर शिक्षा और विद्यमान तथा उद्विगमान प्रौद्योगिकियों में महिलाओं को शामिल करना।

1.8.1 तकनीकी, व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा में महिलाओं को अधिक से अधिक शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की आवश्यकता है जिससे लड़कियों के लिए सभी स्कूलों में विज्ञान और गणित की पढ़ाई प्रारम्भ करके सुदृढ़ बनाई जा सके। लड़कियों के स्कूल में विज्ञान और गणित की

अध्यापिकाओं की कमी को पूरा करने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। गैर-परम्परागत और उदीयमान प्रौद्योगिकियों के सभी स्तरों पर लड़कियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की योजना बनाने वालों, पाठ्यक्रम का विकास करने वालों तथा प्रशिक्षण को गंभीर प्रयास करना चाहिए। सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए लड़कियों के लिए मार्गदर्शन और सलाह को एक आवश्यक पूर्वशर्त के रूप में लेना चाहिए।

1.8.2 तकनीकी शिक्षा में महिलाओं के प्रवेश की स्थिति में गुणवत्ता और संख्या दोनों दृष्टियों से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाया जाएगा। महिला आई०टी०आई० और पॉलिटेक्निक तथा सामान्य पॉलिटेक्निक और आई०टी०आई० में महिला खण्डों को सशक्त बनाया जाएगा जिससे कि विषय क्षेत्रों, व्यासायों और पाठ्यक्रमों में वैविध्य लाया जा सके और इस प्रकार नई और उपरती हुई प्रौद्योगिकियों में भागीदारी को बढ़ावा मिल सके।

1.8.3 तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं में क्रेडिट, बैंकिंग उद्यम क्षमता के संबंध में योग्यता विकसित की जाएगी। अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण स्कीम को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

9. जन-संचार माध्यम

1.9.1 महिलाओं और लड़कियों के लिए समान अवसर उपलब्ध करने के लिए माहौल बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और परंपरागत जन-संचार माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार यह जन-चेतना जगाने, सूचना और संप्रेषण के प्रसार में पूरक की भूमिका निभाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो का प्रसारण हो रहा है महिलाओं तक पहुंचने के लिए इस माध्यम का उपयोग करने हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे।

10. केन्द्र और राज्य स्तर पर प्रबन्ध ढांचा

1.10.1 पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों में महिला सेल गठित किए जाएंगे।

1.10.2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के आयोजना ब्यूरो में एक मानिट्रिंग सेल अथवा महिला ब्यूरो स्थापित किया जाएगा। मानिट्रिंग और मूल्यांकन की प्रगति की जिम्मेदारी इसी प्रकार की इकाइयों को लेनी चाहिए।

1.10.3 शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा प्रयोजनों से एक उच्च स्तरीय मंत्रालयीय समिति का गठन करेगा:—

- (i) सतत आधार पर कार्यवाई योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा,
- (ii) लड़कियों की शिक्षा से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में सरकार को सलाह देना,
- (iii) एक-दूसरे से परामर्श करके आयोजना तंत्र को सक्रिय बनाना ताकि शिक्षा में लड़कियों और महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।

1.10.4 राज्य स्तर पर इसी प्रकार की समितियों का गठन किया जाएगा।

7. प्रारंभिक शिक्षा

1. वर्ष, 1986 तक की स्थिति

7.1.1. 14 वर्ष की आयु पूरा करने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान, संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है। वर्ष 1950 से इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। कुछ वर्षों में संस्थाओं की संख्या तथा उनके प्रसार तथा नामांकन में प्रभावी बढ़तों हुई हैं। शिक्षा संस्थाओं के सर्वसुलभ प्रावधान को आंशिक तौर पर प्राथमिक स्तर (कक्षा-1 से V) पर प्राप्त कर लिया गया है। पांचवें अखिल भारतीय शिक्षा (शैक्षिक) सर्वे, 1986 के अनुसार, 94.5% ग्रामीण जनसंख्या के पास एक किलोमीटर पैदल रास्ते की दूरी में स्कूल है, 3 किलोमीटर के पैदल रास्ते की दूरी में लगभग 83.98% ग्रामीण जनसंख्या के पास मिडिल स्कूल/सैक्शन है। प्राथमिक स्कूलों की संख्या वर्ष 1950-51 में 2.10 लाख से बढ़कर वर्ष 1985-86 में 5.29 लाख हो गई। इसी तरह, अपर प्राथमिक स्कूलों की संख्या वर्ष 1950-51 में 13,600 से बढ़कर वर्ष 1985-86 में 1.35 लाख हो गई। 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों का कुल नामांकन वर्ष 1950-51 में 43.1% से बढ़कर वर्ष 1960-61 में 62.4% तथा 1970-71 में 76.4% तथा वर्ष 1980-81 में 80.5% तथा वर्ष 1985-86 में 85.5% हो गया। इसी तरह 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कुल नामांकन 1950-51 में 12.9% से बढ़कर वर्ष 1960-61 में 22.5% 1970-71 में 33.4% 1980-81 में 41.9% तथा वर्ष 1985-86 में 48.3% हो गया।

7.1.2. प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण (यू.ई.ई.) कुल मिलाकर अभी तक अप्रशय लक्ष्य है तथा इसका काफी रास्ता अभी तय करना बाकी है। पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों की दर काफी अधिक बनी हुई है। स्कूलों में बच्चों को रोके रखने की दर कम होना तथा अपव्यय विचारणीय विषय है। वर्ष 1985-86 में कक्षा I से V तक पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों की दर 47.6% तथा पहली कक्षा से आठवीं कक्षा के पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों की दर 64.4% थी। लड़कियों की सहभागिता में वृद्धि होने के बावजूद, समानता अभी भी विद्यमान है। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा (चार कक्षाओं) में लड़कियों की सहभागिता वर्ष 1950-51 में 28.1% से बढ़कर वर्ष 1985-86 में 40.2% होने पर भी यह प्रतिशतता 50% की सामान्य प्रतिशतता से अभी भी कम है। अपर प्राथमिक कक्षाओं (छठी से आठवीं) में लड़कियों की सहभागिता कम है, यह वर्ष 1950-51 में 16.1% से बढ़कर वर्ष 1985-1986 में 35.1% हो गई। प्राथमिक स्तर पर अनु. जाति व अनु.जन जाति के बच्चों (छात्रों) की सहभागिता अब कुछ हद तक उनकी जनसंख्या के भाग के अनुपात में है लेकिन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के बच्चों में लड़के-लड़कियों की (लैंगिक) असमानता विद्यमान है। अनुसूचित जाति के कुल बच्चों (छात्रों) में पहली से पाचवीं तक की कक्षाओं में अनुसूचित जाति की लड़कियों की प्रतिशतता 37.5% तथा छठी से आठवीं कक्षा में यह प्रतिशतता 29.9% (1985-86) है। अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को संदर्शी प्रतिशतता क्रमशः 36.6% तथा 30.4% है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा उनकी कार्रवाई योजना

7.2.1. रा.शि.नी. तथा कार्रवाई की योजना ने प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी है तथा इस संबंध में नए कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। सबसे पहले नामांकन जिसे हम विस्तार (वृद्धि) भी कह सकते हैं, की ओर से ध्यान हटाया गया। जैसा कि कार्रवाई योजना, 1986 ने नामांकन की परिभाषा इस प्रकार की है:—

"नामांकन की अपने आप में कुछ महत्ता नहीं है क्योंकि अगर बच्चे एक वर्ष से अधिक लगातार स्कूल नहीं जाते तथा उनमें से अधिकतर केवल कुछ ही दिनों के लिए स्कूल जाते हैं दूसरी बात यह है कि रा.शि.नी. 1986 में सूक्ष्म आयोजना पर आधारित नीतियों प्रतिपादित तथा देश भर उन्हें आधार स्तर पर लागू किया ताकि स्कूल में बच्चों के नामांकन में वृद्धि सुनिश्चित हो सके। कार्रवाई योजना, 1986 में सहभागी आयोजना द्वारा नामांकन की धारणा प्रतिपादित की है जिसमें शिक्षक तथा ग्रामीण लोग परिवार-वार तथा बच्चा-वार, ऐसे कार्यक्रम प्रतिपादित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक बच्चा नियमित रूप से स्कूल या (अनौपचारिक) शिक्षा केन्द्र में अस्थित रहा है तथा वहां उसने कम से कम 5 वर्ष तथा इसके समकक्ष अनौपचारिक शिक्षा की पढ़ाई पूरी की है। तीसरी बात यह है कि रा.शि.नी. में यह अनुभव किया गया है कि स्कूल के वातावरण का अनुकूल न होना, स्कूल भवनों की असन्तोषजनक दशा तथा शिक्षण सामग्री की अपर्याप्ता, कुछ ऐसे तत्व हैं जो बच्चों तथा अभिभावकों को स्कूल जाने तथा भेजने के लिए प्रेरित नहीं करते अतः इस नीति में प्राथमिक स्कूलों के आंशिक सुधार के लिए एक कार्यक्रम चलाया है तथा सहायता सेवाओं का प्रावधान भी रखा है। इस उद्देश्य के लिए आग्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना आरम्भ की गई। इस योजना को आरंभ करने का अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा राष्ट्रीय जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की जिम्मेदारियों तथा संविधान की समवर्ती सूची में आने वाले शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय से उत्पन्न जिम्मेदारी का वहन करने की केन्द्रीय सरकार की उत्कण्ठा का आमुख (घोषणा-पत्र) है। चौथे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर बल केन्द्रित तथा प्रक्रिया आधारित शिक्षण प्रक्रिया को अपनाने का सुझाव दिया है। पांचवें, रा.शि.नी., 1986 तथा कार्रवाई योजना ने सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन (सेवारत) शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की पुनर्संरचना के कार्यक्रम को शुरू किया है जिसका विवरण इस दस्तावेज के अध्याय 22 में दिया गया है। अन्तिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्व के बारे में रा.शि.नी. नीति में शिक्षा की पहुँच यानि सामाजिक आर्थिक बन्धनों के कारण स्कूल न जा सकने वाली लाखों लड़कियों तथा कामकाजी बच्चों की शिक्षा तक पहुँच, जैसे महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख किया गया है। जैसा कि रा.शि.नी. पुनर्विचार समिति ने ठीक ही बताया है कि सर्वप्रथम वर्ष 1986 में एक ऐसी शिक्षा नीति स्वीकार की गई जिसमें यह माना गया कि सभी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते अतः नीति में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए अनौपचारिक शिक्षा के व्यापक तथा प्रणालीबद्ध कार्यक्रम को शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण तत्व समझा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्रवाई योजना में परिकल्पित अनौपचारिक शिक्षा में

इतनी अधिक नम्यता है कि इससे शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं तथा साथ ही साथ अनौपचारिक शिक्षा द्वारा प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता औपचारिक शिक्षा के बराबर (तुलनीय) होगी।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा कार्रवाई योजना की उपलब्धियाँ

7.3.1 केन्द्र सरकार तथा राज्यों/संघ शासित प्रशासनों ने रा०शि० नीति कार्रवाई योजना के सभी नीति-निर्देशों को व्यवहार में लिया है। प्राथमिक स्कूलों की संख्या वर्ष 1985-86 में 5.29 लाख से बढ़कर वर्ष 1990-91 में 5.58 लाख हो गई तथा इसी अवधि में अपर प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1.35 लाख से बढ़कर 1.46 लाख हो गई। कुल नामांकन अनुपात में वृद्धि का विवरण नीचे दिया गया है:

कुल नामांकन अनुपात

		1986-87	1990-91
कुल नामांकन			
कक्षा-पहली से पांचवी	लड़कियाँ	79.21	85.97
	कुल	95.96	101.03
कक्षा-छठी से आठवीं	लड़कियाँ	38.95	46.13
	कुल	53.14	60.11
अनुसूचित जाति नामांकन			
कक्षा-पहली से पांचवी	लड़कियाँ	64.8	80.6
	कुल	84.8	102.2
कक्षा-छठी से आठवीं	लड़कियाँ	26.5	33.3
	कुल	40.0	47.7
अनुसूचित जन जा० नामांकन			
कक्षा-पहली से पांचवी	लड़कियाँ	68.0	78.6
	कुल	90.1	103.3
कक्षा-छठी से आठवीं	लड़कियाँ	21.9	27.5
	कुल	34.1	39.7

पहली से पांचवी कक्षा के संबंध में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की दर वर्ष 1985-86 में 47.61% से घटकर वर्ष 1987-88 में 46.97% हो गई तथा छठी से आठवीं कक्षाओं में यह दर वर्ष 1985-86 में 64.42% से घटकर वर्ष 1987-88 में 62.29% हो गई। आगे के वर्षों (उत्तरवर्ती वर्षों) के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं इससे आंकड़ा संग्रहण पद्धति की कमजोरी का आभास होता है।

7.3.2. पूरा समय स्कूल में उपस्थित न हो सकने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा को एक स्वीकृत विकल्प माध्यम समझा गया। अनौपचारिक शिक्षा योजना की विषय-वस्तु में संशोधन किया गया तथा उसे वर्ष 1987-88 में लागू किया गया। इस योजना को आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल, शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में शुरू किया गया था। इस योजना में शहरी बस्तियों, पर्वतीय, जनजातीय तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों में कामकाजी बच्चों की बहुलता वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। सह-शिक्षा केन्द्रों के लिए वित्तीय जिम्मेदारी का वहन केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने 50:50 के अनुपात में तथा केवल लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की वित्तीय जिम्मेदारी केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने 90:10 के अनुपात में वहन की। प्रयोगात्मक तथा नवीन परियोजनाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की गई। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या वर्ष 1986 में 1.26 लाख से बढ़कर मार्च, 1992 में 2.72 लाख हो गई तथा नामांकन 36.45 लाख से बढ़कर 68 लाख हो गया। इस अवधि के दौरान, लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 20,500 से बढ़कर 81,600 हो गई। इस कार्यक्रम में लगभग 390 स्वैच्छिक एजेंसियों ने भाग लिया तथा उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 से अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान भी दिया गया। 50 प्रयोगात्मक तथा नवीन परियोजना तथा 19 जिला संसाधन इकाइयों को अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में गहन कार्य के लिए संस्वीकृत किया गया।

7.3.3. मार्च, 1992 तक आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना 5385 (84%) सामुदायिक विकास खण्डों तथा 1142 (29%) म्युनिसिपल क्षेत्रों के लगभग 1.14 लाख (77%) स्कूलों में शुरू की गई। जैसा कि परिकल्पना की गई थी कि देशभर के सभी प्राथमिक स्कूलों को इस योजना में शामिल किया जाएगा किन्तु संसाधन की कमी के कारण यह सम्भव न हो सका। इस योजना में शामिल किए जाने वाले 1.52 लाख एकल शिक्षक स्कूलों में लगभग 70000 (46%) शिक्षक नियुक्त किए गए। 2.39 लाख कक्षा-कक्षों के लक्ष्य के स्थान पर केवल 1.00 लाख (43%) श्रेणी कक्षों का निर्माण किया गया।

7.3.4. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना के दिशा निर्देशों के अनुकरण में रा.शै.अनु. व प्र. परि. ने स्कूल पाठ्यक्रम में पूरी तरह से संशोधन किया तथा

पहली से बारहवीं कक्षा की संशोधित पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित कीं। कई राज्यो तथा संघशासित प्रशासनों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना तथा रा.शै.अनु. व प्र. परि. के पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकों पर आधारित, स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम नवीकरण तथा नई पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के तरीके अपनाएँ। कि स्कूल पद्धति में ये पुस्तकें एक चरणबद्ध रूप में लगाई जा सकें।

7.3.5. सूक्ष्म आयोजना को व्यवहार में लाने के दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं तथा राज्य सरकारों को भेज दिए गए हैं। सूक्ष्म आयोजना तथा सामान्य स्तर के क्षमता निर्माण सिद्धान्त को नई योजनाओं या प्रयोगात्मक परियोजनाओं के तहत शैक्षिक आयोजना तथा प्रबन्ध को विकेंद्रित करने के लिए, वित्तीय सहायता दी गई तथा प्रयास किए गए। इन तरीकों का परिणामप्रद प्रभाव, आगामी वर्षों में अनुभव किया जाएगा।

7.3.6. पूर्ण साक्षरता अभियानों की सकारात्मक बहिर्मुखता प्रत्याशा से कहीं अधिक है, पूर्ण साक्षरता अभियान द्वारा कवर किए गए कई जिलों में प्राथमिक शिक्षा के लिए अत्यधिक मांग की गई है। 9 से 14 आयु वर्ग के "स्कूल न जाने वाले बच्चों" के कुछ ही जिलों में ये अभियान चलाए गए हैं। इन जिलों में अभिभावकों में जागृति पैदा होने के कारण प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ रही है। इस सुखद अनुभव ने प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभोकरण की नीतियों के "मांग पक्ष" की ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत को सुस्पष्ट किया तथा प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभोकरण की समस्या के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण की जरूरत पर प्रकाश डाला जिससे राज्य नहीं, केवल जिले तथा विशेष रूप से लाभ न उठा सकने वाले वर्ग-अनुसूचित जाति तथा अनु.जनजाति की लड़कियाँ, भावी योजना का आधार बनें।

7.3.7. शिक्षार्थी की उपलब्धि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। रा.शि.नीति 1986 में शिक्षा के न्यूनतम स्तरों की व्याख्या की गई है तथा कहा गया है कि समानता को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी होगा कि सभी को न केवल उनकी पहुंच तक ही समान अवसर प्रदान किए जाएँ अपितु इस शर्त पर कि वे इन अवसरों से सफलता प्राप्त कर सकें। इसके अलावा सभी की अर्न्तनिहित समानता की जागृति को (मुख्य) पाठ्यक्रम के माध्यम से पैदा होगी। शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए न्यूनतम स्तरीय शिक्षा निर्धारित की जाएगी। इस नीति के अनुसरण में तथा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1990 में गठित समिति की रिपोर्ट तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर आधारित की गई है कि पाठ्यक्रम का भार कम हो तथा इस पाठ्यक्रम को, उन बच्चों जिन्हें घर या स्कूल से बाहर शिक्षण की कोई सुविधा नहीं है तथा जो इस स्तर से आगे की शिक्षा के अवसर प्राप्त करना नहीं चाहते तथा जो यह सीखें कि उनके जीवन भर स्वयं को जीवन्त रखने के लिए क्या कुछ अपेक्षित है तथा जो उन्हें इस योग्य बनाएँ कि वे समाजिक रूप से लाभप्रद तथा योगदान देने वाले नागरिक की भाँति अपने जीवन में कार्य कर-सकें, के लिए अधिक व्यावहारिक तथा संगत बनाना है। इस तथ्य को अब स्वीकार किया गया है कि प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभोकरण कार्यक्रम को तब तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक स्कूल से पास होने वाले बच्चे न्यूनतम स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा सर्वसुलभ तभी समझी जाएगी जब अधिगत (पहुँच) तथा विस्तार (वृद्धि) को समान महत्व दिया जाएगा।

7.3.8. इस संबंध में सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन का मार्च, 1990 में जोमतिथन, थाईलैण्ड में आयोजित होना, एक अन्य महत्वपूर्ण कदम था। यह सम्मेलन यूनेस्को, यूनीसेफ, यू.एन.डी.पी. तथा विश्व बैंक द्वारा आयोजित किया गया था तथा इसमें संयुक्त राष्ट्र पद्धति के 155 सदस्य राज्यों तथा कई दानी एजेंसियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सभी सदस्य राज्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने 20वीं सदी तक सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की घोषणा की। इस सम्मेलन में अलग-अलग खण्डों में प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा आदि विभिन्न विषयों को एक वर्गीय (क्षेत्रीय) दृष्टिकोण प्रदान करने के रूप में बुनियादी शिक्षा के व्यापक सिद्धान्त का समर्थन किया है। बुनियादी शिक्षा के लिए वर्णित धनराशि के ब्याज को काम में लेने के कारण, सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि व्यापक बुनियादी शिक्षा परियोजनाएँ शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में प्रतिपादित की जाएँ। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 8-9 मार्च, 1991 को हुई 46वीं बैठक में, बुनियादी शिक्षा के लिए बाहरी (वित्तीय) सहायता प्राप्त करने की संरचना विकसित की गई तथा 5-6 मई 1992 को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 47वीं बैठक में उसे फिर दोहराया गया।

7.3.9. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विचार से प्रारम्भिक शिक्षा तथा साक्षरता को सर्वसुलभ बनाने में असफलता, न केवल संसाधनों की कमी के कारण हुई है बल्कि प्रणालीबद्ध कमियों के कारण भी हुई है। बाहरी वित्तीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्त अतिरिक्त संसाधनों को शैक्षिक पुनर्निर्माण जैसे नए स्कूल खोलना, स्कूल भवनों का निर्माण तथा शिक्षकों की नियुक्ति जैसे रूढ़िगत, साधनों से भी ऊपर है, के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया तथा सह सम्बोधित करना अनिवार्य है कि:—

I) कामकाजी बच्चों, लड़कियों और शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों की शैक्षिक जरूरतें।

II विषयवस्तु प्रक्रिया तथा गुणवत्ता के मामले।

बुनियादी शिक्षा से सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रमों के जीवन्त तथा परिवर्तनीय माडल विकसित करने के लिए परियोजनाओं को प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अतः इन परियोजनाओं को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित केन्द्र तथा राज्यों की सार्थक सहभागिता की सच्ची भावना से विकसित तथा कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अतः इन परियोजनाओं को प्रभावी तथा सहयोगी प्रबन्ध संरचना तथा स्थानीय समुदाय, शिक्षक तथा एन.जी.ओ. के सहयोग से मिश्रित तरीके के कार्यान्वित करना आवश्यक है।

7.3.10 यूनेस्को से सहायता प्राप्त बिहार शिक्षा परियोजना तथा स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता से राजस्थान राज्य में लोक जुम्बिश परियोजना, जैसी दो बाहर (विदेशों) से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ आरंभ की गई हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया है कि परियोजना का प्रतिपादन, क्षमता निर्माण की एक प्रक्रिया होना चाहिए।

4. संशोधित नीति निर्माण

7.4.1 प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए प्राथमिकताओं के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के द्वारा तैयार की गई नीति को दोहराते हुए संशोधित नीति निर्माण में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

- (i) अध्ययन के अनिवार्य स्तरों को प्राप्त करना, एक विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में विशेष रूप से पैरा 5.5 में सम्मिलित किया गया है। यह इस बढ़ते हुए महत्व के तर्कसंगत परिणाम है, जोकि शिक्षा तक पहुंच तथा पढ़ाई में रोके रखने के साथ-साथ शिक्षण के न्यूनतम स्तरों के साथ जोड़े जाने हैं।
- (ii) प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में पर्याप्त रूप से तीन बड़े कमरे तथा तीन शिक्षकों को उपलब्ध कराकर आपरेशन ब्लैकबोर्ड के कार्य क्षेत्र को बढ़ाना, आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना को उच्च प्राइमरी स्तर तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया था।
- (iii) यह भी विशेष रूप से निर्धारित किया गया था कि भविष्य में भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी।
- (iv) प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के विशाल कार्य की वास्तविक स्थिति तथा इसका सम्पूर्णता (उपलब्धियों के साथ-साथ पहुंच तथा स्कूलों में रोके रखना) को ध्यान में रखते हुए संशोधित नीति में यह परिकल्पना की गई है कि इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ होने से पहले 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को सन्तोषजनक कोटि की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- (v) सामाजिक क्षेत्र में, विशेषकर साक्षरता, मिशन पद्धति की प्रभावीनीयता को ध्यान में रखते हुए संशोधित नीति निर्माण में वर्ष 2000 तक प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की परिकल्पना की गई है।

अलग-अलग लक्ष्य निर्धारण तथा विकेंद्रित आयोजना

7.4.2 आठवीं योजना में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए नीति में अलग-अलग लक्ष्य निर्धारण तथा विकेंद्रित आयोजना की परिकल्पना की गई है। शैक्षिक सूचकांकों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि प्रत्येक राज्य में, यहां तक शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में भी कुछ ऐसे क्षेत्र तथा जिले होते हैं जोकि प्रायः सर्वसुलभीकरण की पहुंच में होते हैं तथा जबकि शैक्षिक रूप से अच्छे राज्यों में भी कुछ जिले ऐसे हैं जोकि अभी तक पिछड़े हुए हैं। यह प्रयास किया जाना चाहिए कि शिक्षाओं में उपलब्धि में सुधार करने के लिए स्कूलों में शिक्षण के न्यूनतम स्तरों को शुरू करने तथा लोगों की सहभागिता के जरिए सूक्ष्म आयोजना की व्यापक नीति के अन्तर्गत जिला-विशिष्ट, जनसंख्या-विशिष्ट योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। सूक्ष्म आयोजना सभी की पहुंच तथा सभी की सहभागिता के लिए एक ढांचा प्रदान करेगा जबकि अध्ययन के न्यूनतम स्तर सभी के लिए उपलब्धियों का एक नीति ढांचा प्रदान करेगा।

7.4.3 इन विसंगतियों को कम करने के लिहाज से जिला आयोजना के रूप में निम्न प्रकार से एक दृष्टिकोण को अपनाया होगा। इन जिलों को चार श्रेणियों में बांटा जाएगा:

- (i) उच्च साक्षरता वाले जिले जिनमें लगभग सभी की शिक्षा तक पहुंच और दाखिला प्राप्त है तथा शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता पहले से ही अधिक है,
- (ii) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान वाले जिले जहां पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम से शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है,
- (iii) कम साक्षरता वाले जिले जिनमें शिक्षा सुविधाओं का उपलब्धता असंतोषजनक है तथा प्रदत्त कार्य प्रणाली समुदाय की सहभागिता बिना है, और
- (iv) बाहरी रूप से सहायता प्राप्त परियोजना वाले जिले जिनका प्रबन्ध ढांचा भिन्न है तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त है।

7.4.4 इन चार श्रेणियों के जिलों की पहुंच, सहभागिता, उपलब्धियों, पर्यावरण निर्माण, सामुदायिक सहभागिता, आदि के लिए नीतियां अलग-अलग होंगी। इन नीतियों को जिला स्तर की निकाय/समिति द्वारा तैयार किया जाएगा जिसका गठन प्रत्येक राज्य सरकार करेगी।

7.4.5 जिला आयोजना की इस व्यापक नीति के अन्तर्गत तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर प्राप्त अनुभव के आधार पर तथा संशोधित नीति के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत निम्नलिखित नई नीतियों का प्रस्ताव किया गया है।

- (i) उन लोगों के लिए जो परम्परागत पूर्णकालिक शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं हो पाते उनके लिए स्वैच्छिक स्कूलों और अनौपचारिक जैसी वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली को अपनाया।
- (ii) परिवार वार, बाल वार कार्य योजना तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए सूक्ष्म आयोजना के माध्यम से शिक्षकों तथा समुदाय की सहभागिता। यह सभी की पहुंच/दाखिला तथा सभी की सहभागिता के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराएगा।
- (iii) अभिभावकों में, उनके बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा दिलाने के प्रति उनकी विशेष जिम्मेदारी के लिए रूचि पैदा करना तथा बच्चों की प्रभावी शिक्षा की प्रक्रिया में घर तथा स्कूल की संयुक्त जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अभिभावकों को भी शामिल करना।

- (iv) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान वाले जिलों तथा अनौपचारिक शिक्षा में स्कूल पूर्व कार्यक्रमों तथा प्राइमरी शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रमों के बीच सम्पर्क स्थापित करना।
- (v) आपरेशन ब्लैकबोर्ड शुरू करने तथा उसे अध्ययन के न्यूनतम स्तरों की नीति से जोड़ने के माध्यम से स्कूल की सुविधाओं में सुधार करना। इसे उच्च प्राइमरी स्तर तक भी बढ़ाया जाएगा।
- (vi) स्कूल कार्य प्रणाली की ओर विशेष ध्यान देते हुए शैक्षिक प्रबन्ध का विकेन्द्रीकरण।
- (vii) गैर-औपचारिक शिक्षा प्रणाली सहित प्राइमरी तथा उच्च प्राइमरी स्तर पर अध्ययन के न्यूनतम स्तरों को शुरू करना।
- (viii) शिक्षण अध्ययन को बाल केन्द्रित तथा क्रियाकलाप आधारित और रूचिकर बनाने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की प्रक्रिया तथा विषयवस्तु में संशोधन करना।
- (ix) उपचारात्मक उपायों पर ध्यान देते हुए सतत और विस्तृत मूल्यांकन शुरू करना।
- (x) परिवर्तित नीति और कार्यक्रमों के प्रावधानों को पूरा करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संशोधन करना।
- (xi) प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए अनुवीक्षण प्रणाली में सुधार करना।
- (xii) संशोधित नीति में परिकल्पित साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करना।

7.4.6 विशेष कार्यकलापों, स्पष्ट रूप से उल्लिखित उत्तरदायित्वों, निर्धारित समय सीमा (सूची) तथा विशेष लक्ष्यों के साथ जिला विशिष्ट परियोजनाओं को विकसित करने के लिए और प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक जिला परियोजना प्रमुख कार्यनीति के अन्तर्गत रूपरेखा तैयार करेगी तथा जिले में विशिष्ट आवश्यकताओं तथा संभावनाओं को पूरा करेगी। प्रभावी प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के अलावा, शैक्षिक आयोजना के प्रभावी विकेन्द्रीकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिला परियोजना का लक्ष्य शैक्षिक पहुंच में विद्यमान खामियों को कम करना, सुविधाहीन वर्गों के लिए तुलनात्मक मानदण्डों की वैकल्पिक प्रणाली का प्रावधान, शाला-सुविधाओं की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार स्कूल चलाने में वास्तविक समुदाय की भागीदारी प्राप्त करना, तथा स्थानीय स्तर पर क्षमता का निर्माण करना शामिल होगा। अतः कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि चुनिंदा जिलों में प्रारम्भिक शिक्षा का उद्देश्य रचनात्मक होने के अलावा थोड़ा-थोड़ा योजनाओं का कार्यान्वयन भी होगा। विभिन्न कार्यक्रम संघटकों के बीच सहयोग प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की अधिकाधिक संभावना है।

5. सभी की पहुंच का प्रावधान

7.5.1 विद्यमान योजनाओं में उपयुक्त संशोधन किए जाएंगे तथा नई नीति को कार्यान्वित करने के लिए कुछ नए उपाय किए जाएंगे।

(क) औपचारिक स्कूल

7.5.2 पद्धति के अनुसार नए प्राइमरी स्कूल, बिना स्कूल वाली बस्तियों में खोले जाएंगे तथा छोटी बस्तियों में तथा उन बच्चों के लिए जो स्कूल प्रणाली से लाभ नहीं उठा सकते वहां अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले जाएंगे इसके अलावा, सभी पहुंच के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक स्कूलों की नई योजना भी शुरू की जाएगी।

7.5.3 प्राइमरी स्कूल:

वर्ष 1986 में यह अनुमान लगाया गया था कि 300 अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाली 32,000 बस्तियों में प्राइमरी स्कूल खोलना अपेक्षित है। जबकि काफी नए स्कूल खोले भी गए हैं और कुछ नई बस्तियां भी बस गई हैं तथा यह अनुमान लगाया गया था कि 35,000 नए स्कूल खोलना जरूरी है। इन स्कूलों को आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अन्तर्गत निर्धारित की गई पद्धति के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा खोला जाएगा।

उच्च प्राइमरी स्कूल

7.5.4 उच्च प्राइमरी स्तर पर दाखिले में वृद्धि करने के लिए उच्च प्राइमरी स्तर की सुविधाओं को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाएगा। तीन किलोमीटर की पैदल दूरी पर एक उच्च प्राइमरी स्कूल मुहैया कराने की विद्यमान पद्धति से काफी संख्या में लड़कियां इस स्तर की शिक्षण ग्रहण नहीं कर पाती हैं। सभी को प्राइमरी शिक्षा प्रदान करने का तर्क, विशेषकर लड़कियों के लिए, इसमें कुछ छूट देने की जरूरत है तथा प्राइमरी तथा उच्च प्राइमरी स्कूलों के बीच विद्यमान अनुपात को 2:1 तक बढ़ाना होगा। प्रत्येक दूसरे प्राइमरी स्कूल को उच्च प्राइमरी स्तर तक सरोत्रत करने के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान कार्रवाई की जाएगी। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी।

7.5.5 सर्वसुलभ प्रारम्भिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए स्कूल प्रणाली से लगभग 18 करोड़ बच्चों को पढ़ाना होगा। इसके शिक्षक छात्र 1:40 के अनुपात के आधार पर वर्तमान 27 लाख शिक्षकों की संख्या को 45 लाख तक बढ़ाना होगा। छात्रों की संख्या में वृद्धि होने से अगले 7 वर्षों में अतिरिक्त 11 लाख कमरों की आवश्यकता होगी।

स्वैच्छिक स्कूलों की योजना

7.5.6 स्कूल न जाने वाले पर्वतीय, आदिवासी तथा दुर्गम क्षेत्रों, जहां कि औपचारिक शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक स्कूलों की एक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना से ये स्वैच्छिक एजेन्सियां उच्च प्राइमरी शिक्षा/उच्च प्रारम्भिक शिक्षा के लिए स्कूल चलाएंगी तथा एक मूल्य प्रभावी तरीके से स्कूलों की आयोजना तथा इन्हें संचालित करने में समुदाय की सहभागिता को जागृत करेगी।

7.5.7 ये स्वैच्छिक स्कूल एक प्रदत्त ग्राम/बस्ती के सभी स्कूलों बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। ये क्षेत्र कम से कम 150 की जनसंख्या वाले सुपरिभाषित क्षेत्र होंगे ताकि एक स्वैच्छिक स्कूल में कम-से-कम 30 बच्चे हों। स्वैच्छिक स्कूलों से यह आशा की जाती है कि वे एक निर्गौरित अवधि के भीतर अपेक्षित स्तर तक की प्राइमरी/प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लेंगे छात्रों की पाठ्यचर्या के लिए पर्याप्त होगी। स्वैच्छिक स्कूलों में दाखिला किए गए छात्रों की औपचारिक स्कूल की किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए बाह्य छात्र के रूप में भाग लेना होगा। इन स्कूलों को चलाने के लिए स्वैच्छिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी तथा उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन स्वैच्छिक स्कूलों के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी ग्राम शिक्षा समिति की होगी।

7.5.8 पांच मुख्य मानदण्ड-दाखिला, हाजिरी, स्कूलों में रोके रखना, अध्ययन के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना तथा सामुदायिक सहभागिता-के आधार पर स्कूल के कार्य का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए अनुदान देने वाली एजेंसी द्वारा अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन प्रणाली की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

7.5.9 स्कूल चलाने के लिए पात्र एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।

(ग) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

7.5.10 अनौपचारिक शिक्षा योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियां अपनाई जाएगी:

- (i) प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए की गई सूक्ष्म आयोजना प्रक्रिया के आधार पर अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का प्रावधान किया जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से उन बच्चों की, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा की जरूरतों को पूरा करेगी जो कि औपचारिक स्कूलों में भाग नहीं ले सकी हैं।
- (ii) सभी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का पता लगाने तथा गठन करने तथा पर्यवेक्षण के लिए समुदाय को शामिल किया जाएगा।
- (iii) समुदाय की सहायता से अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों का पता लगाया जाएगा। जहां कहीं भी संभव होगा महिला अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।
- (iv) अनौपचारिक कार्मिकों, विशेषकर अनुदेशकों के प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। पर्याप्त प्रशिक्षण तथा अनुस्थापना प्रदान की जाएगी।
- (v) प्रशिक्षण की जिम्मेदारी परियोजना जिला स्तरीय संस्थानों जैसे कि डी०आई०ई०टी०, डी०आर०यू०, राज्य स्तरीय संस्थानों जैसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, तथा राष्ट्रीय संस्थानों जैसे कि राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशिक्षण परिषद् तथा राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन द्वारा वहन की जाएगी।
- (vi) प्रबन्ध के प्रभावी विकेन्द्रीकरण को प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रशासन को मजबूत बनाया जाएगा। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य तथा जिला स्तरों पर आवश्यक प्रशासनिक तथा प्रबन्ध निवेश उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (vii) अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के छात्रों के लिए बाद में औपचारिक प्रणाली में प्रवेश के लिए विशेष अनुदेश जारी करने तथा औपचारिक प्रणाली के समकक्ष स्तर की शिक्षा के संदर्भ में अनौपचारिक शिक्षा पद्धति में बच्चों के लिए प्रबन्ध किए जाएंगे।
- (viii) खुले स्कूलों के साथ अनौपचारिक पाठ्यक्रमों को जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे।
- (ix) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को सार्वजनिक पुस्तकालयों, जन-शिक्षण निलायमों आदि की योजना से जोड़ा जाएगा।
- (x) समपूर्ण साक्षरता अभियान वाले जिलों में, जिसमें 9—14 आयु वर्ग के बच्चे शामिल किए गए हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पद्धति से आगे भी अनुवर्ती कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यह जिले के एक उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम के रूप में होगा।
- (xi) उन बच्चों तथा युवाओं के लिए जो अनौपचारिक पद्धति से पास होते हैं उन्हें विभिन्न व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे। श्रमिक विद्यापीठ तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
- (xii) स्वैच्छिक एजेंसियों को, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां औपचारिक शिक्षा प्रणाली प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकी है, अनौपचारिक शिक्षा की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

7.5.11 ऐसा प्रस्ताव है कि संशोधित परियोजना में निम्नलिखित वित्तीय पद्धति का अनुसरण किया जाएगा:

- (क) अनौपचारिक (लड़के और लड़कियां) केन्द्रों की स्थापना तथा उन्हें चलाने के लिए राज्य सरकार को 75:25 के आधार पर सहायता।

- (ख) केवल लड़कियों के लिए अनौपचारिक केन्द्रों का गठन तथा उन्हें चलाने के लिए राज्य सरकार के 90:10 के आधार पर सहायता।
- (ग) अनौपचारिक केन्द्रों की स्थापना तथा उन्हें चलाने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियोंको शत-प्रतिशत सहायता।
- (घ) अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में नवीन परियोजनाओं तथा अनुसंधान और मूल्यांकन क्रियाकलापों के लिए शैक्षिक संस्थाओं तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को शत-प्रतिशत सहायता और मूल्यांकन गतिविधियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को शतप्रतिशत आधार पर सहायता।

7.5.12 अनौपचारिक शिक्षा का मूल्यांकन केन्द्र आधारित होगा तथा अध्ययन के न्यूनतम स्तरों से संबंधित होगा। परियोजना मूल्यांकन स्तर पर किया जा सकता है। अनौपचारिक शिक्षा के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न संस्थाओं जैसे कि ए०शे०अ०प्र० परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, जिला प्रशिक्षण संस्थानों, जिला संसाधन एकाग्रताओं द्वारा मूल्यांकन तकनीक तथा प्रणालियां तैयार की जाएंगी। अनौपचारिक शिक्षा का अनुवीक्षण केन्द्र आधारित होगा। पहले से तैयार किए गए माडलों को अनुवीक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा।

(घ) सूक्ष्मायोजना

7.5.13 सूक्ष्मायोजना "एक परिवार और शिशु-वार कार्रवाई योजना" तैयार करने की एक प्रक्रिया है जिससे प्रत्येक शिशु नियमित रूप से स्कूल अथवा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में उपस्थित होता है, अपनी शिक्षा अपने सुविधाजनक स्थान पर जारी रखता है, और कम से कम 8 वर्ष तक स्कूल शिक्षा अथवा अनौपचारिक केन्द्र, पर उसके समकक्ष शिक्षा पूर्ण करता है।" सूक्ष्मायोजना में क्षेत्र विशिष्ट आयोजन अनिवार्य तौर पर शामिल होती है जिसमें क्षेत्र आदर्शतः एक राजस्व गांव, परन्तु व्यावहारिक रूप से एक ब्लाक, तालुक अथवा जिला होता है। इस क्षेत्र में यह उपाय जिनमें सूक्ष्म स्तरीय आयोजना संचालित की जाएगी, निम्नलिखित हैं:—

- (1) सूक्ष्म आयोजना के संचालन में ब्लाक, तालुक तथा जिला स्तरों पर ग्राम शिक्षा समिति तथा उसी तरह का सहभागी स्वरूप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- (2) वातावरण निर्माण क्रियाकलापों जैसे:—जत्थो, नुककड़ नाटक, लोकगीतों आदि के माध्यम से समुदाय/लोगों की सहभागिता संघटित करना।
- (3) लोगों की सहायता के लिए गए परिवार-वार सर्वेक्षण के माध्यम से क्षेत्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं का पता लगाना,
- (4) उन सभी बच्चों जिनको दाखिल किया जा सकता है, को स्कूलों में लाना और जो स्कूल नहीं आ सकते उन्हें अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम अथवा अन्य नवाचारी और सहायक उपायों द्वारा शिक्षित करना;
- (5) यह देखना कि सभी बच्चे, विशेषकर बालिकाएं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चे नियमित और वास्तविक रूप में प्रारम्भिक शिक्षा में भाग लेते हैं;
- (6) स्कूलों अथवा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के सुधार के लिए आयोजना ताकि शिक्षण प्रभावशाली हो सके;
- (7) स्थानीय स्तर के प्रशासनिक और संसाधन सहायता प्रणालियों का पुनः अनुस्थापना करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना;
- (8) शैक्षणिक प्रशासन को विकेंद्रित करना,
- (9) क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं को समेकित करना, इससे स्कूल प्रणाली) जैसे: आपरेशन ब्लैकबोर्ड, जवाहर रोजगार योजना, समन्वित बाल विकास योजना, सामाजिक वानिकी, स्वास्थ्य जांच आदि) के सुधार में योगदान हो सकेगा।

7.5.14 पूर्ण साक्षरता अभियान वाले अधिकतर जिलों में सूक्ष्मायोजना परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए एक रचनात्मक वातावरण का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। बहुत सी जिला साक्षरता समितियों जिन्होंने पूर्ण साक्षरता अभियान आरम्भ कर दिए हैं, ने प्रारम्भिक शिक्षा में तीव्र रुचि दिखाई है और उनमें से कुछ ने सूक्ष्मायोजना के अधीन परियोजना संबंधी प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किए हैं। इन समितियों द्वारा दिखाई पहल को प्रेरित करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों/राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में और स्वैच्छिक एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा।

7.5.15 सूक्ष्मायोजना में सभी क्षेत्रों से मानव और वित्तीय संसाधनों और प्रयासों के प्रभावशाली संयोजन की आवश्यकता है। जबकि केन्द्र प्रायोजित योजनाएं जैसे:—आपरेशन ब्लैकबोर्ड, जवाहर रोजगार योजना, अनौपचारिक शिक्षा आदि स्कूल सुविधाओं के सुधार और अभिवृद्धि के लिए धनराशि का मुख्य भाग उपलब्ध करवायेगी राज्य सरकारें नए स्कूल खोलने के लिए संसाधन प्रदान करेंगी। इस योजना के तहत सर्वेक्षण, वातावरण निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र के सदस्यों के प्रशिक्षण आदि के लिए अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन केन्द्र उपलब्ध करवाएगा।

7.5.16 1992-93 के दौरान सूक्ष्मायोजना को लगभग 20 परियोजना क्षेत्रों में प्रयोगात्मक आधार पर परिचालित किया जाएगा। कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर आठवीं योजना के दौरान प्राप्त लगभग 100 जिलों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। कुछ समय बाद यह योजना समस्त देश को शामिल कर लेगी ताकि सर्वसुलभ पहुच और नामांकन और सबको स्कूल में पढ़ाई जारी रखने के लिए रोके रखने की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके।

(ड) आपरेशन ब्लैकबोर्ड

7.5.17 आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना देश के सभी प्राथमिक स्कूलों की न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-कार्रवाई योजना के अनुसरण में 1987 में आरम्भ की गई थी।

7.5.18 योजना के बाहरी मूल्यांकन से पता चला है कि योजना के कार्यान्वयन में शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने में शिक्षकों के प्रशिक्षण के अभाव, उपलब्ध कराई जाने वाली एक समान विशिष्ट सुविधाओं की बड़ी संख्या में टूट-फूट के प्रावधान का अभाव जैसी कुछ कमियां रही हैं।

7.5.19 नए नीति निर्धारणी को परिचालित करने के लिए, संशोधित आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना में निम्नलिखित तीन उप-योजनाएं होंगी:—

- (i) शेष सभी प्राथमिक स्कूलों को शामिल करने के लिए चालू आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना को जारी रखना,
- (ii) प्राथमिक स्कूलों में जहां भी नामांकन से उचित सिद्ध हो, तीन शिक्षक और तीन कमरे उपलब्ध करवाने के लिए आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार, और
- (iii) अपर प्राथमिक स्कूलों को (क) प्रत्येक कक्षा/अनुभाग को कम से कम एक कमरा (ख) एक प्रधानाध्यापक सह-कार्यालय कक्ष, (ग) लड़कियों और लड़कों के लिए पृथक शौचालय संबंधी सुविधाएं (घ) एक पुस्तकालय सहित अनिवार्य अध्यापन शिक्षण उपकरण (ङ) प्रत्येक कक्षा/अनुभाग के लिए कम से कम एक शिक्षक और (च) वस्तुओं को बदलने तथा छोटी-मोटी मरम्मत आदि के लिए एक आकस्मिकता अनुदान प्रदान करना।

7.5.20 आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाए किए जाएंगे:—

- (i) विशेष रूप से तैयार किए गए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को आपरेशन ब्लैकबोर्ड शिक्षण सामग्री प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- (ii) राज्य सरकारें उपकरण की टूट-फूट और उन्हें बदलने के लिए प्रावधान करेंगी।
- (iii) पाठ्यचर्या और स्थानीय आवश्यकताओं से सम्बद्ध अध्यापन शिक्षण सामग्रियों की खरीद के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान किया जाएगा।
- (iv) नियुक्त किए गए शिक्षकों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी। इससे बालिकाओं के नामांकन और उन्हें स्कूल में रोके रखने में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- (v) जहां भी सूक्ष्मयोजना परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं, आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना सूक्ष्मयोजना का एक अभिन्न भाग बनेगी।
- (vi) जहां तक संभव होगा, स्कूल भवनों के लिए कम लागत वाले और स्थानीय स्थितियों से सम्बद्ध स्थानीय तौर पर उपलब्ध डिजाइन अपनाए जाएंगे। इस प्रयास में निर्मित केन्द्रों और स्थानीय तकनीकी संस्थानों को सम्बद्ध किया जाएगा।

7.5.21, जैसा कि पहले भी होता रहा है, योजना अवधि के लिए उपकरणों और शिक्षकों के वेतन के लिए धनराशि केन्द्र सरकार प्रदान करेगी। राज्य सरकारें प्रधानाध्यापक सह-कार्यालय कक्ष और शौचालय सुविधाओं सहित स्कूल भवनों के निर्माण के लिए जवाहर रोजगार योजना और अन्य योजनाओं के अधीन संसाधनों को एकत्रित करेंगी। राज्य सरकारें उपकरणों के लिए आकस्मिकता और अनुस्थापन धनराशि भी प्रदान करेंगी।

7.5.22 मौजूदा आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना 1993-94 तक सभी स्कूलों को इसमें शामिल कर लेगी। अन्य दो उप-योजनाएं आठवीं योजना के दूसरे अर्ध में आरम्भ की जाएंगी। आठवीं योजना के अन्त तक बढ़ाई गई आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अधीन पात्र स्कूलों के लगभग 30 प्रतिशत को 3 कमरे और 3 शिक्षक, प्रदान किए जाएंगे और शेष स्कूलों को 2000 ईसवी तक शामिल कर लिया जाएगा। चलाई गई आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अधीन अपर प्राथमिक स्कूलों के एक छोटे भाग को आठवीं योजना के दौरान शामिल कर लिया जाएगा।

6. विषयवस्तु तथा कार्यविधि

(क) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे पर एक सामान्य कोर के साथ-साथ अन्य लचीले घटकों पर आधारित एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति/कार्रवाई कार्यक्रम-में शिक्षा के लिए बाल केन्द्रित दृष्टिकोण को अपनाने की परिकल्पना की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में सभी बच्चों के नामांकन को बढ़ावा देने तथा नामांकित किए गए उन सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक स्कूलों में रोके रखने और शिक्षा की कोटि में पर्याप्त सुधार लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति/कार्रवाई कार्यक्रम, के अनुसरण में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 1980 में स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा तैयार किया। आधुनिकीकरण और प्रासंगिकता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संशोधित पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने की जरूरत पर विशेष ध्यान दिया गया है।

7.6.2 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने समूचे स्कूली

पाठ्यक्रम को संशोधित करके कक्षा I से XI तक के लिए संशोधित पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की। राष्ट्रीय पाठ्य ढांचे और रा०शै०अ०प्र० परिपद के पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों के आधार पर राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने भी पाठ्यक्रम में संशोधन करने में तथा स्कूल प्रणाली में चरणबद्ध ढंग से नई पाठ्यपुस्तकें विकसित करने के लिए कदम उठाए हैं।

(ख) स्कूली बस्ते का बोझ

7.6.3 कुछ स्कूलों विशेषकर शहरी क्षेत्र के स्कूलों की यह प्रवृत्ति रही है कि त्रों भारी मात्रा में पुस्तकें लगाने की सिफारिश कर देते हैं और इसका परिणाम होता है छात्रों पर अधिक बोझ। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से यह आग्रह करते हुए स्कूलों को अनुदेश दिया है कि वे आवश्यकता से अधिक पुस्तकों का निर्धारण न करें।

7.6.4 अभी हाल ही में ही विभिन्न मंत्रों जिसमें संसद के दोनों सदन भी शामिल हैं, के द्वारा स्कूलों में विशेष रूप से जूनियर कक्षाओं में शैक्षिक बोझ के बढ़ने को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। पाठ्यचर्या बोझ का पूरा प्रश्न ही एक जटिल मामला है। इसका समाधान इतना सरल नहीं है। इसे विस्तृत रूप से समझना होगा जिसमें पाठ्यचर्या सुधार, परीक्षा सुधार बेहतर शैक्षिक परंपराओं तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण भी शामिल होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा दिशा-निर्देश तो दिए गए हैं किन्तु राज्य शिक्षा विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों, बोर्डों तथा अन्य शैक्षिक निकायों को इन आवश्यकताओं को अपनाने के लिए और अधिक ठोस प्रयास करने होंगे। इस चिन्ता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रोफेसर यशपाल, भूतपूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यह समिति निर्धारित समय के भीतर स्कूली छात्रों के ऊपर लादे गए शैक्षिक बोझ को कम करने के तरीके सुझाएगी। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) न्यूनतम शिक्षण स्तर (एम०एल०एल०)

7.6.5 न्यूनतम शिक्षण स्तर निर्धारित करने की आवश्यकता इस मूलभूत संबंध से प्रकट होती है कि जाति, धर्म स्थान अथवा लिंग का विचार किए बिना सभी बच्चों को एक तुलनीय कोटि की शिक्षा तक पहुंच हो जानी चाहिये। प्रारम्भिक शिक्षा की कोटि में सुधार के लिए न्यूनतम शिक्षण स्तर नीति गुणवत्ता और समानता को जोड़ने का एक प्रयास है। ये नीति प्रारम्भिक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर क्षमताओं अथवा शिक्षण स्तरों के रूप में शिक्षण परिणामों को निर्धारित करती है। ये नीति-उपायों के अधिग्रहण को भी निर्धारित करती है जिससे बच्चों द्वारा औपचारिक स्कूलों और अनौपचारिक केन्द्रों दोनों में इन स्तरों को प्राप्त करना सुनिश्चित हो जाए।

7.6.6 न्यूनतम शिक्षण स्तर कार्य नीति में मुख्यध्यान समग्र आधारित अध्यापन और शिक्षण के विकास पर दिया जाएगा। स्कूलों में न्यूनतम शिक्षण प्रारम्भ करने के लिए उठाए गए मुख्य कदम निम्नलिखित होंगे:—

- (i) मौजूदा स्तरों को जानने के लिए शिक्षण उपलब्धियों का प्रारम्भिक मूल्यांकन,
- (ii) यदि अनिवार्य हो, तो स्थानीय उपलब्धियों के अनुकूल बनाने के लिए न्यूनतम शिक्षण स्तरों में संशोधन,
- (iii) क्षमता आधारित शिक्षण के लिए शिक्षकों का प्रारम्भिक और पुनरावर्तक अनुस्थापन,
- (iv) न्यूनतम शिक्षण स्तरों पर आधारित शिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पुस्तिकाएं तैयार करना,
- (v) छात्रों के सतत और बोधगम्य मूल्यांकन को आरम्भ करना और मूल्यांकन परिणामों को उपचारी कार्रवाई के लिए प्रयोग में लाना,
- (vi) यनिट परीक्षाएं और अन्य मूल्यांकन सामग्रियां तैयार करना और उन्हें मद सघ में रखना ताकि जब भी आवश्यकता हो, उन्हें प्रयोग में लाया जा सके,
- (vii) जब भी पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों में संशोधन किया जाए, न्यूनतम शिक्षण स्तर मानदण्डों को प्रयोग में लाना, और
- (viii) शैक्षणिक प्रक्रिया को क्रियाकलाप आधारित और रुचिकर बनाने के लिए क्षमता आधारित अध्यापन शिक्षण सामग्रियों का प्रावधान।

7.6.7 शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए कार्यनिष्पादन विश्लेषण का आवधिक और सुव्यवस्थित कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा। इस प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

7.6.8 1991-92 के दौरान अनुमोदित न्यूनतम शिक्षण स्तर परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर, कार्यक्रम का विस्तार चरणबद्ध ढंग से अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद/जिला शै०प्रौ० संस्थानों को न्यूनतम शिक्षण स्तर परियोजनाओं का कार्य भार सम्भालने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि ये नीति सेवा पूर्व और शिक्षक प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग बन जाए। परियोजना क्षेत्र वाले शिक्षकों को आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के तहत उपलब्ध कराई गई शिक्षक सहायक सामग्री को प्रयोग में लाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। सेवा पूर्व प्रशिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों/कालेजों में भी न्यूनतम शिक्षण स्तर परिकल्पना को आरम्भ किया जाएगा। अभी तत्कालिक कार्य यही है कि अपर प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शिक्षण स्तर निर्धारित किए जाएं। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी।

7.6.9 राष्ट्रीय स्तर पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा मंत्रालय का प्रशिक्षण, निर्देशात्मक और मू० प्रौ० संस्थानों के विकास प्रलेखन आदि में सहायता देने के लिए संसाधन केन्द्रों का एक नेटवर्क निर्धारित किया जाएगा। राज्य स्तर पर, शिक्षा विभाग और राज्य शै०अनु०व०प्र०प० कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सम्भालेगा। विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं से लिए गए संसाधन व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय संघ बनाया जाएगा। इसी

तरह का संघ का राज्य स्तर पर भी स्थापित किया जाएगा। न्यूनतम शिक्षण स्तर नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इन संस्थागत व्यक्तियों के पुनः अनुस्थापन के लिए प्रबन्ध किए जाएंगे।

7.6.10 जबकि पहले परियोजना के रूप में कार्यनीति का कार्यान्वयन हो जाएगा पहले चरणों में धनराशि केन्द्र सरकार उपलब्ध करवायेगी और, सञ्चालकों इस कार्यनीति का कम से कम आठवीं योजना के अन्त तक प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में एक अभिन्न अंग के रूप में अपना लेगी।

7. राष्ट्रीय मिशन आरम्भ करना

7.7.1 संशोधित शिक्षा नीति, प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन आरम्भ करने का आह्वान करती है। एक महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक कार्य होने के कारण, प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन के उद्देश्य नीतियों, कार्यों स्वरूप आदि को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली तैयार की जाएगी। इस प्रक्रिया में राज्य सरकारों, स्वैच्छिक एजेंसियों, शैक्षिक और सामाजिक संस्थानों, शिक्षाविदों, महिला कार्यकर्ताओं आदि से व्यापक परामर्श किया जाएगा। इस प्रस्तावित मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित सभी मानव, वित्तीय और संस्थागत संसाधनों को एकत्रित करना होगा।

7.7.2 वर्ष 1993-94 के दौरान मिशन को कार्यशील बना दिया जाएगा। एक बार मिशन का कार्यचालन शुरू हो जाने पर, सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं जैसा कि सूक्ष्मयोजना, आपरेशन ब्लॉकबोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, गुणवत्ता सुधार के लिए न्यूनतम शिक्षण स्तर आदि को मिशन में अन्तर्गुह्य कर दी जाएगी। कार्यान्वयन का मिशन ढंग राज्य, जिला ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर परिचालित होगा।

8. प्रणाली कार्य को बनाना

(क) नीति

7.8.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षा की व्यवस्था अत्यन्त बौद्धिक साधना, विषय की गंभीरता, तथा साथ ही क्षमता जो कि नवीनतम तथा सृजनात्मकता के लिए आवश्यक है, के वातावरण में की जानी चाहिए। नीति में यह भी सुझाव दिया गया है कि इस प्रणाली में तुरंत अनुशासन लागू किया जाए। नीति में यह स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है कि इस प्रणाली को सुचारू रूप से कार्यशील बनाने के लिए सभी शिक्षकों को चाहिए कि वे ठीक ढंग से पढ़ाएं तथा सभी छात्र अध्ययन करें।

7.8.2 तंत्र को क्रियाशील बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निम्नलिखित कार्यनीतियों का सुझाव दिया गया है।

- अधिक जिम्मेदारियों के साथ शिक्षकों के प्रति बेहतर बर्ताव।
- परिवर्धित छात्र सेवाओं का प्रावधान तथा सदाचार के स्वैकार्य मानदण्डों के अनुपालन पर जोर देना।
- संस्थानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान और राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय ढांचे के मानक तथा मानदण्डों के अनुसार संस्थानों के कार्य मूल्यांकन प्रणाली का निर्माण।

3) प्रस्तावित कार्रवाई

यद्यपि कड़ी, एकरूपता अथवा बेजान अनुशासन घोषणे पर जोर देना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामान्य दिशा के अनुरूप नहीं होगा और नई शैक्षिक तथा के सृजन की प्रक्रिया पूर्ण भागीदारी के साथ होनी चाहिए और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस कठिन कार्य के लिए साष्ट ष्टिकोण अपनाएं:—

- प्रणाली के भीतर उत्तरदायित्व में मिली कठिनाइयों का पता लगाने के लिए स्कूल प्रशासनिक ढांचे के कार्यान्वयन का अध्ययन किया जाएगा। स्कूल तथा प्रशासनिक ढांचे को चौकस तथा जवाबदेह बनाया जाएगा ताकि वे प्रणाली में आनेवाली कमियों को सुधार सकें। शैक्षिक प्रशासन में कार्यरत लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा इस प्रणाली के अधीन सहाय्य कार्य करने वाले शिक्षकों तथा छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोग एवं प्रशासन संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संगठन शैक्षिक परामर्श अपने अपने परिष्कार कार्यक्रमों को जोर अधिक देज करेंगे।
- इस शैक्षिक प्रक्रिया में आस-पास के लोगों को शामिल किया जाएगा। यह कार्य माइक्रोप्लानिंग (सूक्ष्म आयोजना) के माध्यम से किया जाएगा। इससे समाज के प्रति शिक्षकों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा तथा इसके साथ-साथ स्कूल प्रणाली के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। समाज का उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित हो जाएगा।
- शिक्षकों के कार्यकारी वातावरण में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक योजनाओं की आयोजना तथा क्रियान्वयन में शिक्षकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। वे शिक्षा विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर गठित की गई समिति के सदस्य बनाए जा सकते हैं।
- स्कूल संबंधी कार्यों का प्रबंध करने के लिए शिक्षकों को अधिकाधिक स्वायत्ता दी जाएगी।
- छात्रों को बुनियादी सुविधाएं जैसे पीने का पानी, शौचालय, खेलकूद के सामान आदि उपलब्ध करवाए जाएंगे।

- (VII) आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के तहत सभी प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करई जाएं।
- (VIII) केन्द्रीय तथा राज्य संगठन, जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोग तथा एवं प्रशासन संस्थान आदि प्रारंभिक शिक्षा स्कूलों के कार्य मूल्यांकन के मानदण्ड निर्धारित करेंगे। स्कूलों तथा समुदाय की एक प्रोत्साहन योजना शुरू की जा सकती है ताकि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सके। यह योजना ब्लाक तथा जिला स्तर पर शुरू की जा सकती है।

9. मूल्यांकन तथा अनुवीक्षण

7.9.1 प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाए जाने के साथ-साथ पूर्ण भागीदारी तथा नामांकन के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। एक अनुवीक्षण तंत्र को विकसित करना आवश्यक होगा जो नामांकन बच्चों को स्कूल में बनाए रखने, पूरी करने तथा उपलब्धि का अनुवीक्षण करने के लिए सामयिक तथा विश्वसनीय सूचना भेजेगा। इस समय आंकड़ा संकलन प्रणाली ब्लाक तथा जिला स्तरीय आंकड़ों के मैनुअल मिलान पर निर्भर करती है। इसके अलावा आंकड़ा संकलन में काफी समय लगता है। यह प्रक्रिया मुख्य सूचकों का अनुवीक्षण करने के लिए अवरोध उत्पन्न करती है जिसके कारण आन्तरिक दक्षता का मूल्यांकन करने जैसे कुल नामांकन आंकड़े, छात्रों की वर्षवार उपलब्धि, स्कूल छोड़ जाने वालों की दर, संक्रमण दर आदि के आवश्यक आंकड़ प्राप्त नहीं हो पाते हैं। आठवीं योजना में, जिला स्तर पर आंकड़ा संकलन प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा प्रशासन संस्थान की सी० ओ० पी० ई० परियोजना के तहत उपयोगकर्ताओं के लिए विकसित साफ्टवेयर शुरू किया जाएगा। जिला तथा ब्लाक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को कंप्यूटर संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक जिला कार्यालय के कंप्यूटरों में आंकड़े प्रविष्ट कर एकत्र किए जाएंगे तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र नेटवर्क इन आंकड़ों को राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर भेजने के लिए इस्तेमाल करेगा। शैक्षिक सांख्यिकी को कंप्यूटरीकरण करने के लिए यह योजना शुरू की गई है किन्तु यह योजना और आवश्यकताओं को भी सरल और कारगर बनाएगी। सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा का अनुवीक्षण करने के लिए राज्य स्तर पर एक सैल का गठन किया गया है। जिला स्तर-स्तर पर कंप्यूटरीकरण का कार्य चरणों में शुरू होगा जिसमें पहले वर्ष में 415 जिलों को शामिल किया जाएगा तथा आठवीं योजना के अन्त तक धीरे-धीरे मैनुअल सिस्टम को कंप्यूटरीकृत सिस्टम के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। आंकड़ा आधार को धीरे-धीरे विस्तारित किया जाएगा ताकि शैक्षिक प्रणाली की आन्तरिक क्षमता को संबंधित सूचना का ही मूल्यांकन न हो सके बल्कि जिला प्रबंध कार्यकरण की सूक्ष्म आयोग तथा सुधार तथा सूचना भी प्राप्त की जा सके।

7.9.2 इसके अलावा, गुणात्मक उपलब्धि का अनुवीक्षण करने के लिए परिणामक आंकड़े भी शुरू किए जाएंगे। प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक स्तरों को पूरा करने के पश्चात् बच्चों द्वारा अपेक्षित शिक्षण का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन की स्थापना की गई है जो इस कार्य को पूरा करने के लिए आंकड़ा पूरा करेगा।

7.9.3 कार्यक्रमों का वाह्य मूल्यांकन करने में ख्यातिप्राप्त एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोग तथा प्रशासन संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद आदि को शामिल किया जाएगा।

10.0 Opinions of the community members

10.1 Some of the reasons as given by the community members as to why the children do not join school are:

- i) Poor financial position of the family
- ii) Lack of educational environment in the community in general and at home in particular
- iii) Children have to do house-hold jobs like bringing water, collecting wood, cattle rearing, etc
- iv) Helping parents in occupations
- v) Lack of interest in education among children

10.2 Some of the reasons given by the community members for the drop-out of children are:

- i) Poor financial position of the family
- ii) Early marriage
- iii) Children get employed
- iv) Children have to do household jobs
- v) Repeated failures

10.3 Measures/incentives for universal enrolment/retention suggested by community members:

- i) Incentive schemes: Mid-day meals, free uniforms, free text-books, free stationery, attendance scholarships to girls and SC/ST students, etc.
- ii) Free conveyance to school
- iii) Free medical facilities to children
- iv) Subsidised hostel facility
- v) Merit cum means scholarships for at least 20% of the students.

RECOMMENDATIONS

I Educational Facilities

- i) All unserved habitations with population 300 or more should be provided primary schools immediately and unserved habitations with

population 200 or more but less than 300 should be provided primary schools in a phased way.

- ii) All villages both with school and without school should be provided non-formal education centres. This would enable children who cannot attend regular schools because of some reasons to have some education.
- iii) When there is a choice of opening one school in between a Harijan Basti and Non-Harijan Basti, the school should be opened in a Harijan Basti.
- iv) The number of middle schools is very disproportionate^{to} to the number of primary schools. More middle schools need to be opened. There should be one middle school for every three primary schools.
- v) There should be provision of part-time middle stage education for girls. The existing primary schools may run part-time middle stage classes for girls in the after-noon. The teachers could be paid suitable honorarium for running such classes.
- vi) It may not be economically viable to provide separate middle schools for girls. There should be at least one women teacher on the staff of the school to look to the interests and problems of girls.

Physical Facilities

- i) Every primary school should have school building. There should be at least two rooms for instructional purposes.
- ii) All schools should be provided adequate number of usable black boards.
- iii) All schools should be provided maps and charts to be used by teachers to make teaching-learning interesting, fruitful and effective.
- iv) All schools should have adequate mats~~and~~ furniture for students.
- v) Every co-educational school should have separate

urinals/lavatory for girls.

III Incentives

- i) The incentive of mid-day meals is the most potent and effective incentive. It is helpful in motivating the children to join school and to continue in school.
- ii) All students irrespective of caste/community should be provided text-books and stationery free.
- iii) The needy students both boys and girls should be supplied two uniform free a year.
- iv) All S.C./S.T. students should be given stipends from class III onwards.
- v) All the girls students should be given attendance scholarships.
- vi) The text-books and uniforms should be made available to students at the beginning of the academic session.
- vii) No funds what-so-ever should be charged from students studying in the elementary classes.

IV Teachers

- i) In a school located in a Harijan Basti, preferably a S.C. teacher should be posted. He is very sympathetic towards the S.C. students.
- ii) In a tribal area, S.T. teacher should be posted. Such a teacher would be able to teach the children in the local dialect. If such teachers are not available, then the teachers to be posted in tribal schools, should be properly oriented in the local dialect.
- iii) There should be atleast two teachers in every primary school. One of these should be a woman teacher.
- iv) The pupil-teacher ratio in a school should not exceed 40.

- v) Majority of the S.C./S.T. children are first generation learners. They need to be helped in studies. There should be provision of supervised study in schools. If need be, remedial classes in various subject areas may be held. Such classes could be held after school hours and suitable honorarium should be paid to teachers.
- vi) The teachers of the schools ^{which} ~~who~~ show appreciable holding power, should be suitably rewarded and their services should be recognised and appreciated.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् : नई दिल्ली

"राजस्थान में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जात जातियों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का परीक्षण

बस्ती सूचना-प्रपत्र

भरने के लिए निर्देश :-

यह सर्वेक्षण मुख्यतः अनुसूचित तथा अनुसूचित जात जात आबादी की न्यों में, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सुविधाओं की जानकारी के लिए किया जा रहा है। इस बस्ती की सही सूचना प्राप्त करने के लिए का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। कृपया निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार हुए प्रपत्र को भरें।

जिस बस्ती में विद्यालय है, उसके संबंध का प्रपत्र उप विद्यालय के प्रधानाध्यापक, ग्राम पंचायत के स्थानीय पदाधिकारी के सहयोग से भरेंगे। प्रपत्र पर बस्ती के विद्यालय के प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर करेंगे। जिस बस्ती में विद्यालय नहीं है उसका प्रपत्र निकटस्थ बस्ती के विद्यालय के प्रधानाध्यापक, संबंधित ग्राम पंचायत के स्थानीय पदाधिकारी के सहयोग से भरेंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे।

मद संख्या 1 से 7 तक कार्यालय में ही भरे जायेंगे।

मद संख्या 8 में बस्ती की 30.9.82 की वास्तविक जनसंख्या देनी है। यदि 30.9.82 की वास्तविक जनसंख्या उपलब्ध है तो वह भरें, अन्यथा 30.9.82 को अनुमानित जनसंख्या के आँकड़े दीजिए।

मद संख्या 10; 11, 12, 13 :-

दूरी :- विद्यालय तथा बस्ती के बीच की दूरी वह दूरी कहलायेगी जो बस्ती के केन्द्रीय बिन्दु से विद्यालय तक सुविधाजनक चलायमान दूरी होगी। जैसे - यदि कोई विद्यालय तथा बस्ती किसी नदी के आर-पार स्थित हैं, तो विद्यालय तथा बस्ती में वास्तविक दूरी वह होगी जो पुल या बोट के ऊपर से गुजरकर तय की जायेगी। यदि जो सीधे ही पार करने में तय की गई दूरी वास्तविक दूरी नहीं कहलायेगी।

"राजस्थान में अनुचित जातियों/अनुचित जनजातियों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का विवरण"

पृष्ठ - 1

बस्ती पूना-ग्राम

मुख्यतः अनुचित जाति/अनुचित जातियों के लिये

1. बस्ती का नाम -----
2. बस्ती स्थिति -----
 {अधिल भाषणीय कर्तृ शिक्षा विभाग के अधीन}
3. ग्राम का नाम -----
4. ब्लॉक -----
5. जिला -----
6. राज्य -----
7. 30.9.78 को कुल जन संख्या -----
 {चतुर्थ सत्र के अनुसार}
8. 30.9.82 को वास्तविक/अनुमानित जन संख्या :-
 1. कुल जन संख्या -----
 2. अनुचित जाति के लोगों की संख्या -----
 3. अनुचित जनजाति के लोगों की संख्या -----
9. बस्ती में मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या :-

विद्यालय किस प्रकार का है	विद्यालयों के प्रकार			विद्यालय किस स्तर के हैं
	बालकों के लिए	बालिकाओं के लिए	अन्य शिक्षा	
1. पूर्व-प्राथमिक {बलिवाडी आदि सहित}				
2. प्राथमिक				
3. माध्यमिक				
4. उच्च-माध्यमिक				
5. उच्चतर माध्यमिक {समकक्ष}				

10. क्या बस्ती में प्राथमिक शिक्षाओं की सुविधा उपलब्ध है ?
 हाँ/नहीं

11. यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्राथमिक शिक्षाओं वाले विद्यालयों का बस्ती की निम्न सूचना दीजिए :-
 1. विद्यालय का नाम -----

2. उस बस्ती का नाम जहाँ यह विद्यालय स्थित है -----

3. इस विद्यालय की आपकी बस्ती से दूरी ----- कि.मी.

4. क. क्या बस्ती और विद्यालय के मध्य कोई प्राकृतिक बाधा है ?
 हाँ/नहीं

ख. यदि हाँ, तो बाधा का नाम -----
 झील, नदी, दलदल, वन या अन्य

अ. क्या बस्ती में माध्यमिक शिक्षाओं की सुविधा है ? हाँ/नहीं

ब. यदि नहीं, तो निकटतम माध्यमिक शिक्षाओं वाले विद्यालय तक बस्ती की निम्न सूचना दीजिए :-

1. विद्यालय का नाम -----

2. उस बस्ती का नाम जहाँ यह विद्यालय स्थित है -----

3. इस विद्यालय की आपकी बस्ती से दूरी ----- कि.मी.

4. क. क्या बस्ती और विद्यालय के मध्य कोई प्राकृतिक बाधा है

हाँ/नहीं

ख. यदि हाँ, तो बाधा का नाम -----

झील, नदी, दलदल, वन या अन्य कोई

अ. क्या बस्ती में 6 वर्ष से 14 वर्ष के नीचे तक के बच्चों के लिए अन-

ौपचारिक शिक्षा केन्द्र का फॉर्मन एजुकेशन का केन्द्र है ? हाँ/नहीं

ब. यदि हाँ, तो केन्द्र में छात्रों की 30.9.1982 की संख्या दीजिए :-

श्रेणी में	छात्रों की संख्या								
	बालक			बालिकाएँ			योग		
	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1 वर्ष									
4 वर्ष									

यदि केन्द्र नहीं है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के नीचे तक के बच्चों के

लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र कितनी दूरी तक स्थित है ?

----- कि.मी.

13 (ब) • उन सभी वस्तियों का विवरण जो एक ही गाँव में 3 विस्तारों की दूरी या उससे कम दूरी पर स्थित हैं -

वस्ती का नाम	ग्राम का नाम जि. अंठर यहाँ बस्ती है।	क्या वह वस्ती मुख्यतः अज/अजजा की है ?	वस्ती का नाम	दूरी	वस्ती का नाम	दूरी
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

नोट :-

- * जिन वस्तियों में अज/अजजा के लोगों की संख्या वस्ती की कुल आबादी का 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, उसी मुख्यतः अज/अजजा की वस्ती रहेगी।
- ** यदि वस्ती में प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षाओं की सुविधा वस्ती में ही उपलब्ध है तो दूरी को शून्य किंवा 1 माना जाएगा।

व्यक्तिगत वस्तियों के बीच का पुनर्जांचा व्यवधान इस प्रकार है -

- वस्ती 1 से वस्ती 2 की दूरी -----
- वस्ती 1 से वस्ती 3 की दूरी -----
- वस्ती 1 से वस्ती 4 की दूरी -----
- वस्ती 1 से वस्ती 5 की दूरी -----
- वस्ती 2 से वस्ती 3 की दूरी -----
- वस्ती 2 से वस्ती 4 की दूरी -----
- वस्ती 2 से वस्ती 5 की दूरी -----
- वस्ती 3 से वस्ती 4 की दूरी -----
- वस्ती 3 से वस्ती 5 की दूरी -----
- वस्ती 4 से वस्ती 5 की दूरी -----

नोट : 1. वस्ती की क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है।

2. ...

नोट: 1. बस्ती की क्रम संख्या 13 अ॥ से लेना है ।

2. 13 अ॥ के अनुसार यदि कोई बस्ती नहीं दी जा सकती तो खाती छोड़ दें । जैसे:-मावती जिला 13 अ॥ में केवल तीन बस्तियां हैं तो बस्ती 1 की 2 से दूरी, 1 से 5वीं दूरी वस्ती 2की 4से दूरी, बस्ती 2 की 5से दूरी, वस्ती 3की 5से दूरी बस्ती 4की 5से दूरी नहीं राजी जा सकती ।

इस्तीफ़ा
प्रजावाचक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली

'' राजस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का सर्वेक्षण ''

विद्यालय सूचना-पत्र

प्रपत्र भरने के लिए निर्देश (नान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए):-

यह सर्वेक्षण मुख्यतः अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति की आवादी की बस्तियों, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सुविधाओं की जानकारी के लिए किया जा रहा है। आपके विद्यालय की सही सूचना प्राप्त करने के लिए आपका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। तथा निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार दिया हुए प्रपत्र को भरें।

सभी सूचनाएँ 30-9-82 की स्थिति के अनुसार भरी जायेंगी, सिर्फ़ उन मदों को छोड़कर जो अन्य तिथि/अवधि दी हुई है।

कुछ मदों में संभावित वैकल्पिक उत्तर उनके सामने लिखे गये हैं। अपने विद्यालय से संबंधित सही उत्तर के सामने के प्रश्न में केवल एक उत्तर पर ही सही (✓) चिह्न लगायें। कुछ प्रश्नों में जहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, एक से अधिक उत्तरों पर भी सही का निशान लगाए जा सकते हैं।

मद संख्या 9-

एक वर्ग (वर्ग) में एक से अधिक उपवर्ग (सैखान) हो सकते हैं, वैसी स्थिति में उप-वर्गों की कुल संख्या दीजिए।

मद संख्या 10

जिस विद्यालय के सभी वर्गों में बालकों का नामांकन होता हो और लड़कियों का नामांकन कुछ ही वर्गों में होता हो, उसे 'बालक-विद्यालय' कहा जायेगा। उसी प्रकार यदि किसी विद्यालय के सभी वर्गों में लड़कियों का नामांकन होता हो और लड़कों का नामांकन कुछ विशेष वर्गों में ही होता हो, उसे 'बालिका-विद्यालय' माना जायेगा। जिस विद्यालय के सभी वर्गों में बालक-बालिका दोनों का नामांकन होता हो उसे सह-शिक्षा का विद्यालय कहा जायेगा।

शुद्ध संख्या 11

के सभी विद्यालय जो राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार, लोक शिक्षण और स्वायत्त
विद्यार्थी दालों के अधीन आते हैं वे सभी विद्यालय उच्च शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं।
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं। वे सभी विद्यालय जो नगर निगम, नगर पालिका-
एं, ग्राम पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रांतीय सरकारों आदि द्वारा
संचालित हैं, स्वयंसेवक विद्यालयों के अंतर्गत आते हैं।

शुद्ध संख्या 12 (2)

1. सभी विद्यालय स्वयंसेवक विद्यालयों के अंतर्गत आते हैं जो नगर निगम द्वारा संचालित हैं।
2. यदि कोई विद्यालय नगर निगम द्वारा संचालित है, तो यह स्वयंसेवक विद्यालयों के अंतर्गत आता है।
3. यदि कोई विद्यालय नगर निगम द्वारा संचालित है, तो यह स्वयंसेवक विद्यालयों के अंतर्गत आता है।

शुद्ध संख्या 13 (1)

यदि कोई विद्यालय नगर निगम द्वारा संचालित है, तो यह स्वयंसेवक विद्यालयों के अंतर्गत आता है।

शुद्ध संख्या 21 (2)

यदि कोई विद्यालय नगर निगम द्वारा संचालित है, तो यह स्वयंसेवक विद्यालयों के अंतर्गत आता है।

शुद्ध संख्या 23 (2)

यदि कोई विद्यालय नगर निगम द्वारा संचालित है, तो यह स्वयंसेवक विद्यालयों के अंतर्गत आता है।

शुद्ध संख्या 27 (1)

यदि कोई विद्यालय नगर निगम द्वारा संचालित है, तो यह स्वयंसेवक विद्यालयों के अंतर्गत आता है।

स्तंभ 4 में उन विद्यार्थियों की सूचना आवेगी जो स्तंभ 3 के अनुसार 78-79 में दूसरी कक्षा में पास हुए हैं। स्तंभ 5 में उन विद्यार्थियों की सूचना आवेगी जो स्तंभ 4 के अनुसार 79-80 में तीसरी कक्षा में पास हुए हैं। स्तंभ 6 में उन विद्यार्थियों की सूचना आवेगी जो स्तंभ 5 के अनुसार 80-81 में चौथी कक्षा में पास हुए हैं। इसी प्रकार, स्तंभ 6 में सूचना शरित्ही।

11. भद संख्या 28

स्तंभ 2 में, कक्षा प्रथम में 'छात्रों की संख्या' में — उसी कक्षा में फेल हुए और नये दाखिल विद्यार्थियों की संख्या आ जायेगी। अन्य कक्षाओं में उसी कक्षा में फेल होने वाले, नीचे की कक्षा से पास होकर आने वाले और नए दाखिल विद्यार्थियों की संख्या दी जायेगी।

स्तंभ 3 में, सत्र 1981-82 (वार्षिक परीक्षा 82) में कक्षा प्रथम से कक्षा दूसरी में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या देनी है।

स्तंभ 4 में, उन छात्रों की संख्या देनी है जो बीच में बिना कहे छोड़ गये हैं और जिनका नाम कट दिया गया है और जिन्होंने दोबारा दाखिला नहीं लिखा है।

स्तंभ 5 में, उन छात्रों की संख्या देनी है जो टिफिन लेकर विद्यालय छोड़ गये हैं।

स्तंभ 6 में, वार्षिक परीक्षा 1982 में फेल हुए छात्रों की संख्या देनी है। इसी तरह ये कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, तथा 8 के लिए सूचना देनी है।

12. नद संख्या 29

यदि विद्यालय में एक ही अध्यापक (सिग्नाल टीचर स्कूल) है जो सभी कक्षाओं का अध्यापन कार्य दे कैसे करने है? इसका विवरण संक्षिप्त (चार-पाँच पंक्तियों) में दे।

“राजस्थान” अनुसूचित जातियों/वर्गों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का विवरण

विद्यालय का नाम

विद्यालय का नाम

स्त्री का नाम

पति का नाम

पता

नाम

पता

वर्ष जिसमें विद्यालय स्थापित हुआ ---

(1) प्राथमिक स्तरों का प्रारंभ हुई ---

(2) यदि माध्यमिक स्तरों भी है तो प्रारंभ हुई ---

विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली स्तरें

स्तर --- से स्तर ---

विद्यालय में स्तरों की संख्या (उपवर्ग सहित) ---

विद्यालय का विद्यालय है

(क) शिक्षक बालों के लिए

(ख) शिक्षक अभिभावकों के लिए

(ग) सह-शिक्षा

विद्यालय का प्रमुख

(क) सरदार इन्द्राणी

(ख) स्थानीय समिति द्वारा

(ग) निजी (सहायता प्राप्त)

(घ) निजी (सहायता प्राप्त)

विद्यालय का भवन

(1) क्या विद्यालय का भवन है ?

हाँ ()

नहीं ()

(2) यदि हाँ, तो क्या पूरा भवन का भवन है ?

(1) अपना है ()

(2) किराये पर है ()

(3) बिना किराये के है ()

(3) क्या एक पूरा भवन या भवन का मुख्य भाग

बूढ़ा है ? ()

पक्का है ? ()

प्रिश्रित है ? ()

(4) शैक्षिक कार्य में प्रयोग होने वाले कार्यों में निम्नलिखित

(5) यदि 12(1) में उत्तर 'नहीं' है, तो

(इस प्रश्न में एक से अधिक उत्तरों पर चिह्न लगाएँ)

(क) भूले भेदगन में ()

(ख) तम्बूओं में ()

(ग) टिन शीट में ()

(घ) प्रोपर्टी में ()

(ङ) धातु के भागों में ()

(च) ग्राहक संरक्षण धर में ()

(छ) फर्निचर / चौपाल में ()

(ज) अन्य किसी स्थान में ()

(कृपया तालिका)

13. क्या विद्यालय में छात्रों के बैठाने की सुविधा है ?

हाँ ॥ ॥
 नहीं ॥ ॥

14. छात्रों के लिए खर्चों का व्यय

- 1) बैंक/डेपॉजिट छात्रों के लिए पर्याप्त है ।
- 2) टाट-फट्टी छात्रों के लिए पर्याप्त है ।

15. क्या विद्यालय प्रांगण में छात्रों के बैठाने की सुविधा उपलब्ध है ?

हाँ ॥ ॥
 नहीं ॥ ॥

1) यदि हाँ, तो नीचे के पानों की सुविधा उहाँ से उपलब्ध है ?

- 1) विद्यालय प्रांगण में उपेक्षित ॥ ॥
- 2) पानों की टोटी से ॥ ॥
- 3) छात्रों के घर से ॥ ॥
- 4) विद्यालय में पानों का विक्रय ॥ ॥
- 5) बाजार एवं विक्रय ॥ ॥

16. क्या विद्यालय में पेशावर/श्रीमंथन है ?

हाँ ॥ ॥
 नहीं ॥ ॥

यदि हाँ, तो क्या छात्रों के लिए प्रत्यक्ष प्रदान है ?

हाँ ॥ ॥
 नहीं ॥ ॥

17. क्या विद्यालय में अभिभावक-शिक्षक सम्बन्ध है ?

हाँ ॥ ॥
 नहीं ॥ ॥

18. विवालय के छात्र कया हैं ?

बर्षियों में में तः
 लार्थियों में में तः

19. विवालय में ऊ. रा.भा.दटों की संख्या अि.अ. प्रयोग किया
 जा जाता है

20. विवालय में ऊ. उ. रणों की संख्या को वर्गीकृत करने में है ?

<u>उ. उ. रण</u>	<u>संख्या</u>
1. लार्थी	-----
2. लार्थी	-----
3. विवालय के लिए लिए "बाईक" सेट	-----
4. डेट	-----
5. डिस्क रिडर प्रोसेसर	-----
6. रेडियो	-----
7. लार्थी	-----

सूचना दी गिने

21. ऊ. का विवालय में प्रस्ताव है ?

हाँ	॥	॥
हाँ	॥	॥

1. यदि हाँ, तो ऊ. 9.82 को प्रस्ताव में प्रस्तावों में संख्या
 2. यदि नॉ, तो 1982 के प्रयोग में लार्थी को ही कई प्रस्तावों की संख्या

22. ऊ. का विवालय में हस्तगत/लगावों की उपाय लार्थी बढ़ाने की प्रविधा है ?

हाँ	॥	॥
हाँ	॥	॥

1. यदि हाँ, तो कया यह रूत विवालय के लार्थी में बढ़ाने जाते हैं ?

हाँ	॥	॥
हाँ	॥	॥

24. 30-9-82 को छात्र संख्या:-

श्रेणी	बस्ती के विद्यार्थियों में भंगने वाले छात्रों की संख्या		कुल छात्र संख्या		अनुपचित जाति के छात्रों की संख्या		अनुपचित जाति के छात्रों की संख्या	
	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ
	2	3	4	5	6	7	8	
पहली								
दूसरी								
तीसरी								
चौथी								
पांचवी								
छठी								
सातवी								
आठवी								
योग								

25. सितम्बर, 82 के महीने की औसत मासिक उपस्थिति:--

श्रेणी	कुल छात्रों के लिए		अनुपचित जाति के छात्रों के लिए		अनुपचित जाति के छात्रों के लिए	
	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ
	2	3	4	5	6	7
पहली						
दूसरी						
तीसरी						
चौथी						
पांचवी						
छठी						
सातवी						
आठवी						
योग						

विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं की विषय सूची दी जाए:-

क्र.सं.	क्या विद्यार्थियों में यह योजना है ? हाँ/नहीं	स्तम्भ-2 में यदि हाँ, तो 1981-82 में योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या		
		सिर्फ अनुसूचित जाति के विद्यार्थी	सिर्फ अनुसूचित जल-जाति के विद्यार्थी	सर्वोपरोक्त अन्य विद्यार्थी
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

28. 1981-82 में परीक्षाफल -

श्रेणी	छात्रों की संख्या	पास हुए	जो बीच में छोड़कर चले गये	जो बीच में टिपसी के साथ छोड़कर गये	फल
1	2	3	4	5	6
पहली					
दूसरी					
तीसरी					
चौथी					
पाँचवी					
छठी					
सातवी					
आठवी					

29. यदि विद्यालय में एक ही अध्यापक है, तो कृपया कुछ शब्दों में यह लिखिये कि सभी श्रेणियों का अध्यापन कार्य कैसे किया जा रहा है ?

(. . .)

प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली

राज्यस्तरीय में 30ज0/30ज0ज10 के लिए शिक्षा की सुविधाओं का सर्वेक्षण

शिक्षक प्रपत्र

शिक्षक प्रपत्र भरने के लिए निर्देश :-

यह सर्वेक्षण मुख्यतः अनुसूचित जाति तथा जनजाति की आबादी की बस्तियों में, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा-सुविधाओं की जानकारी के लिए किया जा रहा है। हम यह जानने का भी प्रयत्न कर रहे हैं कि 30ज0/30ज0 ज10 के कुछ छात्र प्राथमिक स्तर की शिक्षा या विद्यालय की उच्चतम कक्षा की पढ़ाई को बीच में अचूरी छोड़कर क्यों चले जाते हैं। प्रपत्र भरने के लिए आपका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक इस प्रपत्र को भरेंगे। आपके विचारों का हमारे लिए बहुत महत्व है। कृपया प्रपत्र भरते समय निम्न निर्देशों को पढ़ लें।

सूचना 8

यह तो सचता है कि एक विद्यालय में प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों स्तर की कक्षाओं को पढ़ाया जा रहा हो और ऐसे भी अध्यापक हो सकते हैं जो प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों कक्षाओं को पढ़ा रहे हों, ऐसे में अध्यापक मुख्यतः उस स्तर को पढ़ाने वाले माने जायेंगे जिस स्तर प्राथमिक/माध्यमिक को वे अपना 50% से अधिक समय पढ़ाने में लगाते हैं।

सूचना 9 :-

दिए गए 19 सम्भावित कारणों में से प्रत्येक के लिए उत्तर दीजिए।

सूचना 11 (अ), (ब) :-

सिर्फ प्रधानाध्यापक ही इस सूचना को भरेंगे।

राजस्थान में ओजो/ओजो के लिए शिक्षक की सुविधाओं का सर्वेक्षण

शिक्षक प्रपत्र

प्रधानाध्यापक/अध्यापकों के लिए।

- 1. शिक्षक का नाम _____
- 2. विद्यालय का नाम _____
- 3. आयु [पूर्ण वर्षों में] _____
- 4. जाति _____
 अनुसूचित जाति _____
 अनुसूचित जनजाति _____
 उपरोक्त का दोनों में से कोई नहीं _____
- 5. लिंग [पुरुष/स्त्री] _____
- 6. योग्यता _____
 [1] शैक्षणिक _____
 [2] व्यवसायिक _____
- 7. शिक्षण का कुल अनुभव [पूर्ण वर्षों में] _____
- 8. मुख्यतः किस स्तर [प्राइमरी/मिडिल] को पढ़ा रहे हैं ? _____
- 9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों के, विद्यालय बीच में छोड़ने के कुछ कारण ज्ञाते दिए गए हैं। इन कारणों के सामने दिए गए तीन विकल्पों में से हर कारण के लिए किसी एक पर सही [] का चिह्न लगाएँ। सहमत है कोई मत नहीं सहमत नहीं
- [1] अभिभावक शिक्षा का व्यय वहन नहीं कर सकते। _____
- [2] पारिवारिक धर्म में सहायता करने के लिए अभिभावकों को बच्चों की सहायता चाहिए। _____
- [3] बच्चे विद्यालय के समय में विभिन्न कार्यों में लगाए जाते हैं : जैसे पशुपालन, पानी ढाना, ईंधन एकत्र करना आदि। _____
- [4] बच्चे, घरेलू ढाँकर, कैक्ट्रियों/दुकानों आदि में काम कर के परिवार की आय को बढ़ाते हैं। _____

	सहमत हैं	कोई मत नहीं	सममत नहीं
5. विद्यालय का वातावरण उत्साहजनक नहीं है ॥अपर्याप्त भौतिक सुविधाएं, जराब विद्यालय प्रवृत्त आदि के कारण॥	-----	-----	-----
6. समुदाय का शिक्षा के प्रति विरोधी रवैया	-----	-----	-----
7. स्कूल में आवश्यकता से अधिक छात्र संख्या	-----	-----	-----
8. कई कक्षाओं के लिए एक ही शिक्षक होवे के कारण	-----	-----	-----
9. समुदाय में उच्च जाति के बच्चों का अलग/अलग के छात्रों की उपस्थिति के प्रति रवैया ।	-----	-----	-----
10. स्कूल में उच्च जाति के छात्रों का अलग/अलग के छात्रों के प्रति बुरा व्यवहार	-----	-----	-----
11. विद्यालयों में अप्रभावशाली शिक्षण	-----	-----	-----
12. शिक्षकों का अलग/अलग के छात्रों के प्रति रवैया ।	-----	-----	-----
13. विद्यालय का समय छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं ।	-----	-----	-----
14. अभिभावकों का शिक्षा के लाभ से अवगत न होना ।	-----	-----	-----
15. समुदाय में गिरबंदता	-----	-----	-----
16. शिक्षा समुदाय की आव- श्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती ।	-----	-----	-----
17. विद्यालयों की सुविधा इतनी दूरी पर नहीं है जहां पैदल चलकर जाया जा सके ।	-----	-----	-----
18. पढ़ाई में जगहोरी	-----	-----	-----
19. बार बार फेल होवे से बच्चे विराग हो जाते हैं ।	-----	-----	-----
20. कोई अन्य कारण सुपया स्पष्ट करें।	-----	-----	-----

10. उपरोक्त दिए गए कारणों में से, आपकी राय में जो तीन मुख्य कारण हैं उनको प्रभावित करने के लिए ।

सदस्यों के अभाव में प्रभावित

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

11. सिर्फ प्रभावित सदस्यों के लिए:-

अ) यह पाया गया है कि विद्यार्थियों में प्रायः 30% / 30% के वृद्धियों की औसत उपस्थिति कम पायी जाती है । इसके मुख्य तीन कारण बताइए ।

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

ब) 30% / 30% के वृद्धियों की औसत उपस्थिति बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए ? प्रयास तीन सुझाव दीजिए ।

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

हस्ताक्षर

प्रभावित सदस्य/अध्यक्ष

"राजस्थान में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का सर्वेक्षण"

साक्षात्कार प्रश्नपत्र

साक्षात्कार करने के लिए निर्देश:-

हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि राजस्थान के सभी अभिभावकों और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के अभिभावकों को पढ़ाई के विषय में क्यों वहाँ बाधित करते या उनकी पढ़ाई समाप्त कर देते हैं। पढ़ाई से पहले ही उन्हें विवशता के साथ रोक देते हैं। अतः हम उन वस्तुओं से या बाधक की उस वस्तु से जहाँ शिक्षा के लिए बाधक है, उसे खोजने में साक्षात्कार कर रहे हैं। कृपया साक्षात्कार के लिए आवश्यक दिशियों का सावधानी से पालन करें।

1. निम्न साक्षात्कार होगा है उनका नाम:-

जिन छः व्यक्तियों का साक्षात्कार होगा है सो निम्न तीनों श्रेणियों से होंगे।

श्रेणी अ:- बुलेट प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभिभावक

श्रेणी ब:- कुलक, शिक्षक, शिक्षिका/कलाकार/पत्रकारों की राजस्थान में तथा विद्यार्थी कम से कम मातृशिक्षा योध्यता प्राप्त।

श्रेणी ग:- अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक या शिक्षिका/अल्पसंख्यक विद्यार्थी, पढ़े लिखे और सक्षम।

प्रत्येक श्रेणी के दो व्यक्तियों का चुनाव किया जाएगा जिनमें से एक व्यक्ति अल्पसंख्यकों का तथा दूसरा व्यक्ति अन्य जाति का होगा। इसके लिए आगे छः श्रेणियाँ तैयार कर सकते हैं, जिनमें से दो प्रत्येक श्रेणी एक अल्पसंख्यक तथा दूसरी अन्य जाति के लिए होगी। हर श्रेणी में चित्त ले व्यक्ति हैं। उन्हें कम संख्या कागज के छोटे-छोटे पर्चियों पर लिखकर लीप्टी में रख सकते हैं। एक पर्ची उठाते हैं। यही चिप हर श्रेणी के लिए करे। इस तरह साक्षात्कार लिए जाने वाले छः व्यक्तियों का चुनाव होता है।

2. साक्षात्कार देने वाले जो इस छः व्यक्तियों को अनुसंधान का उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहिए। उद्देश्य पहले अनुच्छेद में दिया हुआ है।

3. सभी सदस्यों के लिए उत्तर प्राप्त करने हैं और अनुसूची में भरने हैं।

4. यदि साक्षात्कार देने वाला कोई प्रश्न नहीं समझ पाता है तो प्रश्न को स्पष्ट करते विस्तार में समझावा चाहिए। प्रश्न उस भाषा में पूछे हैं जिस भाषा में साक्षात्कार देने वाला अच्छी तरह से समझ सके। कृपया यह ध्यान रखें कि साक्षात्कार देने वाले से प्रश्न अच्छी तरह समझ लिए जायें।

5. साक्षात्कार देते वार्ता जो यह सिद्धांत कि उनके उत्तर युक्त रहे जायेगे ।
6. जहां तक सम्भव हो सके, व्यवहार जिनके रूप में उत्तर के उससे ही शब्दों में लिखा है । यदि उत्तर का लक्ष्य है कि राजस्थानी भाषा में है, तब उत्तर हिन्दी में लिखा जायेगा किन्तु पढ़ने योग्य लेख में लिखा है ।

"राजस्थान में अनुसंधान के
प्रविभागीय विभाग"

संख्या

सिद्धान्त

श्रेणी - अ/ब/स

- 1. 111 वस्ती का नाम _____
121 गाँव का नाम _____
- 2. लिंग _____
- 3. पित्त _____
- 4. साप्ताहिक देके वाले का नाम _____
- 5. उयकी आडु _____
- 6. उयकत शिजा-स्तर _____
- 7. उसकी जाति _____

अनुसंधित जाति

अनुसंधित जनजाति

अनुसंधित जाति

अनुसंधित जाति

8. यह देखा गया है कि कुछ अनुसंधित जाति के लोग
दाखिल ही नहीं करते। प्रायः इनके कारण
हैं, दीजिए।

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

9. कुछ अनुसंधित जाति के लोग
दाखिल ही नहीं करते। प्रायः इनके कारण
कारण हैं, दीजिए।

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

10. बहुत से विद्यार्थी, विद्यालय की उच्चतम, न तब तक पढ़ाई पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं या उन्हें अधिष्ठाताओं उनको विद्यालय जाने से रोक लेते हैं। इसके क्या कारण हैं? कृपया तीन कारण दीजिए।

1. -----
2. -----
3. -----

11. बहुत से अजब/अजबजाब के विद्यार्थी क्या भी पढ़ाई पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं अथवा उन्हें अधिष्ठाताओं उन्हें विद्यालय जाने से रोक लेते हैं। आपकी राय में वे ऐसा क्यों करते हैं? कृपया तीन कारण दीजिए।

1. -----
2. -----
3. -----

12. सरकार ने विद्यालय अग्रे के लिए बच्चों के लिए कुछ प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू की हैं जैसे-अव्यय-ह योजना, शिक्षा-क कपड़े, विद्युत-क पाठ्यपुस्तकें, तद्-दियोगों उपरोक्त योजनाएँ, अजब/अजबजाब के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति। आपकी राय में और और भी प्रोत्साहन योजनाएँ हो सकती हैं, जो विद्यालयों में लागू की जा सकें।

1. -----
2. -----
3. -----

13. **क** बच्चों या वस्तुओं में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि बच्चों को कारणों से विद्यालय में दाखिल करने के लिए बच्चों को थोड़ा बहुत शिक्षित करने के लिए जानकर रातों-रात प्रवेश दिया जा सकता है।

1. -----
2. -----
3. -----

ख इन बच्चों की पढ़ाई के समय तथा होने चाहिए इन्हें संस्था/रात्रि शिक्षा केन्द्र आदि और एक सप्ताह में इनके लिए पढ़ाई की अवधि **घंटों** में क्या होनी चाहिए।

1. -----
2. -----
3. -----

॥ अ ॥ इल्लवच्चो को क्या पढ़ाया जाना चाहिए ?

1. क्या वच्चो को साठर बालों के लिए थोड़ा बहुत भाषा का ज्ञान और अणित पढ़ाया जाना चाहिए ?

जि/वच्चो

अथवा

2. क्या उसको वही जोर्य पढ़ाया जाना चाहिए जो त्रियपित विद्यालयों में पढ़ाया जाता है ? उसे जो वे किसी उच्च कक्षा में प्रवेश पा सकें वा नहीं ? परीक्षाओं की तैयारी करने की मदद मिले ?

जि/वच्चो

॥ साक्षात्कार लेते वार्ते के हस्ताक्षर ॥